खण्ड-354, अंक-7
गुरूवार, 22 माघ, शक संवत् 1903
(11 फरवरी, 1982 ई0)

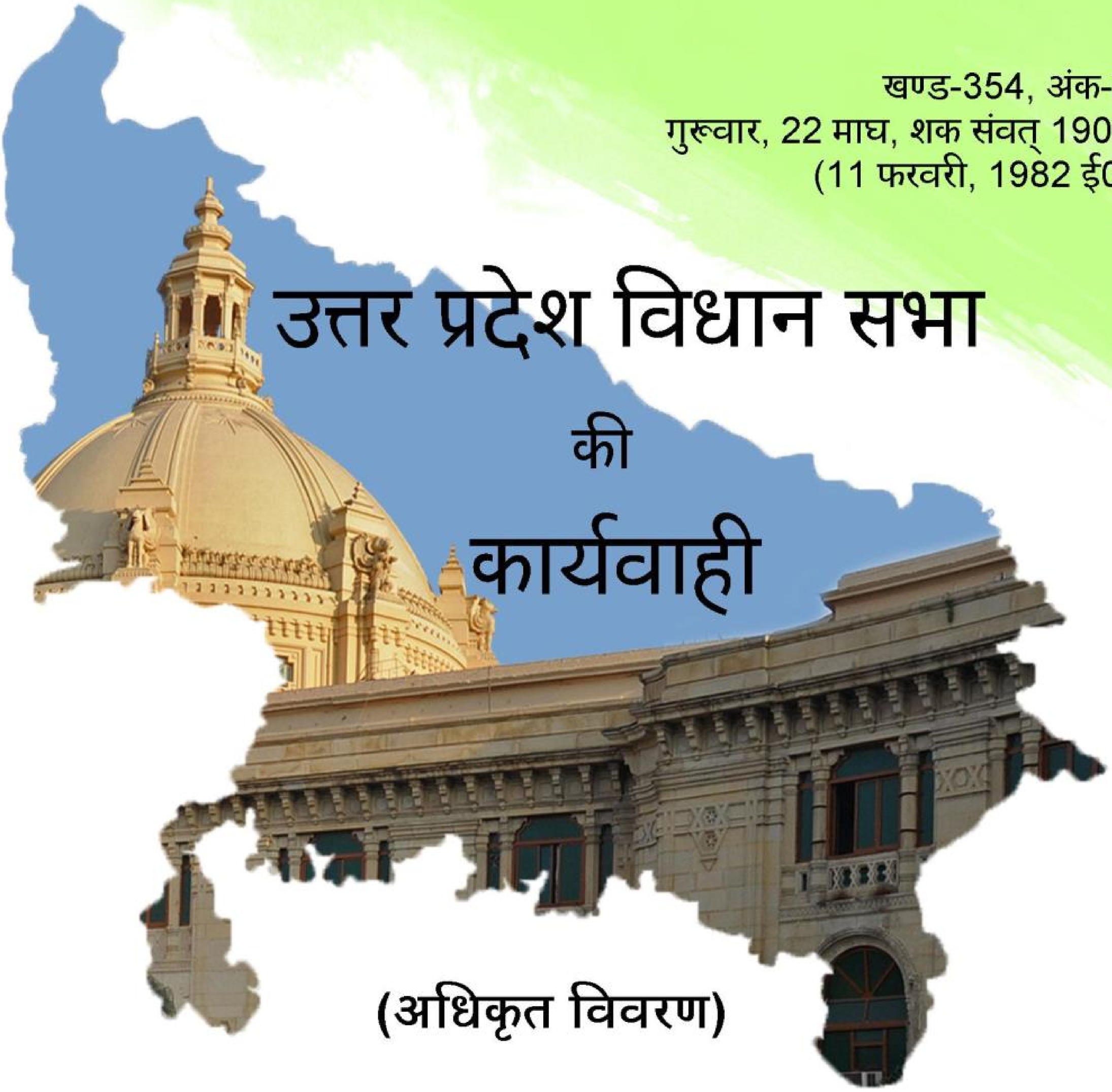

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 354 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	.. 1057–1060
प्रश्नोत्तर ..	.. 1061–1136
भूतपूर्व सदस्य नवाब सैय्यद मुतर्जा अली खां के निधन पर शोकोद्गार ..	.. 1136–1139
प्रदेश के डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोशियेसन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन मे सचिवालय के सामने अनशन व हड़ताल की धमकी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1139–1140
जिला हरदोई के कस्बा संडीला की सड़कों को बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1140
बस्ती जनपद के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा फर्जी तौर से हरिजन व पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति निकाल कर हड़प कर जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1141
देवरिया जिले के माध्यमिक शिक्षकों का जी0 पी0 एफ0 का धन जमा न करके प्रधानाचार्यों द्वारा घपला किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1141–1142
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1142
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1142
उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक 1982 (पुरः स्थापित किया गया) ..	1143
उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 (पुरः स्थापित किया गया) ..	1143
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	1143–1144
जिले की समितियों की अध्यक्षता सरकारी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	1145
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (पारित) ..	1145–1167

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 (पारित) ..	1167–1183
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	1183
मानिकपुर–सतना रेलवे लाइन पर जा रही माल गाड़ी के डिब्बे से इटावा–सुहेला के बीच 12 पेटी कारतूसों की चोरी हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1183–1189
नत्थियां ..	1191–1210

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 11-2-82

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 320

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वरशरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्दू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, सोलंकी श्री (बरेली)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुंवर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)

चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छतर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जंटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिल राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
धरमन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुव राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राय, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवतदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भगीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)

भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री, (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री, (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
रामकृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
रामधनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)

लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, (मथुरा)
वासुदेव, सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार , श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह गेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौकीन सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुमीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ, उपधयाय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद वांडेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री, (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 11 फरवरी, 1982

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद में सीमेन्ट तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*1—श्री मित्रसेन तथा श्री राम गोविन्द—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में "भ्रष्ट अधिकारियों को इंगित करो" आन्दोलन की संघर्ष समिति के संयोजक तथा जनता पार्टी के भू0 पू0 एम0एल0ए0 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित तथा मुख्य सचिव, उ0 प्र0 एवं जिला अधिकारी, फैजाबाद को पृष्ठांकित दिनांक 23 सितम्बर, 1981 का रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र शासन को मिल गया है जिसमें जनपद फैजाबाद में सीमेंट तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी की गम्भीर शिकायतें हैं ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

(1) जी हां। प्रश्नगत शिकायती-पत्र में सीमेंट एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी आदि की शिकायतें थीं जिनकी जांच परगनाधिकारी, अकबरपुर द्वारा की जा रही है।

श्री मित्रसेन—

जैसा कि प्रश्न में बतलाया गया है कि माननीय मंत्री जी, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी को इस सम्बन्ध में शिकायत की गई जिसे 5 महीने हो रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच की रिपोर्ट कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री वासुदेव सिंह—

सीमेंट का परमिट देने में 5 से 10 रुपये तक की दर से रिश्वत ली जाती है, सीमेंट के दूकानदारों से भी रिश्वत ली जाती है, जो दूकानदार रिश्वत नहीं देता है उसके दुकान के नाम सीमेंट की परमिट काट कर नहीं दी जाती है जिससे स्टाक पड़ा रहता है, सीमेंट 50 से 80 रुपये बोरी तक बेची जाती है। इस तरह की शिकायतें हैं जिनकी जांच परगनाधिकारी द्वारा हो रही है। 4 महीने बीते हैं लेकिन यह पूरे अकबरपुर क्षेत्र से सम्बन्धित सवाल है।

श्री मित्रसेन—

रिपोर्ट की आख्या कब तक प्रस्तुत हो जायेगी ? दूसरी बात यह कि जिन लोगों ने शिकायत की है। क्या जांच के समय उन लोगों से भी पूछताछ की जायेगी यानी उनका भी बयान लिया जायेगा और शिकायतों की पुष्टि उनसे कराई जायेगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

उन शिकायतों के विषय में जांच करने के लिये जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी को निर्देशित कर दिया है, जो जांच कर रहे हैं। अभी तक 6 गवाहों के बयान भी लिये जा चुके हैं और यह मामला विचाराधीन है। परगनाधिकारी जांच कर रहे हैं।

श्री ऊदल--

भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जो शिकायतकर्ता हैं और समिति के संयोजक भी हैं, उनसे भी कोई बयान लिया गया है ? यदि नहीं लिया गया है, तो क्या सरकार निर्देशित करेगी कि उनको भी बुला कर इस विषय में पुष्टि करा ली जाय ?

श्री वासुदेव सिंह--

परगनाधिकारी जो उचित समझेगा कार्यवाही करेगा। मुख्य शिकायतकर्ता का तो इस विषय में पूरा पत्र ही है जिस पर जांच हो रही है। जरूरत पड़ेगी तो परगनाधिकारी उनका भी बयान ले लेंगे।

साधन सहकारी समिति, मंझनपुर, बाराबंकी के सचिव द्वारा कर्ज के रूप में निकाली गयी रकम तथा उनका निलम्बन

*2-- श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सर्वश्री सरदार अहमद व मो0 आरिफ (भट्टा मवई इन्दारा) विकास खंड रुदई, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी सदस्यगण साधन सहकारी समिति, मंझनपुर, बाराबंकी व उसी समिति के बहुत से अन्य सदस्यों ने अप्रैल-जून, 1981 की अवधि में सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, बाराबंकी, जिला अधिकारी बाराबंकी व निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0, लखनऊ को शिकायती-पत्र दिए कि मास जून व जुलाई, 1977 तथा जून, 1978 में उनके नाम से उस समिति के कतिपय कर्मचारियों ने जाल व षड़यन्त्र कर भारी रकम कर्ज के रूप में निकाल ली और उन कर्जों से सम्बन्धित प्रोनोटों पर उनके निशान अंगूठा हस्ताक्षर तक फर्जी बनाये गये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उन मामलों को पुलिस के सुपुर्द न करने के क्या कारण हैं ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--

जी हां।

अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण अभी तक जांच पूर्ण नहीं हो सकी है। जांच हेतु अभिलेख समय से प्रस्तुत करने में उदासीनता बरतने के आरोप में समिति के सचिव को निलम्बित कर दिया गया है।

जांचोपरान्त समुचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय मंत्री जी का जैसा विभाग है, इसी प्रकार का उन्होंने उत्तर भी दिया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि

जैसे कि जांच के विषय में बतलाया गया है कि कागजात उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वे कागजात कब तक उपलब्ध हो जायेंगे और यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, जो सचिव उस समय था, वह बदल गया है और उससे कागजात लेने की चेष्टा की जा रही है। कागजात लेने के उपरान्त ही उस पर जांच की कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दरमियान जब तक कि यह जांच पूरी नहीं होती है, इस अवधि में जो लोगों से रिकवरी हो रही है उसे स्थगित कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

जांच की जा रही है और जांच में कोई गलत बात मालूम हुई तो उनकी रिकवरी रोक दी जायेगी।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

जांच तो यही न हो रही है कि हमने पैसा नहीं लिया है और फर्जी कार्यवाही करके हमारे नाम पैसा दिखलाया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस बीच जब तक कि जांच पूरी न हो जाय, उस पैसे की रिकवरी रोक देने का निर्देश देंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, अगर कोई सदस्य यह साबित करेगा, कोई प्रूफ देगा कि उसके विरुद्ध पैसा वसूल नहीं करना है और अधिकारी संतुष्ट हो जायेंगे तो रिकवरी रोक दी जायगी।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

शिकायतों से सिद्ध होता है कि रुपया हड़प कर दिया इसीलिए सम्बन्धित सचिव को सस्पेन्ड कर दिया गया। कागजात जानबूझ कर पेश नहीं कर रहा है। ऐसी सूरत में माननीय मंत्री जी को ऐसी घोषणा करने में क्या आपत्ति है ?

श्री बच्चा पाठक--

सारी रिकवरी रोकना सम्भव नहीं है।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, जिलाधिकारी को और सहायक निबन्धक को दोनों लोगों ने शिकायत की कि उनके नाम से फर्जी रुपया सचिव ने निकाला, और भी बहुत सी शिकायतें की गईं। इसके ऊपर जांच बिठलाई गयी और सरकार ने इस सचिव को दोषी पाया, उसको मुवत्तिल कर दिया। मुवत्तिल करने का आधार यही है। कि उसने फर्जी ढंग से रुपया निकाला। जिन लोगों ने शिकायत की कि उनके नाम से फर्जी रुपया निकाला गया है और जो रिकवरी का आदेश दे रखा है अगर वे रुपया वापस नहीं लेते हैं वह अन्याय होगा। मैं, माननीय मंत्री जी से

यह जानना चाहता हूं कि इन विशेष परिस्थितियों में क्या वह ऐसा आदेश देंगे कि फिलहाल उन से रुपया न वसूला जाय जब तक कि मामला स्पष्ट नहीं हो जाता ।

श्री बच्चा पाठक--

पहले ही कहा जा चुका है कि जांच की जा रही है । कागजात अभी नहीं मिल रहे हैं । जांच के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री मुख्तार अनीस--

जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी को दोषी पायेंगे नहीं, तो पैसा कैसे वसूल करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

जांच हो रही है । जांच के उपरान्त कागज मिलेंगे । अगर यह पाया जायगा कि दोषी नहीं है, रुपया नहीं लिया, तो उसको रोका जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय अनीस जी, आपने जो यह कहा है कि सचिव निलम्बित हो गये, उनकी गलती पायी गयी । उत्तर में यह नहीं है कि निलम्बन उसकी गलती की वजह से हुआ है बल्कि उसमें यह है कि जांच हेतु अभिलेख समय से प्रस्तुत करने में उदासीनता बरतने के आरोप में समिति के सचिव को निलम्बित कर दिया गया है । आप ने उत्तर में यह कहा कि रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद यह शिकायत की कि रिकवरी नहीं होनी चाहिए हमने कोई अनियमितता नहीं की । दूसरे उत्तर में यह बताया गया है कि अगर कोई यह साबित कर दे कि रिकवरी नहीं होनी चाहिए तो वह रोकी जायगी लेकिन सामान्य रूप से नहीं रोकेंगे ।

श्री मुख्तार अनीस--

प्रश्न यह है कि दोनों लोगों ने शिकायत की कि उनके नाम से झूठा रुपया वसूला गया । उसको सस्पेन्ड किया गया । कागजात इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जेल जाना पड़ेगा । बेईमानी की है, बंगलिंग की है, वह कागजात नहीं दे रहा है । कागजात देने के आरोप में क्या माननीय मंत्री जी उसको जेल भेजने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

विभागीय कार्यवाही चल रही है । कागजात मिलने के बाद जैसा अपराध होगा उसके अनुरूप कार्यवाही की जायगी ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जब आपकी जांच जारी है और उस अप्लीकेशन में ही उस आदमी ने जिसने रांग रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया, लिखा है कि रिकवरी स्टे हो जाना चाहिए जब तक जांच मुकम्मिल न हो जाय जिसमें कि डिले केवल रिकार्ड्स न मिलने की वजह से हो रही है, तो क्या उस रिकवरी को आप तब तक स्टे कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जांच के समय जो हमें तथ्य मिल जाते हैं और यदि उसके अनुसार रिकवरी रोकने लायक होगी तो वह रोक दी जायेगी ।

[गुरुवार, 11 फरवरी, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर में शल्य चिकित्सा हेतु चिकित्सक, स्टाफ नर्स तथा वार्ड ब्वाय के पदों की स्वीकृति

*1--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर एक्स-रे मशीन पेथालाजी की व्यवस्था तथा आपरेशन थियेटर की भी व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पिछड़े क्षेत्र के अस्पताल में उपरोक्त व्यवस्था करने के साथ-साथ दवा एवं शल्य चिकित्सा, हृदय रोग के विशेषज्ञ को भेज कर उपरोक्त अस्पताल को अपग्रेड भी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में अभी तक एक्सरे मशीन तथा पैथालाजी की सुविधा नहीं है। वहां 24 शैय्यायुक्त चिकित्सालय हेतु, जिसमें आपरेशन थियेटर कक्ष भी है, नवीन भवन तैयार हो चुका है जिससे सुसज्जित करने तथा दवा इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त राबर्ट्सगंज में शल्य चिकित्सा हेतु एक चिकित्सक एक स्टाफ नर्स तथा एक वार्ड ब्वाय के पदों की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में प्रदान कर दी गई है ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये नवीन भवन जो तैयार हो चुके हैं, ये कब तक सुसज्जित हो जायेंगे और दूसरी बात यह है कि वहां पर जो एक चिकित्सक, एक स्टाफ नर्स तथा एक वार्ड ब्वाय के पदों की स्वीकृति हो गई है, उनको वहां पर भेज दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक भेज दिया जायेगा ?

श्री लोकपति--

श्रीमन्, नियुक्ति के आदेश हो चुके हैं ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । आदेश वहां कब तक पहुंच जायेगा ? वह एक पिछड़ा इलाका है । इसके साथ ही मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करें कि वहां पर एक्सरे की मशीन और पैथालाजी की सुविधा नहीं है, तो यह सुविधा वहां पर कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, सन् 1982-83 में पैथालोजी की सुविधा तथा सन् 1983-84 में ऐक्स-रे की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी ।

बिजनौर जनपद के मेसर्स राम शुगर वर्क्स, आजाद शुगर वर्क्स तथा ग्रामोद्योग केन शुगर लाजबुट को लेवी से छूट

*2—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रदेश के सल्फर प्लान्ट्स के ऊपर 50 प्रतिशत की लेवी लगाई गयी थी, उस लेवी से ही बिजनौर के राम शुगर वर्क्स, आजाद शुगर वर्क्स तथा ग्रामोद्योग केन शुगर, लाजबुट को छूट किस आधार पर दी गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

बिजनौर जनपद के मेसर्स राम शुगर वर्क्स, आजाद शुगर वर्क्स तथा ग्रामोद्योग केन शुगर लाजबुट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में पारित स्थगन आदेश के अनुपालन में लेवी वसूलने की कार्यवाही स्थगित की गई है । उन्हें लेवी से छूट नहीं दी गयी है ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी सिर्फ दो तारीखें बता दें कि किस तारीख को कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया और किस तारीख को आपने छूट का इम्प्लीमेंटेशन किया ?

श्री वासुदेव सिंह—

जो स्टे हुआ वह 27-8-81 को हुआ और जो दूसरा प्रश्न आपका है उसमें वसूली की कोई छूट नहीं दी गई ।

श्री रियासत हुसैन—

27-8-81 को तो स्टे हुआ और लेवी जनवरी, 1981 से लागू हुई तो 8 महीने तक लेवी की रिकवरी क्यों नहीं हुई ? किस आधार पर लेवी की रिकवरी नहीं की गई ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, वसूली का एक सिलसिला होता है । किसकी वसूली होगी, किसकी नहीं होगी, किसकी बाकी है । जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है किसी को भी प्रदेश भर में किसी भी खान्डसारी यूनिट को छूट हमने नहीं दी है । जो कुल इकाइयां थीं उनमें से 79 ने बिलकुल लेवी नहीं दी, 22 ने पूर्ण मात्रा में दी और 132 ने आंशिक लेवी दी । तो यह सिलसिला चलता रहा ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 27-8-81 को कोर्ट से स्टे आर्डर मिले लेकिन लेवी जो थी वह पहली जनवरी, 1981 से लागू हो

गयी आपने इस बीच में जून और जुलाई में, जिन्होंने लैवी नहीं दी थी, उनके खिलाफ गिरफ्तारी, बैंक गारंटी जमा करने आदि के लिए कहा, तो इन तीन यूनिट्स से रिकवरी करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये अगर नहीं उठाये तो क्यों नहीं उठाये ?

श्री वासुदेव सिंह--

मैंने निवेदन किया कि वसूली की एक प्रक्रिया होती है, सबकी सब वसूल की जाय, जो दे रहा है उनसे पहले ले ली, जिन्होंने आधी दी उनसे भी आधी ले ली, जितना मिलता रहा, ले ली। यह कहना कि इस तारीख के बीच में क्यों नहीं वसूली की गयी यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, जो किसी प्रक्रम के संदर्भ में पूछा जाय। वह तो एक सिलसिला चलता रहता है। यह देखा जाता है जो डिफाल्टर है पहले वसूल करने की कोशिश की जाय। जैसा हमारी पहली नीति थी जो 6 सौ रु0 के हिसाब से बैंक गारंटी देगा उनको यह मोहलत देंगे, उससे हमने देखा कि वसूली कम हो रही है तो उसको बढ़ाया। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती रही।

श्री रियासत हुसैन --

पहली जनवरी, 1981 से लैवी लागू हुई जिन्होंने लेवी नहीं दी उनके खिलाफ 3/7 के मुकदमे दायर हुए, डी0 आई0 आर0 में कार्यवाही हुई, एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट में कार्यवाही की बैंक गारंटी को बढ़ाया तो बाद में 27-8-81 को स्टे आर्डर मिला इस बीच में जनवरी से रिकवरी करने के लिए इस पर्टिकुलर मामले में क्या-क्या कार्यवाही की, क्यों उनसे वसूली नहीं की गयी और जो उनको इतना टाइम मिल गया कि 27-8-81 को स्टे ले लिया। इन तीन पर्टिकुलर केसेज में क्या कार्यवाही की ?

श्री वासुदेव सिंह--

हर केस के बारे में यह बात लागू होती है। पहले हमारे यहां से आदेश गये कि इन इकाइयों से लेवी वसूल की जाय फिर हमने उस आदेश को पुनर्निरीक्षित किया 4 जून को आदेश दिये गये कि सामान्य प्रक्रिया के जो आदेश दिये गये इन इकाइयों से अगले सेशन में वसूल करने के लिए उन्हें निरस्त किया गया, 6 सौ रु0 प्रति क्विंटल की गारंटी देकर अगले वर्ष वसूल करने की बात की जाय, तो इस तरह की कुछ सहूलियतें दी गयीं।

श्री हुकम सिंह--

माननीय मंत्री जी के छूट देने के बावजूद इसमें स्थगन आदेश की संज्ञा में इसे कवर करने का प्रयास किया गया। 1980-81 में लैवी का प्राविधान था और 1981 से लेवी वसूल होने लगी जिसने लैवी नहीं दी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि धारा 3/7 में या जो दूसरी शक्तियां आपके पास थीं उनका प्रयोग इन इकाइयों के खिलाफ क्यों नहीं किया गया, क्यों अगस्त, 1981 तक प्रतीक्षा की गयी कि वह कोर्ट से स्थगन आदेश ले लें ?

श्री वासुदेव सिंह--

मैंने कहा कि यह सिलसिला होता है वसूली करने का और उसमें कार्यवाही हो रही थी, मैंने पहले ही माननीय सदस्य को बताया कि 79 खांडसारी

इकाइयों से बिलकुल वसूली नहीं हुई। 82 ने पूरा दे दिया, 132 ने आंशिक रूप में दिया, तो इन 10 के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई, 3 को पकड़ा गया और 51 के खिलाफ यह कार्यवाही हुई।

श्री रियासत हुसैन—

पहले आपने कहा कि अप्रैल, 1981 में एक आदेश दिया, 4 जून को पुनः आदेश दिया कि इसको रिकबर किया जाए और जो न दे उनके खिलाफ डी0 आई0 आर0 आदि की तथा अन्य कड़ी कार्यवाही की जाए, तो इन तीन को स्टे-आर्डर 27-3-81 में मिला, तो इस तीन महीने में इन तीन इकाइयों के विरुद्ध वसूली के लिए क्या कठोर कार्यवाही की गई और नहीं की, तो क्यों नहीं की ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामकृष्ण माहेश्वरी—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अप्रैल, 1981 में आयुक्त एवम् सचिव, श्री सुब्रहमण्यम द्वारा कोई छूट देने के लिए पत्र इन तीन कारखानों के लिए विशेष रूप से लिखा गया है ?

श्री वासुदेव सिंह—

यही तो मैं कह रहा हूं, खाद्य सचिव ने एक सर्कुलर निकाला था कि इनकी लेवी अगले सीजन में वसूल की जाय....

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण माहेश्वरी—

इसमें बड़ा घपला हुआ है....

(व्यवधान)

श्री वासुदेव सिंह—

यह अगर गलत न समझा जाता तो 4 जून को उसको समाप्त क्यों कर दिया जाता।

श्री सूबेदार सिंह—

मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि लेवी की वसूली में धांधली हुई है और एकरूपता नहीं कायम रही है, उसका मुख्य आधार रिश्वतखोरी है, मेरा यह आरोप है, तो क्या मन्त्री जी मेरे इस आरोप की जांच करायेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री हुकम सिंह—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि कोई भी छूट नहीं दी गई बल्कि स्थगन किया गया, माननीय सदस्य ने एक पत्र का हवाला दिया, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इन तीनों इकाइयों से वसूली न की जाए, तो यह भेदभाव किस आधार पर किया गया और कैसे यह पत्र लिखा गया ?

श्री वासुदेव सिंह--

जो माननीय सदस्य ने कहा, पहला आदेश सचिव का था, जो वह ऐसा था जिसमें अगले सीजन में वसूली करने के लिए कहा था, जो माननीय सदस्य के पास भी है। यह जो हुआ, उसी लिए 4 जून को उस परिपत्र को संशोधित कर दिया गया और वह जो शासनादेश था, जिसमें इस तीन इकाइयों से वसूली न करने की बात थी, उनको निरस्त कर दिया गया, तो यह गलती सचिव की हो सकती है, इसलिए...।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

अब मुझे अन्तिम प्रश्न कर लेने दिया जाए। यह देखते हुए कि सचिव द्वारा जो अप्रैल महीने में पत्र लिखा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन तीन खांडसारी इकाइयों से शेष लेवी की वसूली की मात्रा अगले सीजन मूल्य पर वसूल कर ली जाए, इसमें जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

इसमें किसी घोटाले का सवाल नहीं है। छूट दिया जाए, न दिया जाए, किसी को अधिक छूट दिया जाए, इसमें किसी को छूट नहीं दी गई है। यह सिर्फ मोहलत का मामला है। कोई अधिकारी किसी को सुविधा देता है, मोहलत देता है तो यह कोई दोष नहीं है। उसने अपने विवेक से समझा होगा। यहां एक जो आदेश था, उसको हमने संशोधित कर दिया है...

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, इस पर आप चर्चा करा दीजिए, यह बड़ा ही अहम मामला है ?

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इसमें स्पष्ट है कि माननीय सुब्रामनियम जी ने अप्रैल में एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि सर्वश्री राम शुगर वर्क्स, आजाद शुगर वर्क्स तथा ग्रामोद्योग केन शुगर लाजबुट के सम्बन्ध में शासन ने यह निर्णय लिया है कि इन 3 इकाइयों से लेवी की धनराशि अगली सीजन में वसूल कर ली जाय ? तो क्या माननीय मंत्री जी उन ग्राउन्ड्स को बताने की कृपा करेंगे जिनके कारण ऐसा किया गया था ? अन्यथा इसमें इन्क्वायरी करायेंगे जिनके कारण शासन ने यह निर्णय लिया था ? कितने ही लोगों को धारा 3/7 में डी0 आई0 आर0 में बन्द किया गया और शासन को बाद में, जून में ही, मजबूर होकर दूसरा सरक्युलर निकालना पड़ा।

श्री वासुदेव सिंह--

इसमें क्या बेइमानी हो सकती है ? शासन ने यह छूट नहीं दी है, मोहलत दी है और प्रदेश में बहुतों को दी है कि जो इस सीजन में रुपया न दे सके वह

अगली सीजन में दे दें। और माननीय सदस्य की अपनी जानकारी में यह है कि सचिव ने या किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है जिसमें भ्रष्टाचार अन्तर्ग्रस्त हो तो अवश्य जांच होगी, अन्यथा जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर शासन को इसमें जांच कराने में क्या परेशानी है ? (कोई उत्तर नहीं दिया गया)।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

अगर मामला साफ है तो जांच कराने में माननीय मंत्री जी को क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा है कि मोहलत दी है, छूट नहीं दी है।

एक सदस्य--

मोहलत का भी कोई आधार रहा होगा, उसको बताने में क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष--

मोहलत देने का अधिकार शासन को है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मोहलत दी है और फिर आश्वासन दिया है कि अगर आपको किन्हीं अनुचित कारणों से गलती महसूस हो तो उनके सामने लायें, तब वे जांच करा लेंगे। यह उन्होंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं अपनी जानकारी से इस बात को कह रहा हूं कि 50-50 हजार रुपये इन शुगर वर्क्स से शासन के पास गया है तो इसके ऊपर क्या वे जांच करायेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भ्रष्टाचार करता है मैं किसी को भी नहीं बचाऊंगा। (शासन पक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयीं) मैं यह स्पष्ट घोषणा करता हूं।

(व्यवधान)

श्री फखरे आलम--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो यार्डस्टिक बनाया था, क्या वह हर जगह लागू हुआ या केवल इन्हीं पर लागू हुआ था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

सहकारी समितियों के संचालन में खाद्य वितरण सम्बन्धी अनियमितता होते हुए भी दुकानों के लाइसेन्स निरस्त न करना

*3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--(अनुपस्थित)

क्या खाद्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि खाद्य सचिव द्वारा प्रदेश के कुछ जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों को जारी किए गए अर्धशासकीय पत्रांक 766/उन्तीस-खाद्य-6, दिनांक 13 अप्रैल, 1981 में इस आशय का निदेश दिया गया है कि सहकारी समितियों के संचालन में खाद्य वितरण सम्बन्धी अनियमितता पाये जाने पर भी दुकानों के लाइसेन्स निरस्त न किये जायें ? यदि हां, तो क्या सरकार पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि यह पत्र जारी करने का उद्देश्य क्या था ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां ।

इस आदेश को जारी करने का यही उद्देश्य था कि यदि सहकारी समितियों को दिये गये लाइसेन्स रद्द किये जाते हैं, तो पुनः निजी व्यापारियों को इस क्षेत्र में आने का अवसर मिलेगा जो कि शासन की नीति के प्रतिकूल होगा । उक्त पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1191 पर ।

बहराइच नगर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु प्रस्थापित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना

*4--श्री जटाशंकर सिंह--(अनुपस्थित)

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बहराइच खास की नगरीय गुंजान आबादी वाली भूमि जिस पर लगभग पचास से अधिक नागरिकों के आवासीय घर बीसों वर्षों से बने हैं, को आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत किये जाने की कार्यवाही जेरे अमल है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसे रोकने के लिए कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)--

जी हां ।

बहराइच नगर की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु बहराइच भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना प्रस्थापित की गई है ।

योजना के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों के गुणावगुण पर विचार करने के उपरान्त ही यथानुसार निर्णय लिया जा सकता है ।

साधन सहकारी समिति, बदनौरा, जनपद बुलन्दशहर के सचिव का निलम्बन

*5--श्री किरन पाल सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि 18/19-4-81 की रात को 11 बजे साधन सहकारी समिति, बदनौरा, जनपद बुलन्दशहर के सचिव, श्री मेहरचन्द को

ट्रक सहित चीनी ब्लैक करते हुए बदनौरा गांव वालों की मदद से ए0 आर0 ओ0 व एस0 एम0 आई0 ने रंगे हाथों पकड़ा था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

बदनौरा ग्रामवासियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 19-4-1981 को पूर्वाह्न में साधन सहकारी समिति लि0, बदनौरा के कार्यालय का जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, जिला बुलन्दशहर द्वारा दो अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया जहां एक खाली ट्रक खड़ा था तथा पांच बोरे चीनी बाहर रखी हुई पाई गई, चीनी ब्लैक नहीं हुई थी। फिर भी समिति के सचिव का आचरण संदिग्ध समझते हुये उसे निलम्बित कर दिया गया तथा उसके विरुद्ध थाना चांदपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।

श्री किरन पाल सिंह—

रिपोर्ट जो थाना चांदपुर में कराई गई वह किस तारीख को कराई गई तथा वह रिपोर्ट क्या है और किसने कराई ?

श्री बच्चा पाठक—

रिपोर्ट 19-4-81 को कराई गई।

श्री किरन पाल सिंह—

रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

कृपया रिपोर्ट पढ़ दें।

श्री बच्चा पाठक—

रिपोर्ट यह है "दिनांक 19-4-81 को कुछ ग्रामवासियों द्वारा जिला सहायक निबन्धक, (सह0) समितियां, बुलन्दशहर को सूचना दी गई। मौखिक सूचना एवं परगनाधिकारी, बुलन्दशहर को सम्बोधित श्री ओम प्रकाश सिंह के 19-4-81 के शिकायती-पत्र के आधार पर मैं, आज दिनांक 19-4-81 को प्रातः 9.30 बजे जिला सहायक निबन्धक, श्री राजकुमार वर्मा, श्री ज्ञानचन्द्र गुप्ता, वरिष्ठ हाट निरीक्षक एवं श्री हरीराम हाट निरीक्षक, बुलन्दशहर के साथ समिति के गोदाम जो, ग्राम बदनौरा में स्थित है पर निरीक्षण हेतु पहुंचा। समिति के सचिव श्री मेहरचन्द एवं काफी संख्या में ग्रामवासी मौके पर उपस्थित मिले। समिति के गोदाम के सामने एक छोटा ट्रक यू0 एस0 वाई0 5042 खड़ा हुआ मिला। गोदाम के सामने पांच बोरी चीनी बाहर पड़ी हुई मिली थी। समिति का गोदाम बन्द था। ग्रामवासियों ने बताया कि ट्रक 18-4-81 को यहां आया था। ग्रामवसियों ने बताया कि हमें शक है कि ट्रक चीनी लेने आया है और इसी उद्देश्य से हमने इसे रोका है। श्री मेहरचन्द, सचिव, समिति से स्टाक एवं बिक्री रजिस्टर मांगा तो वह प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे और बताया कि उक्त रिकार्ड बुलन्दशहर रखा है, जिसे लेने आदमी भेज दिया है। समिति गोदाम का ताला खुलवाकर निरीक्षण किया तो चीनी के 21 बोरे भरे हुए और एक कट्टा वजन लगभग 40 किलो

था और मिला। सुरक्षा की दृष्टि से पाचों बोरे बाहर से अन्दर गोदाम में रखवा दिये गये हैं। ग्रामवासियों की भीड़ का लाभ उठाकर ट्रक चालक ट्रक को लेकर चला गया। श्री मेहरचन्द, सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है तथा उनके स्थान पर दूसरे सचिव को चार्ज लेने के आदेश कर दिए गए हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते जांच व उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मेरी सूचना पर यह छापा डलवाया गया और यह ट्रक रास्ते में पकड़ी गई। जो रिपोर्ट अभी पढ़ी गई है, यह असत्य है। मेरे गांव का मामला है। ट्रक ब्लैक करने के लिए चीनी लेकर जा रहा था और रास्ते में पकड़ा गया। यह अधिकारी लोग आपस में मिल कर चीनी ब्लैक में बेचकर आपस में पैसा बांट कर खाते हैं। सचिव को भी, मेरी सूचना है, अभी सस्पेंड नहीं किया है और वह काम कर रहा है। तो इस सारे मामले की जांच क्या माननीय मन्त्री जी सी0 आई0 डी0 द्वारा करवायेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 दर्ज है, विवेचना चल रही है, उसके बाद ही कुछ होगा।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, सस्पेन्सन उसका कौन सा तारीख को हुआ ? यह बता दें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष --

आपके सामने मोतीलाल देहलवी जी खड़े हैं, आप बैठ जायं।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो कहा कि सचिव सस्पेन्ड है, लेकिन विधायक जी ने सूचना दी है कि वह कार्यरत है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो सूचना माननीय विधायक ने दी है, चूंकि उन्होंने रिपोर्ट दी थी, तो क्या उस आधार पर इसकी छानबीन करायेंगे और जिसने आपको यह गलत सूचना दी है कि वह कर्मचारी सस्पेन्ड है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, 1-4-82 को उसको सस्पेन्ड कर दिया गया है और जांच जो है, वह चल रही है, थाने में एफ0 आई0 आर0 दर्ज है।

(व्यवधान)

एक सदस्य-मान्यवर, अभी तो 1-4-82 आया ही नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, ये फस्ट अप्रैल फूल बना रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

माननीय मन्त्री जी, वह देख लें, उसे कब सस्पेन्ड किया गया ?

श्री बच्चा पाठक--

1-4-81 है, मान्यवर ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मामला इसके बाद का है, सस्पेन्ड पहले कैसे हो गया ?

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, यह मामला अप्रैल का है और अप्रैल में उस साधन सहकारी समिति को कितनी चीनी आवंटित की गई और वितरण रजिस्टर को सील किया गया या नहीं सील किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न में इतनी विशेष सूचना वह कैसे दे सकेंगे ?

श्री किरनपाल सिंह--

ऐसा है मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह मेरे गांव के पास की सोसाइटी है । मैंने उसके बारे में शिकायत की थी । रात में छापा डलवाया। रास्ते में ट्रक को पकड़वाया । वहां पर जिले के अधिकारियों की साजिश से मुझको मात खानी पड़ी । तब मान्यवर, मैंने यहां पर इस मामले को दिया । लेकिन मान्यवर, मुझको सदन के द्वारा मदद नहीं मिल पा रही है । मान्यवर यह मामला झुठलाया जा रहा है । क्या इस मामले को सी० आई० डी० को जांच के लिए माननीय मन्त्री जी देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष --

आपने इससे पहले भी यही प्रश्न किया था, उन्होंने तो कह दिया कि जांच चल रही है, थाने में एफ० आई० आर० दर्ज है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, यह मामला 18/19 अप्रैल, 1981 का है और मन्त्री जी ने कहा कि 1-4-81 को यानी 18 दिन पहले उसको सस्पेन्ड कर दिया गया, तो क्या कोई दूसरे मामले में उसको सस्पेन्ड कर दिया गया अथवा इसी मामले में उसे पहले ही सस्पेन्ड कर दिया गया ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, उपरोक्त मेहरचन्द, सचिव को 22-4-81 को निलम्बित किया गया था । वह गलती से पहले उत्तर आ गया था ।

जिला बांदा में मिडवाइफ ट्रेनिंग सेन्टर खोलने के आदेश

*6—श्री मित्रसेन—

क्या यह सही है कि बांदा शहर, जिला बांदा में मिडवाइफ ट्रेनिंग सेन्टर खोलने के आदेश शासन द्वारा इस वर्ष किए गए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

मार्च 1981 में बांदा में सहायक उपचारिका धात्रियों (ए0 एन0 एम0) के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी । बांदा में इसे स्थापित करने हेतु भवन की खोज की गई, परन्तु भरसक प्रयत्न करने पर भी इसके लिए बांदा में उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं हो सका है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने बताया कि भरसक प्रयास किया गया भवन उपलब्ध कराने का लेकिन उपलब्ध नहीं हो सका । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि भरसक प्रयास भवन उपलब्ध कराने का किस अधिकारी द्वारा कराया गया और मन्त्री जी कैसे सन्तुष्ट हो गए ? क्या कोई विज्ञापन स्थानीय पत्रों में भवन उपलब्ध कराने हेतु किया गया था ?

श्री लोकपति—

जिलाधिकारी, सी0 एम0 ओ0 के माध्यम से खोजवाया था । अगर माननीय सदस्य भवन उपलब्ध करा दें तो खोल देंगे, यह कटा नहीं है ।

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो वहां पर सी0 एम0 ओ0 पोस्ट हैं उन्हें विकास के कार्यों में रुचि नहीं है । जैसे उप केन्द्रों का निर्माण कराना है, एक नर्सेज होस्टल का निर्माण करवाना था । मिडवाइफ का कोई सेन्टर खोलना आदि वह इन कामों में रुचि नहीं ले रहे हैं । तो क्या माननीय मन्त्री जी मुझे वहां का स्थानीय विधायक होने के नाते भवन के चयन में मौका देंगे ?

श्री लोकपति—

मुझे स्वीकार है । भवन उपलब्ध करा देंगे, परियोजना वहीं है खोल देंगे ।

*7—श्री श्यामलाल वाजपेयी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद वाराणसी में जिला सहकारी बैंक में एडहाक बेसिस पर नियुक्ति

*8—श्री बनवारी राम (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में जिला सहकारी बैंक में माह सितम्बर, 1979 में जो एडहाक बेसिस पर नियुक्ति

की गई है उनको रेगुलर क्यों नहीं किया गया ? उनको रेगुलर कब तक कर दिया जायगा ?

श्री बच्चा पाठक--

जिला सहकारी बैंक, वाराणसी में सितम्बर, 1979 में जो व्यक्ति तदर्थ रूप से नियुक्त किए गए थे, उनको रेगुलर इसलिए नहीं किया जा सका है क्योंकि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 के अन्तर्गत केवल उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा चयनित व्यक्तियों को ही रेगुलर रूप से नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है ।

नगरपालिका, गोरखपुर द्वारा तहबाजारी के ठेके की नीलामी

*9--श्री केदारनाथ सिंह तथा श्री सूबेदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, गोरखपुर द्वारा अपने क्षेत्र में तहबाजारी वसूल करने का नियम है ? यदि नहीं, तो तमाम सड़क-पटरियों की तहबाजारी की ठेकेदारी नीलाम करके वर्तमान समय में नगरपालिका की सड़कों को क्यों अवरुद्ध किया जा रहा है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा 293 के अधीन सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से नगरपालिका तहबाजारी का ठेका दे सकती है ।

श्री केदारनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि नगरपालिका गोरखपुर में किन-किन बाजारों का तहबाजारी नीलाम किया गया और ठेकेदार कौन है और कितनी धनराशि में कब तक के लिए किया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

ठेकेदारों के नाम इस समय उपलब्ध नहीं हैं । जिन बाजारों की पटरी को नीलाम किया गया है उनको मैं बता दे रहा हूं । भेड़ियागढ़ सागसब्जी मार्केट, अलीनगर, हालसीगंज बन्धू सिंह, मोहद्दीपुर चारोफाटक, प्रेतिया हाता कलेक्ट्री चौराहा से दीवानी चौराहा, बबलीपुर भाई पुल, मछली बाजार, जी० आर० पी० चौराहा टैक्सी स्टैण्ड, नार्मल स्कूल, धर्मशाला रेलवे पुल, गिरजाघर, फरारोड जुज सड़क पटरी बस स्टैन्ड ।

लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर में दूषित ग्लूकोज चढ़ाने से बच्चों की मृत्यु

* 10--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 28 मई, 1981 को व उसके 3 दिन पश्चात् तक कानपुर के लाला लाजपतराय अस्पताल के बाल चिकित्सालय में दूषित ग्लूकोज चढ़ाने से कुल कितने बच्चों की मृत्यु हुई और यह ग्लूकोज किस फर्म से कितनी मात्रा में किसके आदेश पर खरीदा गया है ?

श्री लोकपति—

दिनांक 28 मई, 1981 को व उसके तीन दिन बाद तक कानपुर के लाला लालपत राय अस्पताल के बाल चिकित्सालय में किसी बच्चे की मृत्यु दूषित ग्लूकोज के कारण नहीं हुई। ग्लूकोज मेसर्स लैबरास कैमिकल्स, लखनऊ द्वारा केन्द्रीय औषधि भंडार, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आदेश दिनांक 21 फरवरी, 1981 के तहत निम्नलिखित मात्रा में सप्लाई किया गया था :—

(1) 5 प्रतिशत ट्रेक्सट्रोज सोलूशन—20,000 बोतल।

(2) 10 प्रतिशत ट्रेक्सट्रोज सोलूशन—2,000 बोतल।

(3) सोडियम क्लोराइड—4,000 बोतल।

श्री मोती लाल देहलवी—

अध्यक्ष महोदय, कानपुर के लाला लाजपतराय अस्पताल के बाल चिकित्सालय में 27-28 मई, 1981 को कितने बच्चों की मृत्यु हुई, यह मंत्री जी ने बताया है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जिन बच्चों की मौत हुई क्या उनको ग्लूकोज चढ़ाया गया था कि नहीं ? तीसरा प्रश्न जिन बच्चों की मृत्यु हुई ग्लूकोज चढ़ाने से। तो इस घटना का एक पत्र श्रीमती बीना गुप्ता ने वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, कालेज के प्रधानाचार्य को क्या लिखा था कि नहीं ? यदि लिखा था, तो वह पत्र क्या है ?

श्री लोकपति—

मान्यवर, चिकित्सालय में मृत्यु हुई लेकिन ग्लूकोज के कारण हुई, यह बात सत्य नहीं है। चिकित्सालय में 13 बच्चे दाखिल किये गये, उनको ग्लूकोज चढ़ाया गया। 13 में 3 बच्चों की मृत्यु हुई—एक की मृत्यु मस्तिष्क ज्वर के कारण, दूसरे की गैस्ट्रोइन्टाइटिस और तीसरे की मृत्यु ब्रांकी न्यूमोनिया के कारण हुई। यह सही है कि उनको भी ग्लूकोज चढ़ाया गया था। जहां तक किसी पत्र का उन्होंने हवाला दिया है तो चूंकि इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं था इसलिये उस पत्र की जानकारी नहीं है। यदि मान्यवर, आज्ञा देंगे तो जानकारी प्राप्त कर लेंगे, यदि चाहेंगे तो उसकी प्रतिलिपि सदन में भी रखूंगा।

श्री मोती लाल देहलवी—

उन बच्चों को जो ग्लूकोज चढ़ाया गया था उसकी क्या जांच करायी गयी थी ? मान्यवर, इसी से एक और प्रश्न जुड़ा है कि 1972 में कानपुर में काफी लोग ग्लूकोज के कारण मरे थे जिसकी चर्चा यहां हुई थी। उसके बाद से ग्लूकोज लाला लाजपत राय अस्पताल में संयंत्र लगाकर बनने लगा था। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस संयंत्र को क्यों हटा लिया गया और ग्लूकोज वहां बनना क्यों बन्द कर दिया गया है ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, ग्लूकोज का संयंत्र कानपुर में बन्द है, जिसको पुनः चालू करने की बात शासन के विचाराधीन है। ग्लूकोज की जांच करायी गयी थी, उसमें कोई त्रुटि नहीं पायी गयी थी।

डाक्टर एस0 एम0 दयाल, हेड आफ दि एनाटोमी डिपार्टमेन्ट, मेरठ के विरुद्ध एनाटामिकल कांफ्रेन्स में भाग लेने हेतु रियायती दर पर यात्रा करने की शिकायत

*11—श्री बलवीर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 एस0 एम0 दयाल, हेड आफ दि एनाटोमी डिपार्टमेन्ट, मेरठ मेडिकल कालेज ने एनाटोमी कांफ्रेंस में जाने के लिये 28-12-80 को श्री सी0 एस0 रमेश बाबू, लेक्चरर, एनाटोमी को कन्सेशनल टिकट पर यात्रा करने के उपरान्त डिपार्टमेन्ट से पूरे किराये तथा भाड़ा का यात्रा-भत्ता वसूल किया है ? क्या स्वास्थ्य निदेशक को 13-6-81 को इस सम्बन्ध की जानकारी का कोई पत्र मिला ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

डा0 दयाल के विरुद्ध दिसम्बर, 1979 में एनाटामिकल कान्फ्रेस में भाग लेने हेतु श्री सी0 एस0 रमेश बाबू, लेक्चरर इन एनाटमी के रियायती टिकट पर यात्रा करने की शिकायत प्राप्त हुई है । डा0 दयाल ने इस यात्रा के सम्बन्ध में पूरे दर से यात्रा भत्ता चार्ज किया है ।

इस सम्बन्ध में जूनियर डाक्टर एसोसिएशन, मेडिकल कालेज, मेरठ का शिकायती पत्र दिनांक 13-6-81 प्राप्त हुआ था । उसकी जांच प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा करायी गयी है और उनकी रिपोर्ट पर विचार हो रहा है ।

जिला बरेली, तहसील नवाबगंज पर बड़ा चिकित्सालय बनाने का निर्णय

*12—श्री चेतराम गंगवार—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को पता है कि जिला बरेली के तहसील नवाबगंज मुख्यालय पर पी0 एच0 सी0 को अपग्रेड करके शासन ने एक 30 शैय्या वाला बड़ा चिकित्सालय बनाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो अब तक उसका स्टाफ न आने और भवन न बनाये जाने का कारण क्या है ? इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही पूर्ण कर दी जायगी ?

श्री लोकपति—

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चेतराम गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गत वर्ष शासन ने प्रदेश भर में तहसील स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का उच्चीकरण करने का निर्णय लिया था तो फिर इस नवाबगंज मुख्यालय पर पी0 एच0 सी0 का उच्चीकरण क्यों नहीं किया गया है ?

श्री लोकपति—

उच्चीकरण की बात विचाराधीन है । नवाबगंज में भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है इसलिए इस पर कोई निर्णय अभी तक नहीं हो सका है ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, अगर वहां पर भूमि उपलब्ध करा दी जाय तो क्या स्वास्थ्य मंत्री आदेश देने की कृपा करेंगे कि वहां पर 40 शैय्याओं की डिस्पेंसरी बना दी जाय ? वहां की आबादी 6 लाख है और वहां गांव की दूरी बरेली शहर से 70 कि0 मी0 तक है । वहां जमीन उपलब्ध होने पर अविलम्ब चिकित्सालय की स्थापना करा देंगे क्या ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति--

श्रीमन् 40 शैय्याओं का कोई प्राविधान नहीं है । 30 शैय्याओं के उच्चीकृत चिकित्सालयों का निर्माण हो रहा है । अगर जमीन उपलब्ध करा देंगे तो अवश्य आदेश हो जायेंगे ।

जिलाधिकारियों द्वारा आपूर्ति निरीक्षकों की नियुक्तियां तथा पदोन्नति

* 13--श्री मसरूर जाफरी--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल में जनवरी, 1981 से 1-11-81 तक जिलाधिकारियों द्वारा आपूर्ति निरीक्षकों की नियुक्तियां की गयी हैं, जो न तो विभागीय कर्मचारी हैं और न लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 द्वारा चुने गये हैं ? क्या यह सही है कि प्रायुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के शासनादेश सं0 785/अ युक्त (पूर्ति)-अधि0--8-76, दिनांक 3 फरवरी, 1979 तथा पत्र सं0 138/आ0 पू0 कार्या0/128-80, दिनांक 7-1-81 के उपरान्त नई आपूर्ति निरीक्षकों के पद पर अनियमित ढंग से बिना ज्येष्ठता क्रम का ध्यान दिये हुये जनवरी, 1980 से 1-11-81 तक कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कोई ठोस कार्यवाही करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, मंत्री जी जवाब देने से कतरा रहे हैं चूंकि विभागीय घोटाला है ।

श्री अध्यक्ष--

15 दिन बाद घोटाले का पता लगायें, जब यह फिर आयेगा ।

* 14--श्री किरन पाल सिंह--

[7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिवालय डिस्पेंसरी का बजट तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को औषधि का वितरण

*15--श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय डिस्पेंसरी का क्या बजट है तथा उक्त डिस्पेंसरी में पर्चेज करके किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों को औषधि दी जाती है ? क्या मन्त्री जी ये भी बतायेंगे कि सचिवालय कर्मचारियों का मेडिकल कार्ड बनवाकर उस पर दवा वितरण प्रणाली विधि की कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति—

सचिवालय डिस्पेंसरी का वर्तमान वर्ष के लिए बजट ढाई लाख रुपये है। औषधियां आवश्यकतानुसार सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को दी जाती है। चूंकि सचिवालय अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालय परिसर में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र दिए हुए हैं अतः उन्हें दवा वितरण हेतु किसी अन्य कार्ड की आवश्यकता नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मान्यवर, मेरी निजी जानकारी है कि सचिवालय के कर्मचारी विशेष रूप से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अगर वह कहीं सचिवालय से बाहर किसी डाक्टर से इलाज करवाते हैं और परचा लेकर यहां आते हैं तो सचिवालय डिस्पेंसरी से उनको दवाइयां नहीं दी जाती हैं बड़े अफसरों को दवाइयां मिलती हैं। उनको स्लिप दे दी जाती है और कोई सदर में मेडिकल स्टोर है जहां से दवाइयां लेने को कह दिया जाता है। वह वहां 4, 5 दिन चक्कर लगाते हैं लेकिन उनको दवाइयां नहीं मिल पाती हैं जबकि कई केसेज ऐसे होते हैं जिनमें गंभीर प्रकार की बीमारी होती है तो दवाई न मिलने के कारण परपज फ्रस्टेट हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सचिवालय में इसी से अटैच एक मेडिकल स्टोर स्थापित करेंगे जिससे उनको समय पर औषधियां मिल सकें ?

श्री लोकपति—

इस पर विचार कर लेंगे।

गोरखपुर, रामगढ़ताल के सुन्दरीकरण तथा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार

*16—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगढ़ ताल के सुन्दरीकरण एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायगा ? यदि हां, तो विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उनकी रूप-रेखा क्या है ? क्या रामगढ़ताल के किनारे राष्ट्रीय राज मार्गों से निकलने वाली दो सड़कों का निर्माण हो गया है और क्या रुस्तमपुर कजाकपुर मार्ग निर्माण विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो कारण क्या है और कब तक बनेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

प्रश्नगत कार्य गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने की कोई योजना या वित्तीय प्रबन्ध वर्तमान में नहीं है। रामगढ़ताल के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलने वाली किसी नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। रुस्तमपुर कजाकपुर मार्ग निर्माण की कोई योजना प्राधिकरण के विचाराधीन नहीं है। यह मार्ग विकास प्राधिकरण का नहीं है।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि रामगढ़ताल के सुन्दरीकरण और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की 65 लाख रुपये की योजना जो विगत वर्षों में बनायी गयी थी उसको लागू करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, ऐसी कोई जानकारी मुझको नहीं है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, रामगढ़ ताल के सुन्दरीकरण और विकास करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा नवम्बर, 1981 में कोई बैठक बुलायी गयी थी जिसमें पिछली योजना को चालू करने की सरकार से मांग की गयी थी ? तो इस सम्बन्ध में मंत्री जी को कोई सूचना मिली है ? यदि हां तो वह क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, जिला स्तर पर जिलाधिकारी व अन्य अधिकारी सक्सर अपनी बैठकें किया करते हैं, उन सब की जानकारी मुझे यहां पर नहीं है ।

यू0 पी0 रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम में संशोधन किए जाने पर विचार

*17—श्री हरदेव (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 रेंट कन्ट्रोल अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

इस कार्य को शीघ्र ही सम्पन्न करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की अनियमितताओं की जांच

*18—श्री यशपाल सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की अनियमितताओं पर गठित जांच समिति के सभापति द्वारा मास सितम्बर, अक्तूबर, 1981 में निगम के प्रबन्ध निदेशक को हटाने तथा उनके विरुद्ध अलग से जांच कराने की सिफारिश किया है ? यदि हां, तो शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां । उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की वेयरहाउसिंग के संचालन एवं वर्किंग की समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में विधान परिषद् कार्यालय ने सूचित किया है कि उक्त प्रतिवेदन की मुद्रित प्रतियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं । प्रतिवेदन की एक अमुद्रित संलग्नकों रहित प्रति विधान परिषद् से दिनांक 1-2-82 को विभाग को प्राप्त हुई है ।

प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, भंडारागार निगम की अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक कमेटी बनायी गयी थी और उसमें दो मुद्दे थे। एक तो पहले प्रबन्ध निदेशक को तुरन्त हटाये जाने और दूसरा उनके विरुद्ध अलग से कार्यवाही करने का। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया कि प्रतिवेदन की कापी एक मिल गयी है, उसके अनुसार क्या प्रबन्धक को अब तक हटा दिया गया है या नहीं ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, 1 फरवरी, 1982 को प्रतिवेदन की एक प्रति मिली है। इस प्रतिवेदन का अभी परीक्षण किया जा रहा है, बाद परीक्षण के जांच कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, अनियमितताओं के लिए ही समिति गठित की गयी थी, अगर प्रतिवेदन मिलने के बाद और इसके परीक्षण के बाद जांच प्रारम्भ करने के पूर्व उस प्रबन्ध निदेशक को हटाकर कार्यवाही होगी, तो उचित होगा वरना उसी प्रकार अनियमितताएं होती रहेंगी। इसलिए माननीय मन्त्री जी क्या उस प्रबन्ध निदेशक को हटाकर जांच कार्यवाही प्रारम्भ कराने पर विचार करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

इसके ऊपर विचार करेंगे।

फार्मेसिस्टों को उच्चतर वेतनमान दिये जाने के संबंध में वेतन आयोग द्वारा संस्तुति

*19—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—(अनुपस्थिति)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि प्रदेश के फार्मेसिस्ट वर्ग ने अपनी 18 सूत्री मांगों को सरकार एवं विभागाध्यक्ष को नियमित रूप से माह नवम्बर, 1981 में दिया जिसमें विशेष रूप से वेतन की विसंगतियों की बात कही गई है ? यदि हां, तो इन मांगों के सन्दर्भ में सरकार ने क्या कार्यवाही किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां। फार्मेसिस्टों को उच्चतर वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में वेतन आयोग से संस्तुति की गई थी, किन्तु इसका कोई औचित्य नहीं पाया गया। उनकी कुछ अन्य मांगों के सम्बन्ध में जो निर्णय लिये गये हैं उनकी स्थिति निम्न प्रकार है :—

(1) फार्मेसिस्टों के लिये निर्मित आवास गृह केवल फार्मेसिस्टों को ही दिये जायं के सम्बन्ध में आदेश दिनांक 5-12-1981 को निर्गत किये जा चुके हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

(2) फार्मेसी कौंसिल आफ इंडिया में डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसियेशन के एक सदस्य को राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने हेतु सदस्य के रूप में मनोनीत कर दिया गया है ।

(3) सेवारत अप्रशिक्षित फार्मेसिस्टों की जो हाई स्कूल उत्तीर्ण हैं तथा जिन्होंने कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को एक वर्षीय सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के आदेश दिनांक 30 सितम्बर, 1981 को जारी कर दिये गये हैं ।

(4) राजकीय अस्पतालों के वार्डों में भरती रोगियों के लिये केवल एक ही दिन की ही दवा जारी करने के आदेश दिनांक 16-1-1982 को जारी कर दिये गये हैं ।

(5) फार्मेसिस्टों की सेवा नियमावली प्रख्यापित कर दी गई है ।

फार्मेसिस्टों के कुछ अन्य मांगों के सम्बन्ध में जिनमें वित्तीय मामले निहित हैं, अभी विचार किया जा रहा है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इमरजेंसी की अवधि में परिवार सीमित रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को देय वैयक्तिक वेतन

*1. श्री हरिवंश सहाय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि इमरजेंसी की अवधि में सरकारी कर्मचारियों पर तीन बच्चों का परिवार नियोजन लागू थी और एक निश्चित आयु के नीचे वालों के लिये नसबन्दी कराना अनिवार्य था, अन्यथा उनको सभी प्रकार के सरकारी अग्रिम पर रोक लगी थी ? यदि हां तो सरकार उक्त अवधि के कार्यरत कर्मचारियों को दो बच्चों वाले अपने वर्तमान आदेशों में निहित शर्तों के अधीन ही तीन बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन की सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में दो बच्चों तक परिवार सीमित रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को कतिपय शर्तों के अधीन वैयक्तिक वेतन का प्रोत्साहन देय है ।

इमरजेंसी के दौरान भी उक्त प्रोत्साहन दो जीवित बालकों के परिवार वाले सरकारी कर्मचारियों को कतिपय शर्तों के अधीन ही उपलब्ध था । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इमरजेंसी के दौरान सरकार के आदेशों का पालन करके जिन कर्मचारियों ने तीन बच्चों के बाद नसबंदी करा ली, तो क्या उन्हें भी वह सुविधा दी जायेगी, जो दो बच्चों वाले कर्मचारियों को प्राप्त है ?

श्री लोकपति—

तीन बच्चे वालों के लिए कोई सुविधा देने का प्राविधान नहीं है ।

श्री हरिवंश सहाय—

इमरजेंसी के दौरान जिन लोगों ने नसबंदी करायी थी, उनको उस समय की अब भी बीमारी चली आ रही है, तो क्या इसके लिए ऐसे लोगों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दिलायेंगे ?

श्री लोकपति—

बीमारी कम हो, इसीलिए यह प्राविधान किया गया है दो बच्चों का ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा जनसंख्या वृद्धि का सूबे और देश के सामने बहुत बड़ा संकट है, उसको देखते हुए, जो लोग आजीवन अविवाहित रहते हैं, उनको विशेष सुविधा देने की घोषणा करेंगे ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त हो जायं, प्रश्न का उत्तर नहीं सुनाई पड़ता, प्रश्न नहीं सुनाई पड़ता ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यह देखते हुए कि शासन के अधिकारियों से गलतियां होती रहती है, कहीं किसी गलती से टी० वी० या समाचार-पत्रों में इस बात की घोषणा कर दी गयी है कि 3 बच्चों वालों को भी वह रियायतें दी जायेंगी, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे ?

श्री लोकपति—

अगर मैंने कोई बात कही है तो दो तक ही सीमित है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, क्या उनको जीविकोपार्जन के लिये कुछ देने का कष्ट करेंगे ? ये तो कुंवारे रहते हैं, देश पर उपकार करते हैं, क्या उनको भी कुछ देंगे ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य । माननीय मन्त्री जी से आपकी तरफ से निवेदन कर रहा हूं । आप उनके कक्ष में जाकर विस्तृत विचार विनिमय कर लीजिये ।

(हंसी)

झांसी नगर में पेयजल आपूर्ति हेतु योजनायें

*2—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मन्त्री को यह जानकारी है कि झांसी नगर में पेयजल की भारी कमी है तथा आजकल झांसी जल संस्थान द्वारा लगभग दो लाख नागरिकों को पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त पेयजल की समस्या को तत्काल हल करने के लिए शासन ने क्या योजना बनाई है ?

श्री श्री कृष्ण गोयल—

जी नहीं ।

सभी नागरिकों को उपलब्धतानुसार पानी वितरित किया जा रहा है ।

पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त योजनायें विचाराधीन हैं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

झांसी नगर की जनसंख्या साढ़े तीन लाख है और इस समय झांसी के मोहल्लों नई बस्ती, तालपुरा, कुदड़ी, जड़ियापुरा, सागरगेट, गोंदू कम्पाउन्ड, मसीहागंज, हांरापुर, ध्यानचन्द कालोनी आदि की आबादी मिलाकर डेढ़ लाख है और जल निगम के द्वारा पाइपलाइन भी नहीं डाली गयी हैं और जो भी पानी उपलब्ध हो रहा है वह केवल डेढ़ लाख लोगों के लिये उपलब्ध होता है जहां कि पाइप लाइन बिछी हुई हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने यह कहा है कि शेष ऐसे मोहल्ले हैं, जहां लाइन नहीं बिछी हुई हैं, या जहां लाइन बिछी हुई है वहां पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, तो इसमें पानी उपलब्ध कराने के लिये आपकी क्या-क्या योजनायें हैं और वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

झांसी में जितना पानी उपलब्ध होना चाहिये उतना उपलब्ध नहीं है लेकिन फिर भी पूरी चेष्टा इस बात की की जा रही है कि पानी उपलब्ध कराया जाय । इसके अतिरिक्त एक अल्पकालीन योजना है, जिसके अनुसार 6 नलकूपों का निर्माण कराया जा चुका है, 3 खुले कुंओं पर पम्प लगाकर चालू कर दिया गया है। व 36 हैन्डपम्पों का निर्माण कराकर चालू कर दिया गया है । उक्त योजना के अन्तर्गत यह भी प्रस्ताव है कि कुछ अतिरिक्त नलकूपों का निर्माण कराया जाय व कुछ खुले कुंओं पर पम्प लगाकर जल वितरण प्रणाली से जोड़ दिया जाय ।

इसके अतिरिक्त पहुंज बांध से अतिरिक्त पानी प्राप्त करने हेतु योजना का निर्माण किया जा रहा है जिससे आशा की जाती है कि आने वाले ग्रीष्म ऋतु में झांसी शहर को 3 लाख गैलन पानी प्रतिदिन अतिरिक्त उपलब्ध होने लगेगा । पहुंज बांध से 10 लाख गैलन अतिरिक्त पानी प्राप्त करने हेतु उक्त योजना का निर्माण किया जा रहा है ।

मेडिकल कालेजों में भी नलकूपों के निर्माण की चेष्टा की जा रही है । यदि वहां भूमिगत जल मिल जाता है एवं नलकूप सफल हो जाते हैं तो मेडिकल कालेज को जो जल वर्तमान में लगभग 3 लाख गैलन उपलब्ध कराया जा रहा है। वह भी शहर में वितरण हेतु उपलब्ध हो जायगा ।

दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत माताटीला बांध से एक योजना का विरचन किया जा रहा है ।

उसके सफल हो जाने पर काफी समस्या का समाधान होगा और जिन मोहल्लों में पाईप लाईन नहीं बिछी हुई है, उन मोहल्लों में भी पाईप लाईन बिछाने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, यह जो माननीय मन्त्री जी ने जानकारी दी है तो यह बात तो वह अपने मूल उत्तर में स्पष्ट कर चुके हैं कि उपलब्धता के अनुसार पानी वितरित किया जा रहा है । मैंने उन्हें जिन मोहल्लों की जानकारी दी है, वह ऐसे मोहल्ले हैं जहां पाईप लाईन डाली ही नहीं गई है । झांसी की आबादी करीब तीन लाख या सवा तीन लाख के है और वहां पर डेढ़ लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है । झांसी में केवल 12,000 परिवारों के पास पानी के कनेक्शन हैं, शेष परिवार बिना कनेक्शन के पड़े हुये हैं और उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है । पानी की समस्या आज है और मन्त्री जी ने जो योजना बताई है, उसके कार्यान्वयन में तो मान्यवर,, बहुत समय लग जाने की सम्भावना है । आज झांसी में पानी के अभाव में भयंकर स्थिति है । पानी की समस्या की जानकारी कई बार मन्त्री जी को दी जा चुकी है, इसके बाद भी वहां के लोगों के लिये पानी नहीं है । क्या आप वहां के लोगों के लिये तुरन्त पानी दिये जाने की कोई व्यवस्था करेंगे, चाहे हैन्ड पम्प लगवाकर ट्यूबवेल बनवाकर ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, लगता है कि माननीय सदस्य को आबादी ज्यादा होने से खुशी होती है, क्योंकि झांसी की आबादी जितनी बता रहे हैं, वहां इतनी आबादी नहीं है । अभी 1981 की जनगणना के अनुसार झांसी की आबादी 1,77,329 है । लेटेस्ट आंकड़े वहां के बारे में अभी उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी अब तक वहां की आबादी ज्यादा से ज्यादा ढ़ाई लाख हो गयी होगी । आपने जो बताया उसके अनुसार आबादी बढ़ाना चाहते हैं । मैंने मान्यवर, पहले ही बता दिया है कि झांसी में 17 मोहल्लों में पानी की नलिकायें बिछी हुई नहीं हैं । शासन प्रयत्नशील है कि इन मोहल्लों में भी पानी जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जा सके, चाहे हैन्ड पम्प के द्वारा या जिस तरह से भी पानी वहां पहुंचना चाहिये, पानी वहां पर पहुंचाया जायेगा ।

श्री मेंहदी असगर—

मान्यवर, झांसी में जहां पर पानी के लिये पाईप लाईन नहीं बिछी हैं, वहां पर कब तक पाईप लाईन बिछा दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अलग से प्रश्न है, इसे आप अलग से पूछ लें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा

झांसी में प्रति व्यक्ति प्रति गैलन के हिसाब से पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

झांसी में हम 77 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी उपलब्ध करा रहे हैं । कोशिश यह हो रही है कि एक लाख लोगों को हम जल्द से जल्द पानी उपलब्ध करा दें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

झांसी में आप प्रति व्यक्ति कितना पानी दे रहे हैं और आगे के लिये जो आप कोशिश कर रहे हैं पानी उपलब्ध कराने की तो यह कितनी अवधि के अन्दर आप उन्हें पानी दे पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

अवधि के बारे में तो आप कुछ बता सकते हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, झांसी क्या पूरे बुन्देलखन्ड की अर्जेन्ट स्थिति है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द और अधिक से अधिक पानी झांसी में उपलब्ध कराने की योजना है शासन की।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि झांसी नगर में जो पानी की व्यवस्था है, उसका भी पूरी क्षमता के साथ उपलब्ध न हो पाने में वहां पर जो पेयजल सप्लाई के लिये पानी की टंकी है, उसमें घटिया किस्म की सीमेन्ट तथा सारा सामान घटिया किस्म का लगा हुआ है, जिसके कारण पानी पूरी क्षमता से सप्लाई नहीं हो पाता है। तो क्या मन्त्री जी उस टंकी को रिप्लेस करने तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने टंकी बनाने में घटिया सामग्री का प्रयोग कराया, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की चेष्टा करेंगे, जिसने की घटिया सामान का उपयोग कराया है, वहां पर ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, यह तो एक नई बात सूबेदार सिंह जी ने पैदा कर दी है। अगर कोई खराबी है, हमारे नोटिस में आयेगी, तो हम ठीक भी करेंगे और दोषी अधिकारियों को दन्डित भी करेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं आपसे प्रश्न संख्या 16, जो गौरी देवी जी का था, माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में बैठे हैं, आपके द्वारा स्पष्टीकरण चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त भी नहीं हुआ, प्रश्नों के बीच में ....

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय विकास मन्त्री जी ने कहा था ....

श्री अध्यक्ष--

आप अलग से दे दें, उसका उत्तर आ जायेगा।

श्री रियासत हुसैन--

क्या जिले से कोई स्कीम आई है बन कर ?

नोट :--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया, उनके सम्बन्ध में उत्तर भी समाप्त हो गये । इस संबंध में और जानकारी चाहते हैं तो उस प्रश्न से संबंधित दूसरे नियम में दीजिये ।

अतारांकित प्रश्न

देवरिया जिलान्तर्गत भटनी, भाटपार रानी तथा बनकटा में होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की योजना

1—हरिवंश सहाय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत भटनी, भाटपार रानी तथा बनकटा में होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो चिकित्सालय कब तक खुल जायेंगे ?

श्री लोकपति—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कोआपरेटिव बैंक, देवरिया के सचिव के विरुद्ध शिकायतें

2—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कोआपरेटिव बैंक, देवरिया के सचिव के विरुद्ध कितनी शिकायतें शासन को 1-1-81 से 15-11-81 तक प्राप्त हुई हैं ? उन पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

जिला सहकारी बैंक लि0, देवरिया के सचिव के विरुद्ध कोई शिकायत 1-1-81 से 15-11-81 तक विभाग को नहीं प्राप्त हुई है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिलान्तर्गत बनकटा ब्लाक में सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायतें

3—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बनकटा ब्लाक में सुपरवाइजर (अयोध्या प्रसाद) के विरुद्ध कितनी शिकायतें 1-1-81 से 15-11-81 के बीच प्राप्त हुई हैं ? शिकायतों की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बच्चा पाठक—

कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । अतः जांच रिपोर्ट का कोई प्रश्न उठता ।

जिला बांदा में पेयजल टंकियों का निर्माण

4--प्रो० चन्द्रप्रकाश शर्मा :-

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बांदा जिले के बांदा नगर के लिए पेयजल टंकियों का निर्माण कार्य सीमेंट के अभाव में धीमा चल रहा है ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने के लिए सीमेंट की शीघ्र व्यवस्था की जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

टंकियों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए निकट भविष्य में अधिक सीमेंट उपलब्ध होने की आशा है ।

जनपद हरदोई की टाउन एरिया, कुरसठ की स्थापना अनुदान तथा कर्मचारियों का बकाया वेतन

5--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की टाउन एरिया, कुरसठ को अब तक स्थापना अनुदान न दिए जाने के क्या कारण हैं ? और क्या यह भी सत्य है कि उक्त टाउन एरिया के कर्मचारियों को गत कई महीनों से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

टाउन एरियाओं की स्थापना व्यय हेतु अनुदान दिये जाने का कोई प्राविधान बजट में नहीं है । टाउन एरिया, कुरसठ में केवल एक बख्शी कार्यरत है । धनाभाव के कारण इस कर्मचारी को माह सितम्बर, 1981 से वेतन नहीं मिला है । जिला मैजिस्ट्रेट को लिखा गया है कि बकाया करों की वसूली व आय के नये साधन जुटाकर बकाये वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें ।

6--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

वाराणसी जिले में लाइसेन्सियों को सीमेन्ट का आवंटन

7--श्री ऊदल--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के प्रत्येक ब्लाकों में अलग-अलग कितने सीमेंट के स्टाकिस्ट हैं और 1980-81 व 81-82 में अब तक प्रत्येक दुकान को प्रत्येक तिमाही में कितने मीट्रिक टन सीमेन्ट का कोटा एलाट किया गया है ?

श्री वासुदेव सिंह--

वाराणसी जिले के प्रत्येक ब्लाक में सीमेन्ट लाइसेन्सियों की संख्या निम्नवत् है :

नाम ब्लाक	लाइसेन्सियों की की संख्या
1---हरहुआ	3
2--पिण्डरा	3
3---काशी विद्यापीठ	2
4---बड़ा गांव	6
5---सेवापुरी	6
6---चिरई गांव	2
7---चोलापुर	3
8---आराजी लाइन	7
9---नियामताबाद	3
10--चहनियां	3
11---बरहनी	2
12---सकलडीहा	3
13---चन्दौली	4
14--धानापुर	3
15--चकिया	2
16---नौगढ़	1
17---सहबगंज	2
18---डीघ	5
19--ज्ञानपुर	3
20--सुरियावां	4
21--भदोही	3
22--औराई	3
कुल ..	73

वर्ष 1980-81 व 1981-82 में प्रत्येक लाइसेन्सी को किये गये आवंटन की सूची संलग्न† है।

†देखिए नत्थी (ख) आगे पृष्ठ 1193 पर।

विधान सभा पुस्तकालय

ग्राम पचपेड़ा, जिला बरेली स्थित इन्टीग्रेटेड राजकीय चिकित्सालय के भवन का निर्माण

8—श्री चेतराम गंगवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला बरेली के ग्राम पचपेड़ा, तहसील नवाबगंज में पिछले 10 वर्ष से एक इंटीग्रेटेड अंग्रेजी चिकित्सालय सरकार द्वारा संचालित है और इसका भवन अब तक नहीं बना है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि भवन कब तक बनवा दिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

जी हां । ग्राम पचपेड़ा, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली स्थित इन्टीग्रेटेड राजकीय चिकित्सालय सन् 1973 से निःशुल्क भवन में कार्य कर रहा है ।

साधन उपलब्ध होने पर ही चिकित्सालय का अपना भवन निर्मित कराया जा सकेगा ।

9—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[21-1-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 83 द्वारा उत्तरित]

10—श्री राम आसरे वर्मा—

[6ठें गुरुवार के लिए स्थगित]

विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में चीनी तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की चोर-बाजारी सम्बन्धी शिकायती-पत्र

11—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में चीनी तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं और पुष्टाहार योजना के चावल की चोर बाजारी के सम्बन्ध में दिनांक 10-11-81 को जनता पार्टी के भू0 पू0 एम0 एल0 ए0 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने जिलाधिकारी, फैजाबाद को एक पत्र भेजकर शिकायत किया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और शिकायतों की जांच करा कर दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा के विरुद्ध फर्जी हाई स्कूल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने का आरोप

श्री जटाशंकर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमवा हुसेनपुर, जनपद बहराइच में कार्यरत ए0 एन0 एम0 श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा के द्वारा फर्जी हाई स्कूल सर्टिफिकेट, गलत जन्म तिथि प्रस्तुत करने एवं उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र 6 जुलाई, 1981 अथवा उसके आसपास सी0 एम0 ओ0, बहराइच अथवा उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच एवं कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

प्रश्नगत शिकायती पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच के कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। परन्तु श्रीमती अन्नपूर्णा शर्मा के विरुद्ध जाली हाई स्कूल सार्टिफिकेट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अन्य क्षेत्रों से प्राप्त शिकायती-पत्र पर जांच कराई गई थी। जांचोपरान्त श्रीमती शर्मा को वर्ष 1979 की हाई स्कूल परीक्षा में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण पाया गया। इसकी पुष्टि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के सचिव द्वारा भी कर दी गई है। मामले में जांच अधिकारी ने सूचित किया है कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर श्रीमती शर्मा के हाईस्कूल का परीक्षाफल एवं जन्मतिथि सही पाई गई है।

पेयजल योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से चालू रखने हेतु गढ़वाल संस्थान के मुख्यालय का स्थानान्तरण

13—श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के विधायकों तथा जनता ने कोई ऐसी मांग 1980-81 में की है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी की पेयजल योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से चालू रखने के लिए गढ़वाल संस्थान का मुख्यालय पौड़ी स्थानान्तरित कर दिया जाय ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

झांसी नगर में पेयजल की पूर्ति हेतु टंकी का निर्माण

14—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि पुनिया नं0-9 झांसी नगर में पेयजल की पूर्ति हेतु जल निगम (उ0 प्र0) द्वारा सन् 1978-79 में पानी जमा करने का टंकी बनाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त टंकी में आज तक पानी न भरने के क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां।

टंकी में लीकेज पाया गया। अतः उसकी मरम्मत के बाद ही पानी भरा जाना संभव हो सकेगा।

फर्रुखाबाद के ग्राम पिथनापुर एवं खुटिया में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव

15—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उन्हें दिनांक 19-9-80 को फर्रुखाबाद जनपद के विकास खंड राजेपुर के ग्राम पिथनापुर एवं खुटिया में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक स्वीकार किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां। उक्त ग्रामों में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के प्रश्न पर वर्ष 1982-83 में विचार किया जायगा।

फतेहगढ़ में आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने का सुझाव

16—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ़ में आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने का सुझाव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री लोकपति—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० सी० घस्माना की यू० पी० पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ में सचिव के पद पर नियुक्ति का आधार

17—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

क्या सहकारिता मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ के वर्तमान संचालक मण्डल ने श्री एस० सी० घस्माना, अवकाश प्राप्त सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों की नियुक्ति उक्त बैंक के सचिव के पद पर किये जाने का आधार क्या है ?

श्री बच्चा पाठक—

श्री एस० सी० घस्माना, अवकाशप्राप्त, सहायक निबन्धक की यू० पी० पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ में सचिव के पद पर नियुक्ति का आधार उक्त कमेटी के संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 26-4-81 को पारित प्रस्ताव संख्या-7 (2) के साथ पठित सहकारी समिति उप निबन्धक (केन्द्रीय), लखनऊ द्वारा दिया गया अनुमोदन है। उक्त अनुमोदन के उक्त उप निबन्धक द्वारा बाद में अप्रवर्ती करने पर श्री घस्माना माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर उक्त बैंक में सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

सेवानिवृत्त नर्सिंग असिस्टेंट श्री एनिजाद हुसैन की पेंशन के भुगतान में विलम्ब

18—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एनिजाद हुसैन पुत्र श्री इरशाद हुसैन, स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग असिस्टेंट के पद से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुदौली, जिला बाराबंकी से 31 अक्तूबर, 1978 से सेवानिवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अभी तक इनकी पेंशन मन्जूर नहीं की गई और पेंशन के कागजात सी० एम० ओ०, बाराबंकी के यहां अधूरा पड़ा है, ?ो क्या क्यों

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

19--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि संयुक्त निदेशक (बाल रोग), उ0 प्र0 ने अपने पत्रांक 4 (दो)-20-ई0-46-पार्ट 2-4597, दिनांक 18 मार्च, 1981 के द्वारा सी0 एम0 ओ0, बाराबंकी को लिखा कि पत्र पाने के पन्द्रह दिन के अन्दर ही पेंशन का भुगतान कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि 8 माह बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई ? क्या यह भी सत्य है कि उनकी सेवा पंजिका भी विभाग में नहीं है ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीटी, जिला फैजाबाद की दयनीय दशा को सुधारने हेतु कार्यवाही

20--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भीटी, जिला फैजाबाद की इमारत खराब हालत में है और बरामदा टूट गया है और कोई डाक्टर नहीं है, आक्सीजन सेलेण्डर डेड पड़ा है और अस्पताल की हालत बहुत ही दयनीय है ? यदि हां, तो अब तक डाक्टर क्यों नहीं भेजा गया और अस्पताल की दयनीय स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार का वितरण

21--श्री रियासत हुसैन--

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में माह सितम्बर, अक्तूबर, 1981 में ए0 डी0 एम0 (एस) द्वारा इंफोर्समेंट वर्क के लिए 500 रुपये के पुरस्कार जो वितरण हुए, वह किन-किन लोगों को दिये गये और उसका आधार क्या था ?

श्री वसुदेव सिंह--

जी हां, जनपद मुरादाबाद में माह सितम्बर/अक्तूबर, 1981 में प्रवर्तन तथा तत्सम्बन्धित उत्कृष्ट कार्य के लिए 500 रुपये निम्नलिखित कर्मचारियों को वितरित किये गये--

1--श्री बी0 एस0 बिस्ट

2--श्री डी0 एस0 राणा

3--श्री जे0 डी0 शर्मा

4--श्री पुत्तन बाबू

5—श्री पी0 के0 लोमस

6—श्री एस0 के0 जौहरी

7—श्री आर0 डी0 शर्मा

8—श्री नसीम अहमद

9—श्री के0 सी0 तिवारी

10—श्री रामेन्द्र कुमार

11—श्री संत राम

12—श्री धीरेन्द्र कुमार

वितरण का आधार उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा किया गया उत्कृष्ट कार्य है ।

साधन सहकारी समिति लि0, हैदराबाद, जनपद फैजाबाद के गोदाम के शिलान्यास पर व्यय

22—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि साधन सहकारी समिति लिमिटेड, हैदराबाद, ब्लाक कटेहरी, जनपद फैजाबाद के गोदाम का उद्घाटन मण्डलीय मन्त्री श्री प्रवीण कुमार शर्मा ने दिनांक 24 नवम्बर, 1981 को किया ? समिति का उक्त उद्घाटन कार्य में कितना धन किस-किस मद में व्यय हुआ ?

श्री बच्चा पाठक—

उद्घाटन नहीं अपितु शिलान्यास किया गया था ।

उक्त कार्य में पूजा में 6·23 रु0 पत्थर की बनवाई में 195·00 तथा फोटोग्राफी पर 50 रु0 व्यय हुए ।

जनपद शाहजहांपुर में सहकारी पर्यवेक्षक व सचिव का निलम्बन

23—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 30-11-81 को कितने सहकारी पर्यवेक्षक व सचिव किस-किस तिथि से वित्तीय हस्त पुस्तिका पार्ट 2 के मूल नियम 53 के अन्तर्गत निलम्बित हैं ? उनके मामले में जिला स्तर से क्या कार्यवाही की गयी और अब तक कार्यवाही पूर्ण न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

दिनांक 30-11-81 को वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 2 के मूल नियम 53 के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में कोई सहकारी पर्यवेक्षक व सचिव निलम्बित नहीं है अतः कार्यवाही पूर्ण करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

टाउन एरिया भटनी, लार, सलेमपुर, जनपद देवरिया में सीमेन्ट हेतु आवेदन-पत्र

24- श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि टाउन एरिया भटनी, लार, सलेमपुर, जनपद देवरिया में मई, 1981 से अब तक किन-किन लोगों ने सीमेंट हेतु आवेदन-पत्र दिया है ? उनमें से किन-किन को कितनी-कितनी मात्रा में कब-कब सीमेंट आवंटित का गयी है ?

श्री वासुदेव सिंह--

टाउन एरिया भटनी, लार एवं सलेमपुर, जनपद देवरिया में मई, 1981 से अब तक सीमेंट हेतु आवेदन-पत्र देने वाले व्यक्तियों व प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम, दी गई सीमेंट की मात्रा, बोरियों में सीमेंट दिये जाने के दिनांक सहित सूची सम्बन्धित जिलाधिकारी, देवरिया से प्राप्त हो गई है, जो विस्तृत होने के कारण संलग्न न होकर खाद्य मंत्री कक्ष में उपलब्ध है, जिसे देखा जा सकता है ।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, भटहट, जिला गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

25- श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, भटहट, जिला गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सम्बन्ध में कितने शिकायती-पत्र वर्ष 81 में शासन को मिले ? क्या शिकायतों की जांच कराई गयी ? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

26--श्री कुबेर भंडारी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त] ।

विकास प्राधिकरण के कार्यालय में स्वीकृति हेतु प्राप्त हुये मानचित्र तथा नक्शों की स्वीकृति में विलम्ब

27--श्रीमती गौरी देवी--

क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण से भवनों के निर्माण के लिए नक्शा पास करना आवश्यक है ? यदि हां, तो जनवरी, 79 से नवम्बर, 81 तक कुल कितने आवेदनकर्ताओं ने अपने नक्शे पास होने के लिए आवेदन किया और कितने को भवन बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ? क्या यह सच है कि स्वीकृति मिलने में विलम्ब होने के कारण अनेक आवेदनकर्ताओं ने अपने भवन निर्मित करा लिए हैं ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण नक्शा पास करने वाले अवर अभियन्ताओं और अधिकारियों द्वारा 300 रु० प्रति आवेदनकर्ता द्वारा अतिरिक्त धनराशि लेना है ? यदि नहीं, तो नक्शा न पास होने का कारण क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

हां । माह जनवरी 1978 से माह नवम्बर 1981 तक कुल 3,968 मानचित्र स्वीकृत हेतु विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त हुए जिसमें से 1,824 मानचित्र स्वीकृत किये गये ।

यह सच नहीं है कि स्वीकृति में विलम्ब होने के कारण आवेदनकर्ताओं ने अनधिकृत निर्माण करवा लिया है। नक्शों की स्वीकृति में विलम्ब होने का मुख्य कारण नियमानुसार बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये प्रस्ताव प्रेषित करना, भूप्रयोग के विपरीत प्रस्ताव प्रेषित करना, तथा अन्य तकनीकी कमियां हैं ।

गोरखपुर नगरपालिका के अन्तर्गत गांवों का समायोजन तथा किसानों को दी गई नगरीय सुविधायें

28—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर पालिका के अन्तर्गत किन-किन गांवों को समायोजित कर लिया गया है ? और उनके विकास तथा उन गांवों के खेतिहर किसानों को क्या सुविधा प्रदान की जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत संगठित गोरखपुर 'नगर' में जो गांव समायोजित किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है। नगर महापालिका का विधिवत गठन होने के पश्चात् प्रश्नगत क्षेत्र में भी संसाधनों के अनुसार 'नगरीय' सुविधायें प्रदान की जायगी ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1202 पर ।)

बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर में कार्यरत टेक्नीशियन को निःशुल्क आवासीय सुविधा देने पर विचार

29—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर में कुल कितने आपरेशन थियेटर टेक्नीशियन एवं सुपर-वाइजर कार्यरत हैं ? क्या यह आकस्मिक सेवा करते हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें अन्य आकस्मिक कर्मचारियों की भांति मकान निःशुल्क मिलता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें निःशुल्क आवासीय सुविधा देने पर विचार करेगी ?

श्री लोकपति—

इस मेडिकल कालेज में चार आपरेशन थियेटर टेक्नीशियन कार्यरत हैं । कोई सुपरवाइजर कार्यरत नहीं है ।

केवल विशेष परिस्थितियों में जब नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तब इनको आकस्मिक सेवा करनी पड़ती है ।

इनको निःशुल्क आवास की सुविधा अनुमन्य नहीं है और न ही उनको इसकी सुविधा दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ।

जिला आजमगढ़ के सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सीमेन्ट की दुकान खोले जाने से सम्बन्धित पत्र

30—श्री पंचानन राय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सीमेन्ट की दुकान खोले जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 1981 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सीमेन्ट की दुकान खोले जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 1981 शासन को प्राप्त हुआ है ।

शासन के रेडियोग्राम संख्या 9354/29-8, दिनांक 29 जुलाई, 1981 द्वारा सीमेन्ट के नये लाइसेन्सियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिसके कारण जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में सीमेन्ट का लाइसेन्स निर्गत नहीं किया गया है ।

जनपद बाराबंकी में शीतगृह का निर्माण

31—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत क्रय-विक्रय समिति, रुदौली द्वारा भेलसर चौराहे से रुदौली कस्बे को जाने वाले मार्ग पर बन रहे शीतगृह के काम को अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या सरकार उस अधूरे काम को आगामी सीजन तक पूरा कराकर चालू किए जाने का आदेश देगी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

समिति तथा ठेकेदार के मध्य उत्पन्न विवाद के कारण 1-12-80 से भवन निर्माण कार्य बन्द है । विवाद को निपटाकर निर्माण कार्य यथासम्भव शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद मिर्जापुर में कोयले का लाइसेन्स तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को वरीयता

32—श्री कल्लूराम—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1981-82 में जनपद मिर्जापुर में कोयले का लाइसेन्स कितने व्यक्तियों को दिया गया है ? उसमें कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को क्या वरीयता दी गयी है ? यदि वरीयता नहीं दी गयी है तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर जनपद में विकास खंडों को सीमेन्ट का लाइसेन्स तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को वरीयता

33--श्री कल्लू राम--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 में मिर्जापुर जनपद में ब्लाक वाइज सीमेन्ट के दुकान हेतु कितने व्यक्तियों को लाइसेन्स प्रदान किए गए हैं ? उन लोगों को लाइसेन्स देने का आधार क्या रहा है, कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को सीमेन्ट का लाइसेन्स प्रदान किया गया है ?

श्री वासुदेव सिंह--

वित्तीय वर्ष 1981-82 में मिर्जापुर जनपद में केवल सिटी विकास खंड में 3 (तीन) सीमेन्ट के लाइसेन्स दिए गए थे। उक्त सीमेन्ट लाइसेन्स देने का आधार जनसंख्या, वरीयताक्रम एवं आर्थिक क्षमता रहा है।

अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति श्री वासुदेव ग्राम सिनहर, जिला मिर्जापुर को सीमेन्ट का लाइसेन्स दिया गया था परन्तु उनके विरुद्ध शिकायत होने पर जांच कराई गई और उनका लाइसेन्स निलम्बित कर उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जो संतोषजनक न पाए जाने पर उनके लाइसेन्स को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।

मुहल्ला फूलबाग, लखनऊ में स्थित शंकरपुरी कालोनी में पार्क की भूमि पर अनधिकृत कब्जे को हटाने की कार्यवाही

34--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ला फूलबाग, लखनऊ में स्थित शंकरपुरी कालोनी में बच्चों के लिए एक पार्क बनाने के लिए जगह छोड़ी गयी थी, उस पर अभी तक शासन के आदेशों के बावजूद पार्क क्यों नहीं बनाया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर लोगों ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर अनधिकृत कब्जे हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

आर्थिक कठिनाइयों के कारण पार्क नहीं बनाया जा सका।

प्रश्नगत भूमि पर दो एक व्यक्तियों ने अपने घरों के सामने चबूतरे आदि बना लिए हैं। उन अनाधिकृत कब्जे को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

35--श्री राम नारायण सिंह--

[6ठें गुरुवार के लिए स्थगित।]

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों (पुरुष व महिला) के पद तथा स्थायीकरण

36--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान समय में प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारियों के कुल कितने पुरुष व

महिला के पद हैं तथा कितने पुरुष व महिला चिकित्साधिकारी, दिसम्बर 1981 तक स्थायी किए गए हैं तथा उनमें अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कितने पुरुष व महिला चिकित्साधिकारी स्थायी किए गए हैं ?

श्री लोकपति--

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों के निम्नलिखित पद हैं—

पुरुष	4,334
महिला	925

दिसम्बर 1981 तक 690 पुरुष तथा महिला के 180 के चिकित्साधिकारियों का स्थायीकरण किया जा चुका है। उनमें 6 अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति के पुरुष अधिकारी एवं एक अनुसूचित जनजाति के महिला चिकित्सा अधिकारी का स्थायीकरण किया गया है।

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में अनुसूचित जाति/जनजाति के चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति

37--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा सेवा में कितने अनुसूचित जाति व जन जाति के चिकित्सा अधिकारी हैं जो पदोन्नति हेतु 8 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके हैं ? क्या इन अधिकारियों की पदोन्नति विभाग में उपलब्ध अग्रनीत आरक्षित पदों पर किया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में 19 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के चिकित्सा अधिकारी हैं जो सीनियर स्केल में प्रोन्नति हेतु 8 वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर चुके हैं। इनमें से दो अधिकारी पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त पाये गये हैं और 2 अधिकारियों की पदोन्नति का मामला शासन के विचाराधीन है। शेष 22 अधिकारियों का स्थायीकरण अभी नहीं हुआ है। स्थायीकरण के उपरान्त ही अग्रनीत आरक्षित पदों पर इन अधिकारियों का प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करना सम्भव हो सकेगा।

सहकारी बैंकों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के चयन में चयन समिति के अध्यक्षों को हटा देना

38—श्री बलबीर सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी बैंकों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को चयन करने के लिए चयन समिति में से सहकारी बैंकों के अध्यक्षों को हटा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां।

ऐसा जनहित में किया गया।

नगरपालिका अकबरपुर, फैजाबाद में अम्बेडकर नगर नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव

39—श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री शेरबहादुर तथा श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका अकबरपुर, जिला फैजाबाद में अकबरपुर टाण्डा-बसखारी तिराहा पर संविधान के निर्माता डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने एवं नगर पालिका सीमावृद्धि के बाद नये क्षेत्र का अम्बेडकर नगर नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही सम्पन्न हो जावेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, प्रश्न नहीं उठता ।

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में अतिरिक्त निदेशक के रिक्त पद

40—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में अतिरिक्त निदेशक स्तर के कुल कितने पद हैं व कितने अनुसूचित जाति, जन-जाति हेतु आरक्षित पद हैं तथा उन आरक्षित पदों पर कितने अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या पदोन्नति हेतु वांछित सेवाकाल पूर्ण करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति अतिरिक्त निदेशक के पद पर किया जाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक पदोन्नति सम्पादित हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में अतिरिक्त निदेशक स्तर के चार पद हैं और इस समय अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोई अधिकारी इस पद पर कार्यरत नहीं है । इन सभी पदों पर सामान्य वर्ग के अधिकारी कार्यरत हैं । इस समय अतिरिक्त निदेशक का कोई पद रिक्त नहीं है । भविष्य में होने वाली रिक्तियों पर पदोन्नति नियमानुसार की जायगी ।

41—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

(6ठे गुरुवार के लिए स्थगित)

श्री हाकिम सिंह की अस्थायी किरायेदारी खत्म करने सम्बन्धी नगरपालिका शाहजहांपुर द्वारा दी गई नोटिस

42—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, शाहजहांपुर के मुहल्ला तारीन टिक्सी में कारी सईयद अहमद स्ट्रीट (केन आफिस रोड) पर श्री हाकिम सिंह ने 8 फीट 22.9 फीट भूमि अपने मकान के सामने दिनांक 6-8-80 को अपने नाम आवंटित कराई है जिस पर अदालत मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के यहां से दिनांक 26-8-81 को हाकिम सिंह के पक्ष में निर्णय भी हो चुका है ? इस आवंटित भूमि से किरायेदारी खत्म करने के लिए नगरपालिका ने दिनांक 8-9-81 को नोटिस दिया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

न्यायालय ने श्री हाकिम सिंह को प्रश्नगत भूमि पर नगरपालिका का किरायेदार माना है । इस भूमि को नगरपालिका डामर डालकर आम जनता के प्रयोग में लाना चाहती है अस्तु हाकिम सिंह की अस्थायी किरायेदारी खत्म करने के लिए उन्हें नोटिस दिया गया है ।

चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण

43--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1967 में नियुक्त कितने मेडिकल आफिसर्स का रेगुलाराइजेशन अभी तक नहीं हुआ है ? उसका कारण क्या है तथा इनका रेगुलाराइजेशन कब तक हो जायेगा ?

श्री लोकपति--

जी हां । ऐसे केवल 6 चिकित्सा अधिकारी हैं । इनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों को पूर्ण करने की कार्यवाही तत्परता से की जा रही है । जैसे ही ये अभिलेख पूर्ण हो जायेंगे इनके विनियमितीकरण पर विचार किया जायगा ।

साधन सहकारी समिति, लाही, जिला बाराबंकी का आडिट

44--श्री राम औतार दीक्षित--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साधन सहकारी समिति, लाही, ब्लाक त्रिवेदीगंज, जिला बाराबंकी का वर्ष 1968-69 का जो आडिट हुआ था जिसमें 5,000 रु० की खाद के अपहरण का केस प्रकाश में आने पर एक विशेष प्रतिवेदन आडिटर ने सहकारी अधिकारियों के पास भेजा था और उक्त समिति ने 28-11-71 की संचालक मंडल की बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार आडिट आपत्तियों की कम्पलाइन्स कर रिपोर्ट 5-1-72 को ब्लाक सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बाराबंकी कार्यालय को रिसीव करा दिया था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ? क्या सरकार की गयी कार्यवाही का विवरण उक्त प्रस्ताव तथा विशेष प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

साधन सहकारी समिति, लाही, ब्लाक त्रिवेदी गंज, जिला बाराबंकी का वर्ष 68-69 में आडिट के फलस्वरूप विशिष्ट सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन जिसमें 5,000 के खाद के अपहरण का केस प्रकाश में लाया गया था, वह जिला सहायक निबन्धक, बाराबंकी को दिनांक 16-8-70 को प्राप्त हुआ है, जिस पर अनुपालन आख्या उन्होंने दिनांक 6-11-70 को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, बाराबंकी को प्रेषित कर दी है ।

आख्या के प्राप्त होने पर जिला सहायक निबन्धक, बाराबंकी ने निम्नांकित कार्यवाही की :—

क्रम-संख्या	नाम	पदनाम	कृत कार्यवाही
1	श्री रामनाथ	पर्यवेक्षक	तीनों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17-1-71 को थाना लोनी कटरा, हैदरगढ़ में दर्ज कराई गई । पुलिस ने विवेचना के उपरान्त दिनांक 30-11-71 को मामले में अन्तिम आख्या प्रेषित कर दी ।
2	श्री रामनरेश	एकाउन्टेन्ट	
3	श्री कृष्णकिशोर	,,	

श्री रामनाथ सेवा मुक्त हो गये अतः आगे कार्यवाही नहीं हो सकी ।

श्री रामनरेश समिति के प्रस्ताव दिनांक 4-2-70 से समिति से हटा दिये गये और उन्हें अपने वर्तमान पद से भी निलम्बित कर दिया गया है । श्री कृष्णकिशोर समिति के सदस्य नहीं थे। उक्त प्रतिवेदन पर समिति का प्रस्ताव दिनांक 28-11-71, जिला सहायक निबन्धक, बाराबंकी को दिनांक 5-1-72 को प्राप्त हुआ । परन्तु इसके पूर्व उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप तथा पुलिस के अन्तिम रिपोर्ट लगा दिये जाने तथा पुलिस के विधिक आधार पर नियमानुसार न होने के कारण उक्त तीनों से 5,000 रु0 की वसूली की कार्यवाही को उचित नहीं समझा गया ।

समिति के प्रस्ताव दिनांक 28-11-71 व विशिष्ट प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न है ।

[देखिए नत्थी (घ) आगे पृष्ठ 1204 पर ।]

जनपद जौनपुर के गौरा बादशाहपुर कस्बे में राजकीय चिकित्सालय की सुविधा की मांग

45—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के गौरा बादशाहपुर कस्बे में कोई भी राजकीय चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार इस बड़े एवं महत्वपूर्ण कस्बे तथा क्षेत्रीय जनता को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब से ?

श्री लोकपति—

जिला जौनपुर के गौरा बादशाहपुर से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धर्मापुर कार्यरत है तथा गौरा बादशाहपुर में भी एक परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु केन्द्र का उप केन्द्र स्थापित है जहां पर एक ए0 एन0 एम0 तैनात है । अतः शेष कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य केन्द्र, मिहरावां, जिला जौनपुर में डाक्टर के रिक्त पद तथा चिकित्सा सुविधा

46--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिहरावां, जौनपुर में गत एक वर्ष से न तो कोई डाक्टर है और न ही चिकित्सा सामग्री उपलब्ध है ? क्या सरकार क्षेत्रीय जनता को शीघ्र चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति--

जी हां । अतिरिक्त प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र, मिहरावां, जिला जौनपुर में दिनांक 1-11-1979 से डाक्टर नहीं है । किन्तु सभी चिकित्सा सामग्री उपलब्ध है । इस केन्द्र पर अन्य सभी स्टाफ खन्ड प्रसार शिक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षका, ए0 एन0 एम0 फार्मेसिस्ट, बीर्ड ब्वाय एवं स्वीपर आदि कार्यरत हैं जिनके द्वारा वहां की जनत को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है । चिकित्सा अधिकारी की तैनाती भी शीघ्र कर दी जायेगी । अतः अन्य कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, जिला जौनपुर के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के स्थानान्तरण के समय गायब हुये उपकरण एवं दवाइयां

47--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, जौनपुर में वर्ष 1979 एवं 1980 में चिकित्सधिकारियों के स्थानान्तरण के समय कितनी दवाइयां व अन्य उपकरण गायब हो गये थे ? क्या इस घोटाले की जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, जिला जौनपुर के तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा0 पी0 डी0 सिंह ने वर्ष 1979 में स्थानान्तरण के समय कुल मिलाकर 355 (तीन सौ पचपन) वस्तुओं एवं उपकरणों का कम प्रभार दिया। कोई दवाई कम नहीं पाई गई। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आजमगढ़ में जिलापूर्ति अधिकारी को मैदे का आवंटन

48--श्री खैरुल बशर--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ में नवम्बर, 1980 से मार्च, 1981 तक जिलापूर्ति अधिकारी को कितने मैदे का आवंटन किया गया और किन लोगों के बीच उसका वितरण हुआ ?

श्री वासुदेव सिंह—

आजमगढ़ जनपद को प्रश्नगत अवधि में कुल 2050 क्विंटल मैदा का आवंटन किया गया और उसका वितरण थोक उपभोक्ताओं अर्थात् बिस्कुट निर्माताओं, हलवाइयों, जलपान गृहों तथा अन्य सामान्य उपभोक्ताओं के बीच हुआ ।

देवरिया नगर में "भरौली देवरिया भू-गृहादि योजना" में विभिन्न प्रकार की भूमि अर्जित किये जाने का प्रस्ताव

49—श्री हरिवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया नगर में "भरौली देवरिया भू-गृहादि योजना" में कुल कितनी भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है और उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भरौली बाजार भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, देवरिया प्रस्थापित की है जिसके अन्तर्गत 75 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने का प्रस्ताव है । उक्त योजना के अन्तर्गत परिषद् अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत प्रथम विज्ञप्ति दिनांक 30 मई, 1981 को राजकीय गजट में प्रकाशित की जा चुकी है । योजना के सम्बन्ध में अभी नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ।

50—श्री हरिवंश सहाय—

क्या यह सही है कि उक्त प्रस्तावित योजना में जो भूमि ली जाने वाली है वह, कृषि योग्य सर्वोत्तम भूमि है और उसमें अनेक शिक्षालय, बाग, मन्दिर, गोदाम आदि हैं तथा पचास से अधिक किसान भूमिहीन हो जायेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

उक्त योजना में प्रस्तावित भूमि में कृषि भूमि भी है । योजनान्तर्गत शिक्षालय, मन्दिर एवं गोदाम आदि हैं तथा पचास से अधिक किसानों की भूमि योजना में आती है ।

51—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जनपद मुरादाबाद की देवीपुरा साधन सहकारी समिति लि० में बकायेदारों से बकाया वसूल किये जाने की कार्यवाही

52—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति देवीपुरा, ब्लाक भगतपुर, जिला मुरादाबाद तथा सरकड़ा खास, ब्लाक मुण्डा, जिला मुरादाबाद में किन-किन लोगों पर 5,000 रु० से ज्यादा का बकाया वर्तमान समय से है ? और कितने अर्से से यह बकाया चला आ रहा है और उसके वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बच्चा पाठक--

प्रश्नगत समितियों के बकायादार सदस्यों की सूची संलग्न है। साधन सहकारी समिति लि0, देवीपुरा ब्लाक भगतपुर के बकायादारों के सामने उनके बकाये की अवधि दर्शित है। साधन सहकारी समिति लि0, सरकड़ा खास ब्लाक मुन्डा पाण्डे के बकाये की सही अवधि चालू रिकर्ड के अभाव में ज्ञात नहीं है। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बकाये की अवधि संलग्न सूची में दर्शाई गई है।

कुछ सदस्यों की फसलें नष्ट हो गई थीं। सदस्यों से बार-बार तकाजा करने पर भी उन्होंने अपना बकाया अदा नहीं किया है। बकाए की वसूली मालगुजारी के बकाए के रूप में वसूल किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1209 पर।)

कोआपरेटिव सोसायटी के शीतगृह का ध्वस्त चेम्बर तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों का निलम्बन

53--श्री रामचरण सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव सोसायटी का कोल्ड-स्टोरेज जो अहरौरा, कस्बा तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर में स्थित है, बनने के तुरन्त बाद ध्वस्त हो गया ? अगर हां, तो ध्वस्त होने के कारणों का पता लगाया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या ध्वस्त होने के कारणों की जांच रिपोर्ट से अवगत करायेंगे और दोषी पाये जाने वाले सम्बन्धित लोगों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां, शीतगृह का एक चेम्बर दिनांक 4 अप्रैल, 1978 को ध्वस्त हो गया।

जी हां।

जांच रिपोर्ट के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं थी एवं उसमें तकनीकी दोष भी थे।

दोषी ठेकेदार एवं दो वास्तुविदों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13 अप्रैल, 1978 को दर्ज कराई गई। शीतगृह निर्माण अवधि में तत्समय कार्यरत सचिव श्री हृदय नारायण त्रिपाठी, निरीक्षक वर्ग-1, श्री रंगनाथ सिंह एवं श्री जयशंकर प्रसाद गुप्त, सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 को विभाग द्वारा निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद गोंडा में दाइयों के प्रशिक्षण की योजना

54--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1980-81 में दाइयों के प्रशिक्षण की कोई योजना शासन द्वारा जनपद गोंडा में चलाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कितनी दाइयों को प्रशिक्षित किया गया ? और उन पर शासन ने कितनी धनराशि व्यय की ?

श्री लोकपति--

वर्ष 1980-81 में पूरे प्रदेश में दाइयों के प्रशिक्षण की योजना चलाई गई थी तथा जनपद गोंडा में कुल 394 दाइयों को प्रशिक्षित किया गया। इन दाइयों के प्रशिक्षण में 1,18,200 रु0 व्यय किया गया।

नगर क्षेत्र समिति, मल्लावां, जनपद हरदोई में सम्पन्न कराये गये निर्माण कार्य

55--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की टाउन एरिया, मल्लांवा में गत 4 वर्षों के दौरान निर्माण सम्बन्धी कौन-कौन कार्य सम्पन्न कराए गये ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

नगर क्षेत्र समिति, मल्लावां, जनपद हरदोई द्वारा गत 4 वर्षों में निम्नलिखित निर्माण कार्य कराये गये :

(1) चौकी नं0 1 से जनाना अस्पताल तक तारकोल सड़क बनाई गई।

(2) बस स्टैण्ड से पुरानी पुलिस चौकी की ओर ईंट की सीलिंग का कार्य अंशतः सम्पन्न किया गया।

विनियमितीकरण के लिए अनुपयुक्त पाये गये हाट निरीक्षकों की समाप्त सेवायें

56--श्री रामस्वरूप निम--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ के कार्यालय द्वारा 20-10-81 को कई हाट निरीक्षकों को बरखास्त किया गया है ? बरखास्त किये गये हाट निरीक्षकों में अनुसूचित जाति के कितने लोग थे तथा कितने समय से विभाग में कार्यरत थे, उनको भी बरखास्त किया गया है और क्या उक्त कार्यालय में आरक्षण को कोटा पूर्ण है, यदि हां, तो अनुसूचित जाति के हाट निरीक्षकों को निकाले जाने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में आपको किसी विधायक का पत्र भी मिला है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

उ0 प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अंतर्गत विनियमितीकरण के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर तदर्थ रूप से नियुक्त तीन हाट निरीक्षकों की सेवायें उक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार समाप्त की गयी थीं जिनमें एक हाट निरीक्षक अनुसूचित जाति का सम्मिलित थे, जो लखनऊ क्षेत्र में 1973 से कार्यरत था। सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त हाट निरीक्षकों में आरक्षण का कोटा पूर्ण था। माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 30-12-81 क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ को प्राप्त हुआ था। जिसका उत्तर उन्होंने अपने पत्र संख्या 4252 दिनांक 2-2-82 द्वारा माननीय सदस्य को भेज दिया था।

श्री कौशल शरण मित्तल, सहायक निदेशक के अवकाश प्राप्ति के बाद भी उ0 प्र0 फार्मेसी कौंसिल के कार्य की देख-रेख

57--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश फार्मेसिस्ट कौंसिल में अल्प-कालिक रजिस्ट्रार शासनादेश संख्या 4372/पांच-7-1073-79, दिनांक 26 सितम्बर, 1981 द्वारा श्री कौशल शरण मित्तल, सहायक निदेशक (ड्रग), उ0 प्र0, लखनऊ को जब तक वे अपने सहायक निदेशक (ड्रग) के पद पर रहे तब तक के लिए किया है और वे अपने पद से 30-11-81 को अवकाश प्राप्त हो चुके हैं परन्तु अवकाश प्राप्त के बाद भी क्या वे सरकारी नियम तथा शासनादेश के विपरीत अब भी उत्तर प्रदेश फार्मेसी कौंसिल का कार्य देख रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा अनियमित कार्य शासनादेश के विरुद्ध क्यों हो रहा है ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद श्री कौशल शरण मित्तल को अध्यक्ष, उ0 प्र0 फार्मेसी कौंसिल द्वारा तीन माह की अवधि के लिए अंशकालिक रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया था । तीन माह की अवधि 22 जनवरी, 1982 को समाप्त हो गयी थी, अतः उसी तिथि से श्री मित्तल को कार्यमुक्त कर दिया गया है ।

नगरमहापालिका, वाराणसी में कम्पाउण्डर के विरुद्ध कार्यवाही

58--श्री दीपनारायण--

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, वाराणसी में किसी कम्पाउन्डर के सेवा में रहते हुए सन् 1978 में पूर्णकालिक बी0 ए0 एम0 एस0 की उपाधि एवं अन्तरंग चिकित्साधिकारी के रूप में कार्य करने के सम्बन्ध में प्रशासक ने जांच करवाई थी, उसके आधार पर कम्पाउण्डर के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

संबंधित कम्पाउण्डर का स्पष्टीकरण मांगा गया है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

श्री शिव सागर शुक्ल, रीडर, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के खिलाफ जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने संबंधी शिकायत की जांच

59--रघुवीर सिंह यादव--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवदास, तत्कालीन विधान सभा सदस्य ने श्री शिव सागर शुक्ल, रीडर, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के खिलाफ लोक सेवा आयोग में जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर चयन होने के बाबत

शिकायत 1979 में की थी ? निदेशक, आयुर्वेद ने उक्त शिकायत की जांच कराई थी जिससे तथ्य सही पाए गये थे ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति--

श्री शिवदास, भूतपूर्व विधायक का ऐसा कोई शिकायती पत्र वर्ष 1979 में शासन को प्राप्त नहीं हुआ था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी जनपद में विश्व बैंक द्वारा बनाए जा रहे सीड स्टोर के घोटाले की जांच

60--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि झांसी जनपद में विश्व बैंक द्वारा बनाये जा रहे सीड स्टोर के घोटाले के सम्बन्ध में नवम्बर-दिसम्बर, 1981 में शासन द्वारा कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है तथा दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक--

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत जनपद झांसी में बनाये जा रहे ग्रामीण गोदामों में हो रहे घोटाले के विषय में प्रश्नकर्ता का एक पत्र माह नवम्बर, 1981 में शासन को प्राप्त हुआ था । इस संबंध में कराई गई जांच से क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0, उल्दन के पठाकरका स्थित ग्रामीण गोदाम के निर्माण में कतिपय त्रुटियां पायी गई थीं । जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करा दी गई है । जांचोपरान्त निर्माण कार्य से संबंधित किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ0 प्र0 में लिपिक वर्ग के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा

61--श्री छत्तर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ0 प्र0 में लिपिक वर्ग के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा पूरा नही है ? यदि हां, तो कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग का कोटा पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण संबंधी कार्यवाही

62--श्री छत्तर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ0 प्र0 अप्रैल, 81 में 8 दैनिक वेतन भोगी (लिपिकीय) कर्मचारियों का विनियमितीकरण

किया गया ? यदि हां, तो हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का जो अधूरा कोटा है, क्या उसे पूरा करने के लिए इन वर्ग के कर्मचारियों को नियमित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

नौ (9) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किया गया जिनमे एक कर्मचारी पिछड़े वर्ग का है। जिला चयन समिति द्वारा अपेक्षित संख्या के अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उपलब्ध न कराए जाने के कारण यह कमी उत्पन्न हुई।

63—श्री छत्तर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ0 प्र0 द्वारा वर्ष 1981 के अप्रैल माह में चयनित लगभग 22 कर्मचारियों में से 9 कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो अवशेष कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां।

शेष कर्मचारियों के विनियमितीकरण हेतु शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

आगरा जनपद, ब्लाक फतेहपुर सीकरी की न्याय पंचायतों में ग्रीष्मकाल में पेयजल समस्या

64—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा जनपद की तहसील, किरावली के ब्लाक फतेहपुर सीकरी की न्याय पंचायतों (सामरा मंडी मिर्जा खां, रसूलपुर और नया गांव) में ग्रीष्मकाल में पशुधन और जन मानस के लिए पेय-जल के अभाव की विकराल समस्या पैदा हो जाती है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के निराकरण का कोई स्थायी हल खोज रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां। इस समस्या के निराकरण के लिए पेयजल योजनाएं बनाई जा रही हैं।

श्री राजा राम वर्मा, जिला वाराणसी की कृषि भूमि की अरबन सीलिंग ऐक्ट में लेने पर कार्यवाही

65—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरायनन्दन, परगना देहात अमानत, शहर व जिला वाराणसी के जित्तूराम वर्मा, राजाराम वर्मा, मानिका प्रसाद, काला प्रसाद, लालता सिंह की कृषि भूमि को अरबन सीलिंग ऐक्ट में गजट किया गया है और उपरोक्त लोगों ने ए0 डी0 एम0 सीलिंग (अरबन), वाराणसी को सन् 78 में ही प्रार्थना-पत्र दिया कि इसमें कृषि होती है, उसे मुक्त कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सन् 1976 से लेकर 1-5-81 तक न तो सीलिंग से मुक्त किया गया और न ही उसमें जमीन (सरप्लस) अतिरिक्त हो घोषित किया गया ? इसका क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

केवल श्री राजा राम वर्मा की भूमि को गजट करने के लिए विज्ञप्ति राजकीय मुद्रणालय को 30-6-81 को भेजी गयी। सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, वाराणसी को किसी का भी कोई आवेदन-पत्र कृषि के आधार पर मुक्त करने का नहीं प्राप्त हुआ। अतएव सीलिंग से मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठा। सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत जमीन सरप्लस घोषित करने विषयक न्यायिक कार्यवाही चल रही है, जिसके पूरी होने पर ही कोई भूमि सरप्लस घोषित हो सकेगी।

प्रदेश की चावल मिलों को चावल की बकाया लेवी में माफी

66--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कितनी चावल मिलों पर वर्ष 1978-79 में कितनी मात्रा में चावल की बकाया लेवी प्रदेश शासन के खाद्य विभाग द्वारा इस वर्ष माफ किया गया है? इस प्रकार की माफी केवल कुछ चावल मिल मालिकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किया गया?

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं। शासन ने किसी भी चावल मिल को वर्ष 1978-79 की बकाया लेवी के चावल की देयता से माफ नहीं किया है।

मैनपुरी तथा गाजीपुर शहर में राशन की दुकानों के संचालन का कार्यभार निजी दुकानदारों को सौंपने का विचार

67--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा डिवीजन के मण्डलीय मंत्री, मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री को विधायकों तथा जनता के इस आशय के प्रतिवेदन 1 जून, 1981 से अब तक प्राप्त हुए हैं कि मैनपुरी शहर में दुकानों (राशन) के संचालन का कार्यभार सहकारी समितियों के स्थान पर निजी दुकानदारों को सौंप दिया जाय? यदि हां, तो उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां।

प्राप्त प्रत्यावेदनों के सम्बन्ध में जांच की गयी और वितरण प्रणाली में सुधार लाने हेतु कड़े निदेश दिये गये।

68--श्री सूबेदार सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जनपद में शहरी क्षेत्र में राशन की दुकानों का संचालन निजी दुकानदार कर रहे हैं? यदि हां, तो मैनपुरी और गाजीपुर जिलों के कार्य-संचालन में द्विरूपता का क्या कारण है?

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं।

मैनपुरी तथा गाजीपुर जिलों के कार्य संचालन में कोई द्विरूपता नहीं है।

प्रदेश के थोक मूल्य सूचकांक का महीनेवार विवरण, मूल्य वृद्धि की दर तथा रोकने के लिये उपाय

69—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1 जनवरी, 1980 लगायत 15 जुलाई, 1981 अथवा उसके आस-पास थोक मूल्य सूचकांक क्या थे ? इस अवधि में मूल्य-वृद्धि की दर क्या रही थी तथा क्या मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए उपाय किये गये ? यदि हां, तो क्या और कब तथा मूल्य-वृद्धि न रुक पाने के कारण क्या हैं ?

श्री वासुदेव सिंह—

उत्तर प्रदेश के थोक मूल्य सूचकांक का माह जनवरी, 1980 से जून, 1981 तक का महीनेवार विवरण संलग्न है। इस अवधि में मूल्य वृद्धि की मासिक औसत दर 1·2 प्रतिशत रही। खुले बाजार में दैनिक उपभोग की वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्धि बनाये रखने के लिये सस्ते गल्ले की दुकानों पर कई आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त शासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (मूल्य तथा स्टाक का प्रदर्शन और सम्भरण और वितरण पर नियंत्रण) आदेश, 1977 पारित किया है जिसके प्राविधानों के अनुसार थोक एवं फुटकर दुकानदारों द्वारा उक्त आदेश की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं का मूल्य तथा स्टाक का प्रदर्शन करना अनिवार्य है। जिला प्रशासन द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

2—आर्थिक अपराध मूल्य वृद्धि में सहायक होते हैं। अतएव ऐसे अपराधों को रोकने के लिये माह जून, 1980 से प्रदेश स्तर पर जमाखोरों तथा काला-बाजारियों के विरुद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापे डालने का अभियान चलाया गया है जो निरन्तर जारी है। फलस्वरूप वर्ष 1981 में लगभग 4·05 करोड़ रुपये की आवश्यक वस्तुएं चोरबाजारी में पकड़ी गयी हैं।

दिसम्बर, 1981 से मूल्यों में सामान्यतया गिरावट भी परिलक्षित हो रही है।

[देखिए नत्थी (च) आगे पृष्ठ 1210 पर।]

70—श्री सत्यपाल सिंह—

[6ठे गुरुवार के लिए स्थगित]

जिला सहकारी बैंक लि0, शाहजहांपुर के निलम्बित कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान

71—श्री सत्य पाल सिंह यादव—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, शाहजहांपुर के वर्ष 1973 में कितने सहकारी पर्यवेक्षकों की सेवा निलम्बित की गई ? क्या उन समस्त सेवा निलम्बित कर्मचारियों को अब तक के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उस बकाया वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री बच्चा पाठक—

जिला सहकारी बैंक लि0, शाहजहांपुर में वर्ष 1973 में एक सहकारी पर्यवेक्षक को निलम्बित किया गया । उनको नियमानुसार निलम्बन भत्ते का भुगतान जुलाई, 1981 तक का कर दिया गया है । आगे के निलम्बन भत्ते का भुगतान लेने उक्त सहकारी पर्यवेक्षक नहीं आये हैं । आने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

आवास एवं विकास परिषद् की "नघेटा रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना", हरदोई की जारी की गई विज्ञप्ति

72—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आवास विकास परिषद् उ0 प्र0 ने हरदोई में नघेटा रोड भूमि विकास गृह स्थान योजना के लिए शासन को दिनांक 13-8-81 को धारा 7/17 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया था जिस पर शासन ने अपने पत्रांक 5850/37-2-102 एच0 बी0-80, दिनांक 7-9-81 द्वारा धारा 7 की स्वीकृति दे दी ? लेकिन धारा 17 के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं दी ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

आवास एवं विकास परिषद् की "नघेटा रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना" हरदोई के सम्बन्ध में लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा 17 की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है ।

श्री बैजू द्वारा साधन सहकारी समिति, जिला उन्नाव से लिया गया ऋण तथा अदायगी हेतु नोटिस

73—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति लिमिटेड, बाल्हेमऊ, सेखपुर विकास खण्ड नवाबगंज, जिला उन्नाव से वर्ष 1965 में श्री बैजू पुत्र भैरो ने समिति से कुछ ऋण लिया था, जिसकी अदायगी उसी वर्ष ब्लाक की रसीद सं0 2680/34 तथा 2681/28 द्वारा मूल-धन तथा ब्याज के रूप में कर दी गई थी ? क्या यह सही है कि श्री बैजू पुत्र भैरो को सचिव, सहकारी बैंक, शाखा नवाबगंज, जिला उन्नाव के पत्रांक 115, दिनांक 11-12-1981 द्वारा पुनः धन का भुगतान करने को कहा है ? यदि हां, तो सहकारिता मंत्री यह बतायेंगे कि उक्त भुगतान किये गये धन की दुबारा वसूली करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

समिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर श्री बैजू पुत्र भैरव ने समिति से ऋण लिया था और अभी तक वह बकायादार ही है, ऋण अदायगी के प्रमाण में प्रश्नगत रसीदें न तो समिति के अभिलेखों ही में उपलब्ध हैं न ही ऋणी सदस्य इसे दिखाने में समर्थ हुए । अतः समिति के सचिव तथा शाखा प्रबन्धक, नवाबगंज के संयुक्त हस्ताक्षरों से उपरोक्त बकाये की धनराशि की अदायगी हेतु उन्हें नोटिस दी गई है ।

उक्त परिस्थिति में किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मो0 शरीफ, लिपिक, जनपद बुलन्दशहर का निलम्बन तथा बकाया वेतन का भुगतान

74—श्री छत्तर सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री मो0 शरीफ, लिपिक, टाउन एरिया स्याना, जनपद बुलन्दशहर को दिनांक 1-11-75 में तत्कालीन कमेटी ने सेवा समाप्त कर दी थी परन्तु वर्ष अगस्त, 1977 में पुनः सेवा में ले लिया गया और उसका समस्त वेतन भुगतान कर दिया गया ? उसकी इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के यहां चल रही जांच, जो विजयपाल सिंह, भू0 पू0 चेयरमैन के द्वारा कराई गई है, के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? बिना निर्णय हुए शासन अभी तक उसे क्यों सेवा में लिए हुए है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

श्री मो0 शरीफ, लिपिक, टाउन एरिया स्याना, जनपद बुलन्दशहर की पत्रावली, जिसमें दिनांक 1-11-75 को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई हो, टाउन एरिया स्याना में उपलब्ध नहीं है ।

श्री मो0 शरीफ को दिनांक 20-2-79 को 10,225.81 रु0 का भुगतान किया गया है ।

श्री विजय पाल सिंह, भू0 पू0 चेयरमैन की शिकायत के संदर्भ में श्री शरीफ को जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 17-10-81 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अग्रसर है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवबन्द, जिला सहारनपुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा अपने निजी कार्य हेतु काटे गये पेड़ के विरुद्ध कार्यवाही

75—श्री रामस्वरूप निम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवबन्द, जिला सहारनपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, डा0 गोयल ने एक सिसी, दो शीशम, ग्यारह यूकेलिप्टस के पेड़ वर्ष 1980-81 में अपने निजी कार्यों के लिए काटे थे, इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी डाक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजीपुर जनपद को विभिन्न फैक्ट्रियों द्वारा सीमेन्ट का आवंटन एवं उठान

76—श्री राम नारायण सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में गाजीपुर जनपद को कितना मीटरिक टन सीमेन्ट का कोटा एलाटमेंट सरकार द्वारा किया गया था

और किन-किन सीमेंट फैक्ट्रियों से कितनी मात्रा में सीमेंट गाजीपुर जनपद को देना था और किन-किन फैक्ट्रियों ने कितनी निर्धारित कोटा का सीमेंट नहीं दिया ? क्या सरकार इनके विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही करने का कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

गाजीपुर जनपद को वर्ष 1981 में उ0 प्र0 शासन द्वारा 11,700 मी0 टन सीमेन्ट का आवंटन जन वितरण श्रेणी के अन्तर्गत दिया गया था। विभिन्न फैक्ट्रियों से आवंटन उठान का विवरण निम्नवत् है—

त्रैमास	फैक्ट्री का नाम	आवंटन	उठान	अवशेष
1981 प्रथम	डाला/चुर्क	1400	1254	146
	बंजारी	900	861	39
	रोहतास	500	444.70	55.30
	चुनार (तदर्थ)	1500	381.95	1118.05
	योग ..	4300	2941.65	1358.35
1981 द्वितीय	चुनार	1400	834	560
	बंजारी	900	818	82
	रोहतास	500	433.60	56.40
	योग ..	2800	2085.60	714.40
1981 तृतीय	चुनार	1600	1588	12
	रोहतास	100	47.55	52.45
	बंजारी	100	100	..
	योग ..	1800	1735.55	64.45
1981 चतुर्थ	चुर्क	1000	732	268
	चुनार	1800	1234	566
	योग ..	2800	1966	834

सीमेन्ट फैक्ट्रियों से विद्युत् की कटौती तथा यांत्रिक गड़बड़ी के फलस्वरूप उत्पादन में कमी से सम्पूर्ण मात्रा की आपूर्ति नहीं दी जा सकी। जिसके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

77—श्री राम नारायण सिंह—

[4-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 53 द्वारा उत्तरित ।]

बस्ती जनपद में, आई0 पी0 पी0 योजनान्तर्गत खोले गये उपकेन्द्र

78—कु0 अलमेलु अम्माल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खंड बनकटी, साऊघाट में आई0 पी0 पी0 योजना के तहत कितने तथा कौन-कौन से स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले गये हैं ? यदि नहीं खुला, तो कब खोल दिये जायेंगे ? एवं बस्ती, बनकटी, साऊ घाट विकास खंड में कितने चिकित्सालय खोलना इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित हैं ?

श्री लोकपति—

आई0 पी0 पी0 योजना के तहत वर्ष 80-81 व 81-82 में अब तक विकास खंड बनकटी में दो-बरहुआ (धर्मगौरा) तथा बसेगवां-तथा साऊंपार (साऊ-घाट) में पांच-खुटेहना, डुमरी, रेउनाकला, उचगांव तथा गोठवां उपकेन्द्र खोले गये हैं ।

बस्ती, बनकटी, साऊघाट विकास खंड में वित्तीय वर्ष 1981-82 में कोई चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

नगरीय मलेरिया योजना, मेरठ के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नति

79—श्री पूरन चन्द—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय मलेरिया योजना, मेरठ के अन्तर्गत कितने ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जो हाई स्कूल उत्तीर्ण हैं तथा पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से नियमित रूप से कार्यरत रहते हुये भी उन्हें शासनादेश संख्या 37 1/1967-कार्मिक-2, दिनांक 21 अगस्त, 1978 के अनुसार वर्ग-3 में प्रोन्नति का अवसर अभी तक नहीं दिया गया है, और न ही शासन के आदेशानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का तृतीय श्रेणी के पदों पर प्रोन्नति का कोटा पूर्ण किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के डा0 गणेश कृष्ण जेतली स्मारक राजकीय महिला एवं पुरुष चिकित्सालय को सुसज्जित करने तथा दवा इत्यादि की व्यवस्था की स्वीकृति

80—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेर बहादुर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में डा0 गणेश कृष्ण जेतली स्मारक राजकीय महिला एवं पुरुष चिकित्सालय 52 शैयाओं के साथ 5 स्पेसीज युक्त खुलने के लिये शासनादेश हुआ है ? यदि हां, उसकी सम्पूर्ण कार्य-वाही कब तक पूर्ण होगी ?

श्री लोकपति—

जो नहीं । अपितु 24 शैयायुक्त संयुक्त चिकित्सालय अकबरपुर, जिला फैजाबाद जो डा0 गणेश कृष्ण जैतली स्मारक राजकीय महिला एवं पुरुष चिकित्सालय के नाम से है को सुसज्जित करने तथा दवा इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु स्वीकृति आदेश संख्या 1957 सेक0 2/पांच-8-1-81, दिनांक 29 अप्रैल, 1981 द्वारा दी जा चुकी है ।

नगरपालिका जौनपुर द्वारा कन्हईपुर एवं वाजिदपुर के नागरिकों को सुविधायें देने पर विचार

81—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 6ठे गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के ता0 प्र0 सं0 4 के उत्तर के संदर्भ में नगरपालिका, जौनपुर के कन्हईपुर एवं वाजिदपुर के नागरिकों को जो सुविधायें देने का आश्वासन दिया गया था, उन्हें कहां तक पूर्ण कर लिया गया ? क्या यह सत्य है कि इन मुहल्लों में प्रकाश, सफाई और सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के छठे गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्न के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के संदर्भ में नगरपालिका जौनपुर द्वारा कन्हईपुर एवं वाजिदपुर के नागरिकों को सुविधायें देने के विषय में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । अतः आश्वासन की पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

पालिका द्वारा अपने सीमित आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत हुये इन मोहल्लों में सफाई एवं प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है । शौचालयों की व्यवस्था की जा सकी है ।

82—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, जिला जौनपुर के भवन निर्माण की स्वीकृति

83—श्री प्रभू नारायण सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्र0 सं0 5 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, जौनपुर के भवन निर्माण की शासन द्वारा स्वीकृति दी गयी थी ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई ? क्या निकट भविष्य में उक्त भवन निर्मित करा लिया जायेगा ?

श्री लोकपति—

5,85,500 रु0 की अनुमानित लागत पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर, जिला जौनपुर के भवन निर्माण की स्वीकृति 27 फरवरी, 1981 को प्रदान कर दी गयी है ।

निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने के उद्देश्य से उक्त भवनों के निर्माण का दायित्व उ० प्र० ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को दे दिया गया है । आशा है कि भवन शीघ्र निर्मित हो जायेगा ।

जौनपुर जनपद में गौरा बादशाहपुर नामक स्थान पर पेयजल योजनान्तर्गत नलकूपों का लगाया जाना

84--श्री प्रभू नारायण सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं० 127 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलायेंगे कि जो आश्वासन दिया गया था उस कार्य की आज (13-1-82) तक की प्रगति क्या है? क्या यह सत्य है कि इस पेयजल योजना का अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

धनाभाव के कारण इस योजना पर कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है ।

सचिवालय डिस्पेन्सरी में अतिरिक्त पदों के सृजन की मांग

85--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय डिस्पेन्सरी में प्रतिदिन दवाई लेने वाले अधिकारी/कर्मचारियों की औसत कितनी है ? क्या यह सही है कि इस डिस्पेन्सरी में केवल 2 फार्मेसिस्ट हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त दवाई लेने वालों की औसत संख्या को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी सचिवालय डिस्पेन्सरी में अतिरिक्त स्टाफ 2 फार्मेसिस्ट तथा ड्रेसर (पट्टी बांधने वाले) के अतिरिक्त पद सृजित कर नियुक्ति करने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

सचिवालय डिस्पेन्सरी में प्रतिदिन दवाई वालों की औसत संख्या 225 है । यह सही है कि इस डिस्पेन्सरी में फार्मेसिस्ट के 2 पद हैं । वर्ष 1980-81 में सचिवालय डिस्पेन्सरी के स्टाफ में एक महिला चिकित्सा अधिकारी, 1 वार्ड ब्वाय तथा 1 फार्मेसिस्ट की बढ़ोत्तरी की जा चुकी है । अतः प्रश्नगत अतिरिक्त पदों के सृजन का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पेपर मिल कालोनी में मध्यम आय वर्ग के मकानों का अनुमानित विक्रय मूल्य में बढ़ोत्तरी तथा मकानों के निर्माण में विलम्ब तथा आवंटन

86--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 1977 में पेपर मिल कालोनी (भोखमपुर) मध्यम आय वर्ग के मकान के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र मांगे गए थे और जिनका अनुमानित विक्रय मूल्य 57,000 रु० रखा गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त भवनों का वर्तमान (जनवरी 1982) अनुमानित विक्रय मूल्य 1,05,000 रुपया किस आधार पर आंका गया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

1977 में इन मकानों का अनुमानित विक्रय मूल्य 57,200 रु0 रखा गया था जिनका जनवरी 1982 में अनुमानित विक्रय मूल्य 1,05,000 रु0 रखा गया है जिनका आधार निर्माण सामग्री, मजदूरी आदि में अप्रत्याशित वृद्धि होना है।

87--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि उक्त भवनों के निर्माण में लगभग 4 वर्षों के विलम्ब का क्या कारण है तथा इस विलम्ब के कारण बढ़े मूल्य का कौन जिम्मेदार है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

प्रारम्भ में मध्यम वर्गीय भवन अधिक संख्या में बनाने का प्रस्ताव था किन्तु अनधिकृत रूप से अन्य लोगों का कब्जा होने के कारण भूमि का खाली न मिल सकना, ठेकेदार की मृत्यु हो जाना जिसके परिणामस्वरूप कार्य में अवरोध होना तथा विधिक परामर्श के उपरान्त ठेकेदार के उत्तराधिकारियों के साथ शर्तनामा इत्यादि विलम्ब के कारण थे। इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

88--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार जब तक उक्त भवनों का कब्जा आवंटियों को नहीं दिया जाता उनके द्वारा जमा किए गए धनराशि पर ब्याज भी देगी ? यदि हां, तो किस दर से ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

इस योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों का पंजीकरण था उन्हें भवन आवंटित किए जा चुके हैं। विकास प्राधिकरण की नियमावली में ब्याज देने का कोई प्राविधान नहीं है।

हरदोई नगर में मो0 सराय थोक पूर्वी सड़क का पुनर्निर्माण

89--श्री किरंगी प्रसाद विशारद--

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि हरदोई नगर में मो0 सराय थोक पूर्वी (बिलग्राम रोड से मोमिनाबाद वाली) सड़क जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, क्या सरकार इसको पक्की सड़क बनवाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग के कुछ भाग की मरम्मत नवम्बर-दिसम्बर, 1981 में कराई गयी ? यदि हां, तो किसके आदेश से ?

श्री कृष्ण गोयल--

हरदोई नगर में सराय थोक पूर्वी मोहल्ले में बिलग्राम रोड से मोमिनाबाद मोहल्ले को जोड़ने वाली दो सड़कें हैं जिनमें से मुख्य सड़क मैकपफाल्ट की बनी है तथा अच्छी हालत में है। दूसरी सड़क 3·50 मीटर चौड़ी गली है जिस पर पहले से ही ईंट का खड़ंजा लगा हुआ है। इसके अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण भाग की मरम्मत नगरपालिका, हरदोई द्वारा प्रशासक नगरपालिका एवं जिला मजिस्ट्रेट हरदोई के आदेशानुसार कराई गई है।

शास्त्रीनगर मेरठ में आवास विकास परिषद् की 'ए' क्लास की कोठी का श्री अरुण अग्रवाल को आवंटन

90--श्री मंजूर अहमद--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में शास्त्रीनगर, मेरठ में आवास विकास परिषद की 'ए' क्लास की एक कोठी श्री अरुण अग्रवाल को आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो किस आधार पर का गयी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

श्री अरुण अग्रवाल ने आवास परिषद् की मेरठ योजना में मध्य आय वर्ग आवास हेतु 5,000 रु0 की धनराशि जमा करके पंजीकरण कराया था आवास परिषद् द्वारा इन्हें भवन संख्या एन-234 अवशेष सम्पत्ति के रूप में आवंटित किया गया है ।

राजकीय चिकित्सालय, करनैलगंज, जिला गोंडा में भवन निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि

91 श्री उमेश्वर प्रताप सिंह तथा श्री दीप नारायण--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि करनैलगंज जिला गोंडा के राजकीय चिकित्सालय का उच्चीकरण के संदर्भ में जिलाधिकारी, गोंडा द्वारा भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा प्रगति क्या है ?

श्री लोकपति--

जी हां, राजकीय चिकित्सालय, करनैलगंज, जिला गोंडा के भवन निर्माण हेतु 2.50 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है ।

साधन उपलब्ध होने पर ही नवीन भवन का निर्माण कराया जा सकेगा ।

जनपद गाजीपुर के स्वास्थ्य विभाग को लाटरी से प्राप्त धनराशि

92--श्री राम नारायण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 1975 से दिसम्बर, 1981 तक लाटरी से प्राप्त कितनी धनराशि सरकार द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि का खर्च किन-किन मदों एवं किस स्थान पर किया गया है ?

श्री लोकपति--

जनवरी, 1975 से दिसम्बर, 1981 तक जनपद गाजीपुर के स्वास्थ्य विभाग को लाटरी से प्राप्त आय में से कुल रु0 8,92,032.30 की धनराशि जिले के समस्त राजकीय औषधालयों एवं चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों जैसे शौचालय एवं पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, अतिरिक्त शैय्या व्यवस्था, अतिरिक्त निर्माण कार्य आदि हेतु स्वीकृत किया गया है । वास्तविक व्यय की जानकारी हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने के लिये आवश्यक निर्देश भेजे जा चुके हैं ।

जनपद देवरिया के स्वास्थ्य विभाग को लाटरी से प्राप्त धनराशि तथा विभिन्न मदों में व्यय

93—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 1975 से दिसम्बर, 1981 तक लाटरी की कितनी धनराशि सरकार द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि का खर्च किन-किन मदों एवं किस स्थान पर किया गया है ?

श्री लोकपति—

जनवरी, 1975 से दिसम्बर, 1981 तक जनपद देवरिया के स्वास्थ्य विभाग को लाटरी से प्राप्त अन्य में से कुल रु0 7,90,188.35 की धनराशि जिले के समस्त राजकीय औषधालयों एवं चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों जैसे शौचालय एवं पानी की व्यवस्था, बिजली के पंखों की व्यवस्था, अतिरिक्त निर्माण कार्य आदि हेतु स्वीकृत किया गया है । वास्तविक व्यय की जानकारी हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है ।

जिला चिकित्सालय हरदोई में स्थानीय पत्रकारों एवं कर्मचारियों को दवाई के लोकल पर्चेज की सुविधा

94—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय हरदोई में स्थानीय पत्रकारों तथा कर्मचारियों को दवाओं के लोकल पर्चेज की सुविधा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कितना बजट 1979-80, 1980-81, 1981-82 में दिया गया ? सरकारी कर्मचारियों तथा स्थानीय पत्रकारों के नाम से उपरोक्त वर्षों में कितने रुपये की दवा का लोकल पर्चेज किया गया ?

श्री लोकपति—

पत्रकारों हेतु अलग से बजट आवंटित नहीं है बल्कि राज्य कर्मचारियों हेतु आवंटित धनराशि में से स्थानीय पत्रकारों को भी दवायें उपलब्ध करायी जाती हैं । सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 में क्रमशः 20,000, 20,000 रुपये तथा 1981-82 में 40,000 रुपये का बजट स्थानीय क्रय हेतु दिया गया । स्थानीय पत्रकारों एवं राज्य कर्मचारियों हेतु किये गये दवाओं के स्थानीय क्रय का विवरण निम्नवत् है :

स्थानीय क्रय

वर्ष	पत्रकारों हेतु	राज्य कर्मचारियों हेतु
1979-80	491.75	15,093.85
1980-81	3,222.00	13,254.64
1981-82	3,575.47	41,026.00

95—श्री राम आसरे वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

प्रदेश के अस्पतालों में पट्टी की सप्लाई हेतु हथकरघा निगम को दिया गया ठेका

96—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अस्पतालों में पट्टी की सप्लाई हेतु हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश को पुनः ठेका दे दिया गया है, जो 24 रु0 की जगह 38 रु0 थान है ? क्या शासनादेश 193 एम0 25 जनवरी, 1979 के तहत यह ठेका किया गया है ? यह सत्य है कि पट्टी सप्लाई की गयी और निगम खरीद कर सप्लाई करता था ? यदि हां, तो पुनः ठेका देने का आधार क्या है ?

श्री लोकपति —

प्रदेश के अस्पतालों को गाज बैन्डेज (पट्टी) की सप्लाई हेतु हथकरघा निगम, उत्तर प्रदेश के नोटोफिकेशन संख्या 110 (सी), दिनांक 4 सितम्बर, 1981 द्वारा दर अनुबन्ध उद्योग निदेशालय (सामग्री क्रय अनुभाग), उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया जो 31 दिसम्बर, 1981 तक वैध था ।

इसके पूर्व नोटोफिकेशन संख्या 193 (एम0), दिनांक 25 जनवरी, 1978 निम्नलिखित दरों पर दर अनुबन्ध किया गया था, जो 30 अप्रैल, 1979 तक वैध था :

क्रम-सं0	आईटम	यूनिट्स	दर (रु0)
1	हैन्डलूम काटन गाज एब्जार्बेंट ब्लीच्ड कनफर्मिंग टू आई0 एस0 आई0 स्पेसीफिकेशन नं0 758/1976 (II रिवीजन)	60 से0 मी0 × 100 से0 मी0 का प्रति मीटर ।	0.73
2	हैन्डलूम काटन बैन्डेज कच्चा ब्लीच्ड कनफर्मिंग टू आई0 एस0 आई0 स्पेसीफिकेशन नं0 863-1969 (I रिवीजन)	100× 100 से0 मी0 का प्रति मीटर	2.37
3	हैन्डलूम काटन रोल्ड बैन्डेज कन-फर्मिंग टू आई0 एस0 आई0 स्पेसीफिकेशन नं0 863-1969 (I रिवीजन)	2.5 से0 मी0 प्रति दर्जन ।	3.18

यह दर अनुबन्ध नोटीफिकेशन संख्या 60 (एम0), दिनांक 22 अगस्त, 1980 द्वारा 30 अप्रैल, 1981 तक के लिए किया गया। किन्तु इसमें बढ़ी हुई निम्न दरों पर दर अनुबन्ध किया गया :

क्रम-सं0	आईटम का नाम	यूनिट	दर (रु0)
1	हैन्डलूम काटन गाज एब्जार्वेंट ब्लीचड कनफर्मिंग टू आई0 एस0 आई0 स्पेसीफिकेशन नं0 758-1976 (II रिवीजन)	60 × 100 से0 मी0 का प्रति मीटर	0.97
2	हैन्डलूम काटन गाज एब्जार्वेंट ब्लीड कनफर्मिंग टू आई0 एस0 आई0 स्पेसीफिकेशन नं0 863-1969 (I रिवीजन)	100 × 100 से0 मी0 का प्रति मीटर	2.50
3	हैन्डलूम काटन गाज एब्जार्वेंट ब्लीचड कनफर्मिंग टू आई0 एस0 आई0 स्पेसीफिकेशन नं0 863-1969 (I रिवीजन)	2.5 से0 मी0 प्रति दर्जन	4.33

बढ़ी हुई दरों पर दर अनुबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम द्वारा पुनरीक्षित कास्टिंग को दृष्टिगत रखते हुए निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0 प्र0 के अनुरोध पर किया गया।

कुछ परिधिगत अधिकारियों से गजट नोटिफिकेशन के अनुसार माल की आपूर्ति न किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई, जिस पर आपूर्ति माल को सैम्पलिंग करने का निर्देश जारी कर दिया गया है साथ ही दोषी फर्मों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु उद्योग निदेशक, उ0 प्र0, कानपुर को लिखा गया है।

विकास खण्ड सांथा, जिला बस्ती में सीमेन्ट का आवंटन का आधार

97—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1981 से 30 जून, 1981 तक विकास खण्ड सांथा, जिला बस्ती में कुल कितनी सीमेन्ट किन-किन लोगों को बांटी गयी ? तथा उन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुए थे और तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाये गये थे ? क्या माननीय मंत्री जी सम्पूर्ण सूची (मय नाम, पता तथा दी गय सीमेन्ट की मात्रा एवं परमिट नं0 मय तारीख) सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? क्या यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि अगर इनमें से किसी को प्राथमिकता के आधार पर बिला नम्बर के सीमेन्ट दिया गया तो प्राथमिकता देने का आधार क्या था ?

श्री वासुदेव सिंह—

1 अप्रैल, 81 से 30 जून, 81 की अवधि में विकास खंड, सांथा में जारी परमिटों की सम्पूर्ण सूची खाद्य मंत्री जी के कक्ष में उपलब्ध है जहां देखी जा सकती है। जिन व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर सीमेन्ट दी गई उसके कारणों का उल्लेख सूची में कर दिया गया है।

विकास खंड, खेसरहा में वितरित की गई सीमेन्ट

98--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 1 अक्तूबर, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक विकास खंड खेसरहा, जनपद बस्ती में कुल कितनी-कितनी सीमेन्ट किन-किन लोगों को बांटी गयी तथा उन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाए गये थे ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण सूची (मय नाम, पता तथा दी गयी सीमेन्ट की मात्रा एवं मय परमिट नम्बर मय तारीख) सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अगर इनमें से किसी को प्राथमिकता के आधार पर बिना नम्बर के सीमेन्ट दिया गया तो प्राथमिकता देने का आधार क्या था ?

श्री वासुदेव सिंह--

1 अक्तूबर, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक विकास खंड, खेसरहा में वितरित की गयी सीमेन्ट की सम्पूर्ण सूची जिले से प्राप्त हो गयी है ।

सूची व्यापक है । अतः संलग्न करना व्यवहारिक नहीं है उसे खाद्य मंत्री जी के कक्ष में देखी जा सकती है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूधौली, बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं से सम्बन्धित पत्र

99--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या माह अप्रैल, 1981 में प्रश्नकर्त्ता के दो पत्र स्वास्थ्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूधौली, जनपद बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कर्मचारियों के आपसी लड़ाई एवं जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्तियों में की गयी अनियमितताओं के बारे में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

माननीय विधायक का पत्र 28 अप्रैल, 1981 को शासन को प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र के साथ संलग्न शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच जिला अधिकारी, बस्ती ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती से कराई गयी थी । जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है उस पर विचार किया जा रहा है ।

उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक तथा कर्मचारी संघर्ष समिति के बीच हुआ समझौता

100--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977 में उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक श्री आ0 पा0 शर्मा एवं उ0 प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 कर्मचारी संघर्ष समिति के बीच प्रतिनियुक्ति पद्धति के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो वह समझौता क्या था और बैंक द्वारा उस पर कितना अमल किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां । समझौता हुआ था : समझौते की प्रति तथा उस पर कृत कार्यवाही का विवरण मेरे कार्यालय में देखा जा सकता है ।

तहसील रानीखेत में नैथाना पेयजल योजना से सम्बद्ध गावों में पाइप लाइन बिछाकर पेयजल आपूर्ति

101—श्री जसवन्त सिंह वि —

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा भटकोठ, सनैड़ जालली, गोंसी, तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा) में नैथाना पेयजल योजना से सम्बद्ध गांवों में पाइप लाइन बनी है ? यदि हां, तो उक्त गांवों को कितने समय से पेयजल नहीं मिला है ? पेयजल न दिए जाने का क्या कारण है और कब तक पेयजल का लाभ उक्त गांवों को मिल जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

ग्राम सभा, भटकोट, जालली एवं सनैड़ (गोंसों को छोड़कर) में नैथाना देवी ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन डाली गई थी । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाने से उक्त पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी और परिणाम स्वरुप जून, 1980 से पेयजल आपूर्ति बन्द है । सार्वजनिक निर्माण विभाग से पाइप लाइन की मरम्मत हेतु धन की मांग की गई है । धन प्राप्त होते ही पाइप लाइन की मरम्मत कराकर पेयजल आपूर्ति शुरु कराने का प्रयास किया जायेगा । ग्राम सनैड़ में पेयजल आपूर्ति दिसम्बर, 1981 से ही प्रारम्भ कर दी गई है ।

विकास खंड खेसरहा, जनपद बस्ती में सीमेन्ट के आवंटन में प्राथमिकता देने का आधार

102—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1981 से 30 जून, 1981 तक विकास खंड खेसरहा, जनपद बस्ती में कुल कितनी-कितनी सीमेन्ट किन-किन लोगों में बांटी गयी तथा उन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र कब तक प्राप्त हुये थे और तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाये गये थे ? क्या यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि अगर इनमें से किसी को प्राथमिकता के आधार पर बिना नम्बर के सीमेन्ट दिया गया तो प्राथमिकता देने का आधार क्या था ?

श्री बासुदेव सिंह—

1 अप्रैल, 1981 से 30 जून, 1981 तक ब्लाक खंड खेसरहा, जनपद बस्ती में कुल 1442 बोरी सीमेन्ट का वितरण किया गया । जिन-जिन लोगों को सीमेन्ट वितरित की गयी, उनके नाम तथा अन्य विवरण प्राथमिकता दिये जाने के आधार सहित विस्तृत सूची की एक प्रति खाद्य मंत्री के कक्ष में उपलब्ध है, जहां देखी जा सकती है ।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (डाक्टर आर0 के0 गुप्त) के विरुद्ध भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार की शिकायत की जांच

103--श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायन तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर, मुजफ्फरनगर में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (डाक्टर आर0 के0 गुप्त) के विरुद्ध वर्ष 1977-78, 1978-79 एवं 1980-81 में भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्साधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच कराकर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री लोकपति--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध वर्ष 1977-78 एवं 1980-81 में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। वर्ष 1978-79 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 1977-78 की शिकायतों की जांच के उपरान्त आरोप सिद्ध नहीं हुये। वर्ष 1980-81 की एक शिकायत की जांच अभी पूरी नहीं हो पायी है। दूसरी शिकायत श्री एन0 पी0 जैन की सेवा पुस्तिका व एल0 पी0 सी0 देर से भेजने की थी। यह विलम्ब श्री जैन के छुट्टी चले जाने, स्थानान्तरण होने के कारण उसे संशोधित कराने तथा बिना चार्ज दिये चले जाने के कारण हुआ।

ताल कटोरा आवास योजना के अन्तर्गत समाविष्ट हुई भूमि तथा प्रतिकर का निर्धारण

104--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद लखनऊ में सन् 1962 की ताल कटोरा आवास योजना के अन्तर्गत कुल कितने लोगों की भूमि अधिगृहीत कर सन् 1977 तक कुल कितने मुआवजे का भुगतान किया गया था ? तथा मुआवजा आंकने में किस-किस आधार पर क्या-क्या रेट लगाये गये थे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

ताल कटोरा योजना के अन्तर्गत 13 ग्रामों की भूमि समाविष्ट हुई थी जिसमें से सात गांवों के एवार्ड घोषित हो चुके थे। चूंकि ताल कटोरा योजना में प्रतिकर वितरण की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है। अतः अन्य सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रतिकर का निर्धारण सन् 1962 की प्रथम विज्ञप्ति से पूर्व विक्रय विलेखों के आधार पर किया गया है।

स्वास्थ्य निरीक्षक, श्री नागेन्द्र प्रसाद जैन को विधान सभा चुनाव कार्य के यात्रा भत्ता का भुगतान

105--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री नागेन्द्र प्रसाद जैन, स्वास्थ्य निरीक्षक, शाहपुर, मुजफ्फरनगर की ड्यूटी विधान सभा चुनाव मई, 1980 में ग्राम सठेरा में लगाई गयी थी ? लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के

कारण उक्त कर्मचारी को चुनाव कार्य का यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत प्रशासनिक कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री लोकपति—

श्री नागेन्द्र प्रसाद जैन, स्वास्थ्य निरीक्षक शाहपुर, मुजफ्फरनगर की ड्यूटी विधान सभा चुनाव मई, 1980 में लगाई गई थी । श्री जैन ने उससे सम्बन्धित यात्रा भत्ता बिल प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्याना, बुलन्दशहर, जहां बाद में उनकी तैनाती हो गयी थी, को प्रस्तुत किया था । उक्त अधिकारी ने श्री जैन के प्रश्नगत बिल को सत्यापित करने हेतु, रजिस्टर्ड डाक द्वारा, प्राथमिक केन्द्र, शाहपुर को भेजा किन्तु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, शाहपुर को वह बिल प्राप्त नहीं हुआ । इसलिए उसका भुगतान अभी तक न हो सका ।

श्री जैन से डुप्लीकेट बिल प्राप्त करके उसका तुरन्त भुगतान करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

बांदा नगरपालिका की आय, राज्य सरकार द्वारा सहायता तथा सड़कों के निर्माण पर हुआ व्यय

106—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगर पालिका की वर्ष 1978 से मार्च, 1981 तक कितनी आय हुई एवं राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता मिली है और किन-किन मदों में उक्त धनराशि का खर्च हुआ है व वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 में नगर में किन-किन सड़कों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी और किन-किन सड़कों का निर्माण हो चुका है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

नगरपालिका बांदा की उक्त अवधि में आय 53,01,450 रु0 हुई उसे राज्य सरकार से 15,03,872 रु0 की सहायता मिली । व्यय की मदें सामान्य प्रशासन, जन सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा एवं प्रकीर्ण व्यय रही ।

प्रश्नगत वर्षों में सड़कों पर 5,94,778 रु0 व्यय हुआ पर निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया :—

1—स्टेडियम रोड,

2—गली सिंह वाहिनी मन्दिर से कन्धरदास तालाब तक,

3—गली स्टेशन रोड,

4—गली मढ़िया नाका,

5—पद्माकर चौराहे के सामने सड़क,

6—आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने गली,

7—सड़क छाबी तालाब से कटरा,

8—सड़क खैरात अली मस्जिद से डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज,

9—सड़क रेलवे क्रासिंग से जिला कारागार,

10—सड़क महेश्वरी देवी चौराहा से कोतवाली तक,

11—गली कटरा में मातादीन के मकान से पीपल तक,

12—गली डाक्टर शरद के मकान से मढ़िया नाका,

13—गली फूलचन्द्र के मकान से पूरन बाग तक,

14—बजरंग विद्यालय के निकट गली,

15—डी0 एस0 रोड,

16—गली श्री धर्मपाल सिंह,

लखनऊ स्थित ताल कटोरा आवास योजना में कम भूमि को जगह अधिक भूमि के नाम पर धोखाधड़ी तथा जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट

107—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ स्थित ताल कटोरा आवास योजना में बिना भूमि के या कम भूमि की जगह अधिक अर्जित भूमि के नाम पर सैकड़ों व्यक्तियों ने चार करोड़ से अधिक धनराशि सरकार को धोखा देकर प्राप्त किया जिसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग 1978 से कर रहा है ? इस सम्बन्ध में क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

108—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह भी सच है कि तत्कालीन जिलाधिकारी, लखनऊ ने इस सम्बन्ध में कैसरबाग कोतवाली में कोई रपट भी दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पूरा विवरण सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री माया राम, पूर्ति निरीक्षक, ग्राम समौसा, जनपद फैजाबाद को ए0 आर0 ओ0 तथा पुलिस द्वारा परेशान करने सम्बन्धी शिकायती पत्र

109—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मायाराम पुत्र श्री राम बचन वर्मा, ग्राम समौसा, विकास खण्ड पूरा बाजार, तहसील व जनपद फैजाबाद के पूर्ति निरीक्षक की पूर्ति कार्यालय के ए0 आर0 ओ0 तथा पुलिस द्वारा परेशान करने एवं फर्जी मुकदमे में फंसाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक

2 जून, 1981 को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच की कार्यवाही की गई तथा जांच के दौरान कोई कर्मचारी दोषी पाया गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

पत्र खाद्य आयुक्त कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । यदि माननीय विधायक उसकी प्रतिलिपि देने का कष्ट करें तो उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

निरन्तर कार्यरत डिप्लोमा फार्मेसिस्टों को स्थायी करने के आदेश

110-श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य सचिव, उ0 प्र0 द्वारा शासनादेश सं0 ई0 एस0 248 कार्मिक 4-81, दिनांक 9-2-81 को 3 वर्ष से निरन्तर कार्यरत डिप्लोमा फार्मेसिस्टों को स्थायी करने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया गया ? इस सम्बन्ध में डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की संघ शाखा मिर्जापुर ने अपने पत्र दिनांक 19-8-81 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर को लिखा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

शासनादेश दिनांक 9-2-81 द्वारा ऐसे समस्त अस्थायी राज्य कर्मचारियों को, जो 3 वर्ष से निरन्तर कार्यरत हैं, स्थायी करने के सामान्य आदेश जारी किए गए थे न कि केवल डिप्लोमा फार्मेसिस्टों को ।

इस सम्बन्ध में डिप्लोमा फार्मेसिस्ट संघ, शाखा मिर्जापुर का पत्र दिनांक 19-8-81 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ था ।

इन अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

टाउन एरिया भटनी, मझोली, सलेमपुर तथा लार में सीमेन्ट का वितरण

111-श्री हरिवंश सहाय--

क्या खाद्य मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत टाउन एरिया भटनी, मझौली, सलेमपुर तथा लार में 1 जुलाई, 1981 से 25 अगस्त, 1981 के बीच कितनी सीमेंट लोगों में वितरित की गई ? वितरित लोगों के नाम मात्रा सहित क्या हैं ?

श्री वासुदेव सिंह--

1 जुलाई, 1981 से 25 अगस्त, 1981 की अवधि में टाउन एरिया भटनी, मझोली, सलेमपुर तथा लार में वितरित सीमेन्ट की सूची जिलाधिकारी देवरिया से प्राप्त हो गई है । सूची व्यापक होने के कारण संलग्न किया जाना संभव नहीं है । एक प्रति खाद्य मन्त्री के कक्ष में उपलब्ध है जिसे वहां देखा जा सकता है ।

देवरिया जिलान्तर्गत, टाउन एरिया भाटपार रानी में सीमेन्ट का आवंटन

112—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत टाउन एरिया, भाटपार रानी में जुलाई, 1981 से 25 अगस्त, 1981 के बीच कितनी सीमेन्ट लोगों में आवंटित की गई ? आवंटित लोगों के नाम मात्रा सहित क्या हैं ?

श्री वासुदेव सिंह—

1 जुलाई, 1981 से 25 अगस्त, 1981 की अवधि में टाउन एरिया-भाटपार रानी में वितरित सीमेन्ट की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्राप्त हो गई है जिसे खाद्य मन्त्री के कक्ष में देखा जा सकता है ।

देवरिया जिलान्तर्गत, ब्लाक भटनी, बनकटा तथा भाटपार रानी में सीमेन्ट का वितरण

113—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक भटनी, बनकटा तथा भाटपार रानी में 1 जुलाई, 1981 से 25 अगस्त, 1981 के बीच प्रत्येक ब्लाकों में कितनी-कितनी सीमेन्ट वितरित की गई ? वितरित लोगों के नाम पता तथा मात्रा सहित क्या हैं ?

श्री वासुदेव सिंह—

1 जुलाई, 1981 से 25 अगस्त, 1981 की अवधि में ब्लाक भटनी, बनकटा तथा भाटपार रानी में वितरित सीमेन्ट की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्राप्त हो गयी है जिसे खाद्य मन्त्री जी के कक्ष में देखा जा सकता है ।

ब्लाक सलेमपुर, लार, भागलपुर बरहज व भलुअनी में वितरित की गई सीमेन्ट

114—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक सलेमपुर, लार, भागलपुर, बरहज व भलुअनी में 1 जुलाई, 1981 से 25 अगस्त, 1981 के बीच कितनी सीमेन्ट प्रत्येक ब्लाक में वितरित की गई ? वितरित लोगों के नाम व पता तथा मात्रा क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

1 जुलाई, 1981 से 25 अगस्त, 1981 की अवधि में ब्लाक सलेमपुर, लार, भागलपुर बरहज व भलुअनी में वितरित सीमेन्ट की सूची सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्राप्त हो गई है जिसे खाद्य मन्त्री के कक्ष में देखा जा सकता है ।

जिला देवरिया में सर्प के काटने से मृत्यु तथा उपचार हेतु दवाइयों का प्रबन्ध

115—श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि जिला देवरिया में 1 जून, 1981 से 25 अगस्त, 1981 के बीच कितने लोगों को सर्पों ने काटा जिससे उनकी मृत्यु

हो गई ? क्या इसके बचाव के लिए व्यापक पैमाने पर दवा का प्रबन्ध ग्रामीण क्षेत्रों में किया जायेगा ?

श्री लोकपति--

दिनांक 1 जून, 1981 से 25 अगस्त, 1981 तक की अवधि में जिला संयुक्त चिकित्सालय देवरिया में कुल सर्पदंशित 11 व्यक्ति उपचार हेतु भर्ती हुए उनमें से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जिला संयुक्त चिकित्सालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय चिकित्सालयों में सर्प काटने के उपचार हेतु प्रचुर मात्रा में सुइयां (इंजेक्शन) उपलब्ध हैं।

उत्तर प्रदेश जल निगम में गैर तकनीकी सेवाओं के प्रत्येक वर्ग एवं संवर्ग में स्वीकृत पदों के विरुद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति, स्वतंत्रता सेनानी वर्गों की संख्या

116--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में गैर तकनीकी सेवाओं के प्रत्येक वर्ग एवं संवर्ग (हर वेतनमान) के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1 नवम्बर, 1981 तक भरे गये कुल पदों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग, स्वतन्त्रता सेनानी वर्गों के कर्मचारियों की कितनी संख्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

उत्तर प्रदेश जल निगम में गैर तकनीकी सेवाओं के प्रत्येक वर्ग एवं संवर्ग (हर वेतनमान) के लिए स्वीकृत 2238 पदों के विरुद्ध 1 नवम्बर, 1981 तक भरे गये 2196 पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ी जाति, विकलांग तथा स्वतंत्रता सेनानी वर्गों के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :--

अनुसूचित जाति	..	122
अनुसूचित जनजाति	..	..
पिछड़ी जाति	..	76
विकलांग	..	8
स्वतन्त्रता सेनानी	..	1

श्रम नियोजन विभाग के सर्वश्री के0 पी0 सिंह एवं एम0 एस0 त्यागी के वेतन का भुगतान

117--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगर एवं श्रम नियोजन विभाग के सर्वश्री के0 पी0 सिंह एवं एम0 एस0 त्यागी को प्रतिनियुक्ति पर वरिष्ठ नगर नियोजक के पद पर 1975 में या उसके आस-पास लखनऊ तथा आगरा विकास प्राधिकरण भेजा गया था ? क्या यह सही है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 17-5-71 के प्राविधानों के अनुरूप उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं तथा क्या सरकार इसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां ।

श्री के0 पी0 सिंह को कार्यालय ज्ञाप, दिनांक 17-5-1979 के अनुसार वेतन मिल रहा है । श्री एम0 एस0 त्यागी को भी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17-5-1979 के अनुसार वेतन दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । इसमें देरी के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को चेतावनी दे दी गयी है ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

118--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 124 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब शिकायत मुख्य चिकित्साधिकारी के भी विरुद्ध है तो उन्हीं के द्वारा जांच किया जाना कहां तक उचित है ? क्या सरकार शिकायतों की जांच किसी उच्चाधिकारी से कराने पर विचार करेगी ?

श्री लोकपति--

शिकायतों की जांच सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक से कराये जाने के आदेश स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश को भेज दिये गये हैं ।

टाउन एरिया, मनकापुर में बस, ट्रक से प्राप्त शुल्क

119--श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया मनकापुर, जिला गोंडा में बसों तथा ट्रकों का प्रति दिन आने-जाने में कितना शुल्क लिया जाता है ? 1980-81 तथा 1981-82 में कुल कितनी आय बस, ट्रक, टैक्सी से प्राप्त हुई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

टाउन एरिया, मनकापुर में बस, ट्रक से प्रति चक्कर 6 रु0 (छः रुपये) ट्राफिक टैक्स के रूप में लिया जाता है । इस मद से टाउन एरिया कमेटी को 11 जून, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक 48,750 रु0 की आय हुई है । 11 जून, 1981 से पूर्व यह टैक्स लागू नहीं था ।

डा0 एम0 के0 सिंह, प्रा0 हेल्थ सेन्टर, राबर्ट्सगंज के अवशेष वेतन का भुगतान तथा अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र

120--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 एम0 के0 सिंह, प्रा0 हेल्थ सेन्टर, जलालपुर, जिला जौनपुर का वेतन फरवरी, 1974 से मई, अगस्त, 1975 तक तथा फरवरी, 1976 से जुलाई, 1976 तक का आंशिक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है जब वे प्रा0 स्वा0 केन्द्र, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर में कार्यरत थे ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने

पत्र संख्या ई0-2-77/78-4011, दिनांक 3-10-77 के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर को निदेश दिया कि इनके समस्त देयों तथा नियमित अवशेषों का भुगतान कर दिया जाय और एक सप्ताह के अन्दर उत्तर भी कृत कार्यवाही का मांगा था ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न करने के कारण क्या हैं ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त डा0 जब वृद्धी प्रा0 हे0 से0, मिर्जापुर में थे तब 20-12-75, 27-3-76, 12-5-76, 8-8-78 व 22-9-78 को प्रार्थना-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर को दे चुके हैं ?

श्री लोकपति---

जी हां, किन्तु डा0 एम0 के0 सिंह को फरवरी, 1974 से 3-3-74 तक वेतन देने का मामला मिर्जापुर से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि 4-3-74 को इन्होंने राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर में पद भार ग्रहण किया था । 4-3-74 से अगस्त, 1975 तक के आंशिक वेतन भुगतान के बारे में स्थिति यह है कि डा0 सिंह ने जितने दिन कार्य किया है उसका वेतन उन्होंने आहरित किया है । जिस अवधि का वेतन नहीं लिया उस अवधि में यह स्वेच्छा से कार्य से अनुपस्थित रहे। फरवरी, 1976 से जुलाई, 1976 तक के आंशिक वेतन भुगतान के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है । डा0 सिंह द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 20-12-75, 27-3-76, 12-5-76, 8-8-76 व 22-9-78 प्राप्त हुए हैं, जिन पर जांच की जा रही है । जांच में डा0 सिंह द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा । अनुपस्थिति की अवधि के सम्बन्ध में उनके द्वारा न तो अवकाश प्रार्थना-पत्र दिया गया और न ही कोई स्पष्टीकरण, अतः वेतन भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

121--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 एम0 के0 सिंह को आजमगढ़ से मार्च, 1974 में ट्रांसफर प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर में द्वितीय चिकित्सा अधिकारी के पद पर किया गया ? क्या डा0 एम0 के0 सिंह का अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ ने भेजा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

श्री लोकपति---

हां, यह सही है कि डा0 एम0 के0 सिंह का स्थानान्तरण प्रा0 स्वा0 केन्द्र, मोहम्मदपुर, आजमगढ़ से प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर को फरवरी, 1974 में स्वा0 सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशानुसार किया गया था । डा0 एम0 के0 सिंह राजपत्रित अधिकारी थे वे स्वयं वेतन आहरित करते थे जिनके द्वारा चार्ज दिए जाने पर ही कोषाधिकारी द्वारा अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता । अतः अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा भेजने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

विकास खंड सांथा, जनपद बस्ती में सीमेन्ट का वितरण

122--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या खाद्य मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि 1 जुलाई, 1981 से 30 सितम्बर, 1981 तक विकास खंड सांथा, जनपद बस्ती में कुल कितनी सीमेंट किन-किन लोगों को बांटी गयी तथा उन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुए थे और तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाये गये थे ? क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि अगर इनसे किसी को प्राथमिकता के आधार पर बिना नम्बर के सीमेन्ट दिया गया, तो प्राथमिकता देने का आधार क्या था ?

श्री वासुदेव सिंह--

1 जुलाई, 1981 से 30 सितम्बर, 1981 तक की अवधि में विकासखंड सांथा में वितरित सीमेंट की सम्पूर्ण सूची खाद्य मंत्री जी के कक्ष में उपलब्ध है जहां देखा जा सकता है। जिन व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर सीमेंट दिया गया है उसका आधार उनके नाम के सामने स्पष्ट कर दिया गया है।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील को अधिक मात्रा में सीमेन्ट आपूर्ति किए जाने संबंधित पत्र

123--श्री पंचानन राय--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित होने के कारण आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील को अधिक मात्रा में सीमेंट की आपूर्ति किए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-11-80 मुख्य मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 31-10-81 तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां।

भारत सरकार से प्रदेश को सामान्य कोटे के अतिरिक्त 72,000 मी० टन का चुनार सीमेंट फैक्टरी से सीमेंट कोटा प्राप्त हुआ था जिसमें 1000 मी० टन का आवंटन आजमगढ़ जिले को प्रथम त्रैमास, 1981 के सामान्य कोटे के अतिरिक्त दिनांक 21 जनवरी, 1981 को किया गया था।

विकास खंड खेसरहा, जनपद बस्ती में सीमेन्ट का वितरण

124--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या खाद्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 1 जुलाई, 81 से 30 सितम्बर, 81 तक विकास खंड खेसरहा, जनपद बस्ती में कुल कितनी-कितनी सीमेंट किन-किन लोगों को बांटी गयी तथा उन लोगों के प्रार्थना पत्र कब प्राप्त हुए और तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाये गये थे ? क्या यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि अगर इनमें किसी को प्राथमिकता के आधार पर बिना नम्बर के सीमेन्ट दिया गया तो प्राथमिकता देने का आधार क्या था।

श्री वासुदेव सिंह--

1 जुलाई, 1981 से 30 सितम्बर, 81 तक कुल 1444 बोरी सीमेंट विकास खंड खेसरहा, जनपद बस्ती में बांटी गई। जिन लोगों को सीमेंट बांटी गई, उनके नाम तथा अन्य विवरण, प्राथमिकता यदि किसी को दी गई के आधार आदि से सम्बन्धित सूची की एक प्रति खाद्य मंत्री के कक्ष में उपलब्ध है, जहां देखी जा सकती है।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र, बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

125--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, उ० प्र० लखनऊ को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,

10 स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के विरुद्ध पंजीकृत पत्रांक शिकायत 1981–83 दिनांक 23–9–81 एवं पंजीकृत नोटिस 81–82 दिनांक 23–10–81 को अध्यक्ष, उ0 प्र0 बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन, बाराबंकी शाखा से प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो वे शिकायतें क्या हैं और अब तक उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रश्नगत पत्र एवं नोटिस प्राप्त नहीं हुये हैं । अतएव शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में स्थित ईंट भट्ठे वालों के विरुद्ध अनियमितताओं सम्बन्धित शिकायती–पत्र

126—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित किन–किन ईंट भट्ठे वालों के विरुद्ध प्रति हजार पक्की ईंट पर अनुचित दाम लेना और पक्की रसीद न देने, सरकारी बिक्री–कर की चोरी करने, अधिक गहराई तक कृषि योग्य भूमि खुदवाने, कम चक्कर ईंट निकालने की सूचना देकर अधिक पक्की ईंट तैयार कर निजी धन अर्जन करने आदि से सम्बन्धित कितनी शिकायतें स्थानीय अधिकारियों एवं शासन को माह जून, 1981 से माह 7 नवम्बर, 1981 तक प्रश्नकर्ता व जनता से प्राप्त हुई हैं ? अब तक उन पर क्या–क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वासुदेव सिंह—

माह जून, 1981 से माह नवम्बर 7, 1981 तक सिर्फ दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ? श्री ओछी राम ईंट भट्ठा मालिक झंगहा के विरुद्ध अधिक मिट्टी काटने सम्बन्धी श्री योगेन्द्र कुमार त्रिपाठी, प्रधान, ग्राम सभा झंगहा का एक शिकायती–पत्र दिनांक 15–10–1981 को जिलापूर्ति कार्यालय, गोरखपुर में प्राप्त हुआ है । इस मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये हैं । दूसरी शिकायत श्री अब्दुल रसीद भट्ठा मालिक मुडिला के विरुद्ध श्री रहमत हुसैन कस्बा पिपराइच द्वारा की गई है जिस पर बिक्री कर अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय विचार किया जायेगा ।

ग्राम पाडरकुन्डा, जिला आजमगढ़ में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के भवन का निर्माण

127—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील में ग्राम पाडरकुन्डा के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के भवन निर्माण से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 1980 शासन को प्राप्त हुआ है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि यह चिकित्सालय कब स्वीकृत हुआ था और इसके भवन का निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री लोकपति—

प्रश्नकर्ता का पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ ।

चिकित्सालय वर्ष 1974 में स्वीकृत हुआ था । साधन उपलब्ध होने पर ही भवन निर्माण किया जा सकेगा ।

ग्राम बैकुण्ठपुर, जिला देवरिया के श्री राधेश्याम, श्री नरसिंह तथा श्री ज्वाला के पास डीजल एवं मिट्टी के तेल के लाइसेन्स

128--श्री हरिवंश सहाय--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बैकुंठपुर, तहसील देवरिया, जिला देवरिया के श्री राधेश्याम, श्री नरसिंह तथा श्री ज्वाला पुत्र श्री गौरी के पास डीजल एवं मिट्टी का तेल बेचने का लाइसेन्स हैं ? यदि हां तो उक्त तीनों आदमियों के लाइसेन्स नम्बर क्या हैं ?

श्री वासुदेव सिंह--

ग्राम बैकुंठपुर, तहसील देवरिया, जिला देवरिया के श्री राधेश्याम, श्री नरसिंह तथा श्री ज्वाला पुत्र श्री गौरी के नाम उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल आयल और लाइट डीजल आयल (सम्भरण बनाये रखना और वितरण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत डीजल की फुटकर बिक्री का तथा उत्तर प्रदेश मिट्टी का तेल नियंत्रण आज्ञा, 1982 के अन्तर्गत मिट्टी तेल की फुटकर बिक्री का इस समय कोई लाइसेन्स नहीं है । इनमें से श्री नरसिंह के नाम आबकारी विभाग द्वारा यू0पी0 सेल्स आफ मोटर स्प्रिट एन्ड डीजल आयल एन्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, 1939 के अन्तर्गत डीजल का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट सं0 3 जारी किया गया है जो 31-3-82 तक वैध तो है परन्तु उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल आयल (सम्भरण बनाये रखने और वितरण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत चूंकि उसे डीजल की फुटकर बिक्री का लाइसेन्स नहीं जारी किया गया है अतएव वह डीजल का विक्रय नहीं कर सकता ।

प्रश्न के अन्तिम भाग का सवाल नहीं उठता ।

[12 बजकर 12 मिनट]

भूतपूर्व सदस्य नवाब सैयद मुर्तजा अली खां के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, 7 फरवरी, 1982 को श्री मुर्तजा अली खां का निधन, लगभग 60 वर्ष की अवस्था में हो गया । वह इस सम्मानित सदन के सदस्य सन् 1969 में और सन् 1974 में रहे । सन् 1969 में मेरा भी सौभाग्य रहा है कि इस सदन में मैं भी उनके साथ बैठा हूं और इस समय भी कई और माननीय सदस्य हैं जो उस समय उनके साथ विधान सभा के सदस्य थे, उनको जानते थे और एक व्यक्ति के नाते जो उनकी सहृदयता थी मिलनसारिता थी, उसकी छाप, मेरे ख्याल से जो भी उनके सम्पर्क में आया है, उस पर हमेशा-हमेशा के लिए पड़ी है । मुझे ख्याल है, जब वह पहली बार आए थे तो नवाब रामपुर के नाम पर एक स्पेशल ट्रेन लगी थी यह सुनकर मन की एक भावना बनी थी लेकिन मिलने के बाद इस तरह की कोई भी बात मन में नहीं रहती थी । वे बहुत ही सहृदयता से हम लोगों से मिलते थे और उसी तरह का उनका व्यवहार भी रहता था । उनकी रुचि अध्ययन में रही है और रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वाइस-चान्सलर रहे हैं । उनके निधन से हम लोगों ने अपना एक साथी और एक समाजसेवी खोया है । उनके शोक सन्तप्त परिवार तक सदन की भावना और हम लोगों की भावना आप पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष जी, नवाब सैय्यद मुर्तजा अली खां के देहावसान पर माननीय नेता सदन ने जो भावना दुखी स्वर से व्यक्त की है, उससे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं ।

मान्यवर, नवाब साहब ने ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त की, जो सम्पन्न घराने के लोग प्राप्त किया करते थे । मान्यवर, दो बार वे कांग्रेस के टिकट पर इस सदन में चुनकर आए और अंग्रेजी काल में स्वतन्त्र भारत के पूर्व भी नवाब साहब कमाण्डर-इन-चीफ आफ इंडिया के ए0 डी0 सी0 रहे । मान्यवर, जाहिर है कि हम सबको उनके निधन से दुख है । दुख होना स्वाभाविक है क्योंकि वे इस माननीय सदन के सदस्य रह चुके हैं । मैं अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे दुखी स्वर को शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, नवाब मुर्तजा अली खां के निधन पर माननीय नेता सदन व उप नेता विरोधी दल ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए सदन को बताना चाहूंगा कि आज के युग में वह कोई भी व्यक्ति जिसके पास अथाह धन हो और जिसकी जान-पहचान प्राइम-मिनिस्टर से लेकर नीचे तक बहुत से लोगों से हो, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव और दिमाग थोड़ा सा ऊंचाई पर स्वतः हो जाता है लेकिन नवाब साहब ऐसे व्यक्तियों में से थे जो इस सदन के सदस्य थे और सबसे बहुत सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते थे और छोटे से छोटा कोई भी कर्मचारी यदि उनके पास पहुंच जाता था तो उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते थे और असेम्बली में उनकी सेवा शर्तों के बारे में अगर कोई भूल हो गयी है या किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो वे मुख्य मन्त्री और अन्य मन्त्रियों से मिलकर कोशिश करते थे कि किसी गरीब के आंसू न बहे । मान्यवर, इतना ही नहीं, जब-जब यहां पर बड़े-बड़े निर्णय लिये गये हैं और सदन की बैठक रात को 11-11 बजे तक चली है उस वक्त भी वह सुबह 11-00 बजे से रात के 10-11 बजे तक सदन में रहते थे । इस तरह से उन्होंने अपनी सादगी और स्वभाव से सबके दिलों को जीता है । ऐसे व्यक्ति के निधन पर केवल मुझे ही नहीं बल्कि जो लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं सबको इस बात का हार्दिक दुख है । ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे और उन्होंने जो कुछ भी इस सदन में किया है, गरीबों के वास्ते हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर कुछ कर सकें ।

*श्री धम्मन सिंह गहलौत--

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय नवाब मुर्तजा अली खां के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन और अन्य नेता ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, नवाब होते हुए भी उनके अन्दर बड़प्पन की कोई बू नहीं थी । वे सर्वसाधारण जनता में बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे । ऐसे व्यक्ति के निधन से इस प्रदेश को बड़ी हानि हुई है । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे दल की ओर से शोक सन्तप्त परिवार को हमारी भावनाएं पहुंचाने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर,

हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।

मान्यवर, माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने जिन विचारों का इजहार किया है मैं अपने को और अपने दल को उससे पूरी तरह सम्बद्ध करता हूं। नवाब साहब का अचानक गुजर जाना बहुत बड़ा हादसा है। उन्होंने नवाबी की जिन्दगी में आंख खोली और वे एक सख्फी की हुकूमत के बाप के बेटे थे। उनके पिता रामपुर की रियासत के आखिरी शासक में से थे और उन्होंने अपनी जिन्दगी के 25-26 साल हुकूमत में गुजारे जबकि वह रामपुर के हुकमराह और वहां के नवाब के बेटे थे मगर उनके अन्दर कभी नबाबी की बू नहीं आई। उन्होंने कभी अपने को साधारण स्तर के आदमी से अलग नहीं समझा और यही कारण है कि उनके मरने की खबर जब रामपुर में पहुंची तो हर आदमी बूढ़ा, जवान, बच्चा, मर्द, औरत, हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख इसाई सब रो रहे थे।

मैंने अपनी आंखों देखा कि किस तरह से लोग उनकी मैय्यत पर उनके जनाजे के पीछे-पीछे जा रहे थे और उसी कोशिश में लगे थे कि किसी तरह से उनकी मैय्यत को कन्धा दे सकें और यही किसी आदमी को हासिल होता है कि वह ऐसी जिन्दगी गुजार जाय कि जब वह मरे तो आदमी यही कहे कि इसको अभी मरना नहीं चाहिए था। वह ऐसे वक्त पर गए जबकि मुल्क को, कौम को उनकी बहुत बड़ी जरूरत थी। उन्होंने कभी अपने को किसी मामले में पीछे नहीं रखा। हर मामले में आगे रहे और हर तरीके से उन्होंने लोगों की खिदमत करी।

मान्यवर, मुझको उनके उठ जाने का बेहद दुख है। मेरा वास्ता उनसे और नजदीक का हो गया था। मेरे बाप और दादा रियासत रामपुर में थे। अभी चन्द साल हुए मेरे भांजे की शादी उनकी भांजी से हुई। उन्होंने इस रिश्ते को भी उसी तरीके से निभाया जिस तरह वे बराबर निभा रहे थे। उनकी बहन डाक्टर नुरुल हसन साहब की बेटी थीं और हम सब को इस बात का मलाल है कि उन्होंने बहुत कम उम्र पाई। उनको दुनिया में अभी बहुत दिन जिन्दा रहना था। रामपुर की गरीबी दूर करने में उनका बहुत हाथ है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जब वह सदस्य थे उन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किये। मुझको उनके मरने का बहुत दुख है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हम लोगों की तरफ से दुखी परिवार को संवेदना संदेश पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष जी स्वर्गीय नवाब मुर्तजा अली खां के निधन के सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन और उपनेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारे संवेदना संदेश को पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रियासत हुसैन--

माननीय अध्यक्षजी नवाब साहब की मौत के ऊपर जो नेता सदन तथा उपनेता विरोधी दल और अन्य पार्टियों के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। जैसा कि नेता सदन ने कहा कि वे 1969 से लेकर 1974 तक इस सदन के सदस्य रहे। यूं तो उनसे मेरी काफी नजदीकी का साथ रहा है। उनकी मंजिल मेरे घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पर है। उनके दादा की जो मंजिल है, वह इतनी ऊंची मीनार है कि काफी दूर से ही दिखाई देती है। उनकी खूबी यह थी कि, हालांकि रामपुर की रियासत कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं थी। रामपुर की रियासत 42 लाख रुपये की मालगुजारी थी लेकिन मल्का विक्टोरिया ने उसको खिताब दिया हुआ था फरजंददिलबगीर का। रामपुर एक छोटी सी रियासत है। नवाब साहब की खासियत थी कि इतनी बड़ी रियासत के नवाब को महारानी विक्टोरिया ने फरजन्ददिल वजीर का खिताब दिया था। गरीब आदमियों से उनको इतनी मुहब्बत थी कि जब वे दिल्ली अपनी कार से जाते थे तो वे उस कार में पिछली सीट पर नहीं बैठते थे बल्कि ड्राइवर के पास बगल में अगली सीट पर बैठते थे। उनकी खूबी यह रही कि कभी भी उन्होंने अपने को यह नहीं सोचा कि मैं नवाब हूं। किसी गरीब के काम से किसी मिनिस्टर के यहां जाते थे या किसी अधिकारी के यहां जाते थे जो उस गरीब के काम को पूरा कराने में उन्हें कभी कोई संकोच नहीं महसूस होता था। किसी अधिकारी के पास जाने में उन्होंने कभी भी तकल्लुफ नहीं की। वे हमेशा उनके पास जाते रहे। यह उनकी इंसानियत और उनके दिल व दिमाग की बात थी जो गरीबों के लिये प्रेम और मुहब्बत किस कदर रखते थे। यह रामपुर की सारी पब्लिक पर असर अन्दाज करने वाला है। इसलिये मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके दुखी परिवार तक हमारी पार्टी की तरफ से समवेदना प्रकट कर दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, माननीय उपनेता विरोधी दल और अन्य सभी माननीय नेताओं द्वारा व्यक्त की गई, भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं। नवाब साहब मुर्तजा अली खां मानवीय गुणों से सम्पन्न थे। वे एक अच्छे प्रशासक थे, एक अच्छे सांसद थे। गरीबों की दशा सुधारने में उनकी रुचि थी वे हमारे प्रदेश के अगुवा थे ऐसे व्यक्तित्व के चले जाने का हम सब को दुख है। इन शब्दों के साथ में भी अपने को सबकी भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं और आप लोगों के विचार उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा। कृपा कर आप लोग उनकी आत्मा की शान्ती के लिए दो मिनट के लिए मौन खड़े हो जायं।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने स्थान पर मौन खड़े हुये।)

प्रदेश के डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एशोसियेशन द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में सचिवालय के सामने अनशन व हड़ताल की धमकी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[12 बजकर 28 मिनट]

*श्री सन्त बक्स रावत--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम के शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्त बक्श रावत–]

उत्तर प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में जनता की सेवा में लगे 5,500 फार्मेसिस्टों की एक मान्यता प्राप्त संस्था डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लगातार फार्मेसिस्टों की न्यायोचित मांगों, वेतनमान में व्याप्त विसंगतियों, प्रान्तीयकरण तथा चीफ फार्मेसिस्ट तहसील स्तर और प्रदेश स्तर पर उप निदेशक, फार्मेसी आदि की मांगों को लेकर दिनांक 15 जनवरी, 1982 से सचिवालय के सामने क्रमिक अनशन कर रहे हैं तथा 20 फरवरी, 1982 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। जिसके कारण प्रदेश के रोगियों के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न हो जायेगा तथा प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों की स्थिति अत्यन्त भयावह हो जायेगी।

ज्ञातव्य है कि इस सम्बन्ध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने एक पत्र, जो श्री बी० एन० सिंह, महामंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, लखनऊ को 3 फरवरी, 1981 को लिखा था, में इस बात का उल्लेख किया है कि '5 जनवरी, 1981 को डिप्लोमा फार्मेसिस्टों एवं आपके साथ हुई वार्ता में मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं इस पक्ष में हूं कि विभाग के सभी डिप्लोमाधारी कर्मचारियों का एक ही वेतन क्रम रखा जाय। जहां तक उनकी मांगों का सम्बन्ध है जिसके बारे में गत 25 नवम्बर, 1980 तथा 5 जनवरी, 1981 की वार्ता में सहमति हुई शीघ्र पूर्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं,' किन्तु आज तक शासन द्वारा कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया।

इस घटना के कारण प्रदेश के फार्मेसिस्टों एवं जनता में यह आशंका पैदा हो गई है कि 20 फरवरी, 1982 से रोगियों को दवाइयां मिलेंगी अथवा नहीं इससे जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से इस सम्बन्ध में शीघ्र उचित कार्यवाही कर जनता की भावी आशंकाओं को दूर करने की मांग करता हूं।

जिला हरदोई के कस्बा संडीला की सड़कों को बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती कुदसिया बेगम––

महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि कस्बा संडीला, जिला हरदोई की सड़कें बहुत खराब दशा में हैं। विशेषतः मोहल्ला किसान टोला की सड़कें व गलियां बहुत खराब दशा में हैं जिसमें कीचड़ व गन्दगी हर समय रहती है।

पिछले वर्ष 1981–82 के बजट में 84 हजार रुपया मोहल्ला किसान टोला की सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार ने मंजूर किया था और वह पैसा नगर-पालिका संडीला को दे दिया गया था, परन्तु अभी तक सड़कें बनना आरम्भ नहीं हुआ है जिसके करण संडीला की जनता मुझसे बराबर सड़कें बनवाने के लिए जोर डाल रही है क्योंकि उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

सड़क बनवाने के लिए नगरपालिका संडीला ने पहले से बने सड़क को भी उजड़वा दिया जिससे रोड और अधिक खराब हो गई है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि इस कार्य को तुरन्त कराने की कृपा करें; अन्यथा गन्दगी के कारण बीमारी फैलने का अंदेशा है।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बस्ती जनपद के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा फर्जी तौर से हरिजन व पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति निकाल कर हड़प कर जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, बस्ती जनपद में महाविद्यालय एवं विद्यालयों, जिसमें मुख्य रूप से रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, गोपाल कृष्ण गोखले जू0 हाई स्कूल, कठेला बाजार व विभिन्न विद्यालयों में हरिजन व पिछड़ी जाति के छात्रों के नाम पर लाखों रुपया फर्जी तौर पर विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने सरकारी खजाने से निकाल लिया है न तो विद्यालय में उतने छात्र हैं न उन नामों के छात्र हैं जिसके नाम से छात्रों की छात्रवृत्ति निकाली गई। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ में शासन को बस्ती जनपद के हरिजन कल्याण अधिकारी ने भी रिपोर्ट प्रेषित की है कि इस जनपद में पचासों लाख रुपये का घपला किया गया है। शासन की तरफ से एक बार आडिट भी कराई गई। आडिट में भी आडिटर ने भी व्यापक पैमाने पर घपला होने की सूचना निदेशक, हरिजन कल्याण को दी है जिसके आधार पर शासन ने पिछले 10 वर्षों की आडिट के लिए निदेशक को आदेश दिया है परन्तु आज तक न तो उन महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के विरुद्ध शासन ने न तो किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की और न ही वहां के प्रधानाचार्यों को धन को वापस करने का निर्देश दिया। इस संदर्भ में बार-बार जिलाधिकारी व शासन से सम्पर्क किया गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। छात्र जिनके नाम पर रुपये निकाले गये अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इस तरह से फर्जी छात्रवृत्तियों के हड़प जाने से जिले में हरिजन व पिछड़ी जाति के छात्रों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है। हरिजन अधिकारी के बार-बार लिखने के बावजूद भी राजनैतिक प्रभाव में प्रधानाचार्यगण न तो छात्रों को रुपया दे रहे हैं और न ही खजाने में पैसा वापस कर रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि प्रधानाचार्य के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर दोषी प्रधानाचार्यों को दण्ड दिलाने की कृपा करें।

देवरिया जिले के माध्यमिक शिक्षकों का जी0 पी0 एफ0 का धन जमा न करके प्रधानाचार्यों द्वारा घपला किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह--

महोदय, देवरिया जिले के माध्यमिक शिक्षकों का जी0 पी0 एफ0 का पैसा पिछले तीन वर्षों का दो करोड़ तीन लाख रुपया कटौती का किया गया है। 2 फरवरी, 1982 तक केवल एक करोड़ रुपया ही जमा है। शेष एक करोड़ तीन लाख रुपये का कहीं पता नहीं है। पिछले वर्ष सौ से ऊपर अध्यापक रिटायर्ड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्द किशोर सिंह—]

हुए जिनके जी0 पी0 एफ0 का पैसा अभी तक नहीं मिला। खोज करने पर पता चला कि एक करोड़ तीन लाख रुपया जमा नहीं है। होता यह है कि हर विद्यालय पिछले महीने का जी0 पी0 एफ0 का पैसा जमा करने का प्रमाण-पत्र देता है तब जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उस महीने का पेमेन्ट पास किया जाता है। स्कूल के लोग बिना प्रमाण-पत्र दिये घूस देकर पास करा लेते हैं और प्रधानाचार्य लोग इस पैसा का निजी कामों में प्रयोग करते आ रहे हैं। जब रिटायर्ड अध्यापकों ने इसकी खोज शुरू की तो यह मामला प्रकाश में आया। इससे पूरे जिले के माध्यमिक शिक्षकों में असन्तोष का वातावरण छा गया है।

अस्तु इस माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि पूरे मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करावें तथा एक करोड़ तीन लाख रुपया जो जी0 पी0 एफ0 का जमा नहीं है उसे तत्काल जमा करावें और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करें जिससे माध्यमिक शिक्षकों में व्याप्त असन्तोष दूर हो सके। सभी अध्यापकों को जी0 पी0 एफ0 की पास-बुक दिया जाय।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड विधेयक, 1981, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 1982 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 फरवरी, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1981, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 1982 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 1 फरवरी, 1982 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 10 फरवरी, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982†

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति) --

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लोकपति--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत चिकित्सा शिक्षण संस्था (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982†

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करती हूं ।

[12 बजकर 39 मिनट]

कार्य-स्थगन के प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 के अन्तर्गत 2 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री जमुना प्रसाद तथा श्री राम सागर की है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के एक प्रमुख मंत्री का बदमाशों द्वारा अपहरण किए जाने एवं

---

†दिनांक 12 फरवरी, 1982 के असाधारण बजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[श्री अध्यक्ष--]

फिरौती लेकर छोड़े जाने के सम्बन्ध में है और दूसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की है जो कि पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा पिछले पांच महीनों से विधान सभा के समक्ष अनशन किये जाने से सम्बन्धित है, ये दोनों सूचनायें अस्वीकृत हैं ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, वे कौन मंत्री हैं जिनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है ?

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जो सूचना दी गई है, उसको आप कृपया पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष--

उसका विषय तो मैंने पढ़ दिया ।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, परेशानी यह है कि यह एक शंका हो गयी है कि किस मंत्री का अपहरण हो गया है । इसलिए नाम बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । अगर आपकी सूचना स्वीकार होती, तो मैं पढ़ देता वह हमने स्वीकार तो की नहीं ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है मान्यवर, 50 हजार रु0 की मांग को लेकर एक मंत्री जी का अपहरण किया गया है ।

श्री रियासत हुसैन--

बच्चों की चोरी करके फिरौती की बात तो हम सुनते आये थे, लेकिन अब मंत्रियों की फिरौती होनी शुरू हो गयी है तो जरा मालूम हो जाय, कि वह कौन मंत्री हैं ?

श्री मुख्तार अनीस--

50 हजार रु0 की मांग की गयी है यह खबर समाचार-पत्रों में छपी है तो इस मामले को लेकर बहस हो जाय ।

(व्यवधान)

इस प्रदेश में डाकू मंत्रियों का अपहरण कर रहे हैं···

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, जब मंत्रियों का अपहरण होने लगेगा तो दूसरे लोगों का क्या होगा ?

जिले की समितियों की अध्यक्षता सरकारी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

[12 बजकर 41 मिनट]

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक औचित्य का प्रश्न किया था। मैं आपकी इजाजत से एक मिनट कहना चाहता हूं। प्रतिदिन इस सदन में सरकार आश्वासन देती रही है और उसका उल्लंघन हो रहा है...

श्री अध्यक्ष--

आपकी एक सूचना औचित्य के प्रश्न के रूप में आई है कि जिस समिति में सरकारी अधिकारी अध्यक्ष हैं, उसमें आपको आमंत्रित किया गया। यह सही है कि सदन में बार-बार इस बात का आश्वासन दिया गया है कि जिन समितियों में सरकारी अधिकारी अध्यक्षता करते हों, वहां माननीय सदस्यों को नहीं जाना चाहिये। मेरी तरफ से भी सुझाव दिया गया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हर बार यह सुझाव दिया जाता है और हर बार इस तरह के आश्वासन आते हैं

(व्यवधान)

कृपया सुनें। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं की इस सम्बन्ध में पुनः बैठक बुलाऊंगा, कि यह स्पष्टतया विचार करने के लिये कि इस सम्बन्ध में क्या होना चाहिये, आपका औचित्य का प्रश्न निरस्त किया जाता है।

[12 बजकर 42 मिनट से]

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 †

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में दो शब्द कह दूं कि 1-4-80 को राज्य विधान मंडल में बेनामी बांडों और हस्तान्तरण पत्रों में स्टाम्प की दरों में वृद्धि की गयी थी और इस वृद्धि से सीधा सम्बन्ध अन्य दस्तावेजों से भी है अतः उनकी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

श्री रियासत हुसैन--

यह स्पष्ट कर दें, कि बेनामी बांडों के अलावा कौन से दस्तावेजों पर यह बिल लागू होगा, तो बहस में आसानी हो जायेगी, इसमें स्पष्ट नहीं है कि वह कौन से दस्तावेज होंगे ?

†दिनांक 5 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री ब्रह्म दत्त--

पूरा विवरण दिया गया है ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे । श्रीमन्, अभी भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 बिल के रूप में आपके माध्यम से सदन में आया है । इस सन्दर्भ में, मैं निवेदन करना चाहता हूं आप देखें इसके उद्देश्य और कारण में दिया हुआ है कि--"उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-बी के अधीन हस्तान्तरण-पत्रों और बन्ध पत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क की दरों में समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता रहा है । किन्तु उपयुक्त अनुसूची में उल्लिखित अन्य लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरों में पुनरीक्षण नहीं किया गया है और कुछ मदों पर उक्त दरों में 1952 से पुनरीक्षण नहीं किया गया है । इस प्रकार, ऐसी लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरें बहुत ही कम हैं । अतएव, राज्य के संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से कतिपय दरों को बढ़ाना आवश्यक समझा गया ।"

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बड़े जोरशोर से कहा था कि अब हम कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे हैं । हम लोगों ने उसी समय इसके विरोध में कहा था कि आप जरूर कोई नया टैक्स लगायेंगे या उसमें एक्सटेंशन करेंगे, या सरकार ओवर ड्राफ्ट लेने के लिए मजबूर होगी या फिर आप केन्द्र सरकार से ऋण लेने के लिए मजबूर होंगे उसके द्वारा आप अपने संसाधनों को विकसित करेंगे या नये संसाधन जुटाने की चेष्टा करेंगे, उस दिन अपने पक्ष के लोगों से मेज थपथपवाने के लिए, शाबाशी प्राप्त करने के लिए कह दिया था कि हम प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं करने जा रहे हैं । उस घोषणा के एक सप्ताह बाद ही यह नया कर उन्होंने हाउस में लाकर रखी है और सीधे साधे उन्होंने इस तरह से टैक्सों को बढ़ाया है ।

अब मैं कुछ चीजों की ओर जो इसमें दी हुई हैं, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बजट भाषण में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्री व 24 सूत्री कार्यक्रमों का हवाला दिया है और कहा है कि जो गरीब हैं 100, 200 रुपये का ऋण लेते हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में ऋण देंगे उस सम्बन्ध में सुविधाएं भी देंगे । लेकिन इस बिल को देखने से ऐसा लगेगा इसके सर्वथा विपरीत इसमें सब किया गया है । अनुच्छेद 1 में 20 रुपये तक के लिए जो ड्यूटी लगती थी उसका पहले 25 पैसे लिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर आप 50 पैसे करने जा रहे हैं । इसी प्रकार, अनुच्छेद 2 में, 100 और 200 रुपये तक का जो था, उसको बढ़ाकर 50 से 75 पैसे कर दिया गया है । अनुच्छेद 4 में शपथ-पत्र अदालतों में कोई दाखिल करना चाहता था तो पहले उस पर 4 रुपये पचास पैसे लगता था और अब उसको बढ़ाकर आप 5 रुपये करने जा रहे हैं । 7वें अनुच्छेद में एक हजार रुपये पर 28 रुपये जो ड्यूटी लगती थी उसे बढ़ाकर 50 रुपया कर दिया गया है । अनुच्छेद 10 में पहले 225 रुपये था, उसे अब 300 रु0 कर दिया गया है । इसी तरह से हाई

कोर्ट में जो एटार्नी करना चाहता है उसमें भी 275 की सीमा को बढ़ाकर 300 रुपया कर दिया गया है ।

यह गरीबों की बड़ी मदद करने की और उनको सुविधा पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन इसमें अनुच्छेद 6 में जो संशोधन किया गया है, उसके द्वारा उस भावना को समाप्त करके बिल्कुल उसके विपरीत काम किया गया है । इसमें लिखा हुआ है कि उक्त अनुसूची में अनुच्छेद 6 में खंड (2) उपखंड (ए) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अंकों के स्थान पर स्तम्भ दो में दिये गये अंक रख दिये जायेंगे, अर्थात्—इस सन्दर्भ में यह है कि छोटे उधारियों और छोटी धनराशि अर्थात् 200 रुपये से कम के लिए जो पहले 1 रु0 था उसके स्थान पर डेढ़ रुपया कर दिया गया है । 200 से अधिक 400 रुपये तक जो पहले 2 रुपया टैक्स था उसको बढ़ाकर 3 रुपया कर दिया गया है । 400 से 600 रुपया पर 3 रुपया से बढ़ाकर 4·50 रुपया, 400 से 800 रुपया पर 4 रुपया से बढ़ाकर 6 रुपया कर दिया गया है । 800 से 1,000 रुपये पर 5 रुपया से बढ़ाकर 7·50 रुपया टैक्स कर दिया गया है । 1,000 और 1,200 रुपया के बीच 6 रुपये से बढ़ाकर 9 रुपया कर दिया है, 1,200 से 1,600 रुपये के बीच 8 रुपये के स्थान पर 12 रुपया, 1, 600 से 2,500 रुपये पर 12·50 के स्थान पर 18·75 रुपये कर दिया गया है ।

इसी प्रकार से आगे और बढ़ोत्तरी की गयी है । जो घोषित नीति थी उसके सब विरुद्ध किया गया है । यह छोटे लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग जो एक, दो और पांच हजार ऋण लेने का काम करते हैं उन पर टैक्स बढ़ाते हैं और उनकी नीयत से साफ हो गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के साथ इनकी कोई हमदर्दी नहीं है । जो परम्परा से टैक्स चला आ रहा है थोड़ा-थोड़ा उसको टच किया गया है । अधिक से अधिक रुपया वसूल करने का प्रयास किया गया है । अपने 20 सूत्री कार्यक्रम में गरीबों की मदद करने की बात तो जरूर कहते हैं लेकिन जो 200 रुपया भी बैंक से ऋण लेगा उसको एक रुपये के स्थान पर बढ़ाकर 1 1/2 रुपया कर इसी प्रकार से जो 400 रुपये से अधिक 600 रुपये तक ऋण लेगा उसको बढ़ाकर 2 रुपये से 3 रुपये कर दिया गया है ।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि जो कचहरियों में टिकट लगते हैं, उनमें कोई समानता नहीं है । टिकट लगाने के लिए भी लोगों को वकील करने पड़ेंगे और अगर 8 आने के टिकट लगाने हैं तो उसके लिए भी उनको 2-4 रुपये वकील को देने पड़ेंगे क्योंकि आम आदमी नहीं समझ सकता है कि कितने रुपये के टिकट उसे लगाने होंगे । इसमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है । लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कितना टैक्स लगेगा, कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, नीलामी के मामले में और रजिस्ट्री के मामले में उसे कितने रुपये के स्टाम्प लगाने होंगे । तो जिस एमाउन्ट की स्टाम्प ड्यूटी लगानी होगी, उसकी जानकारी आम आदमियों को नहीं हो पाती है । इससे जनता को बड़ी ही तकलीफ होती है वकील को व्यर्थ में उन्हें रुपया देना होता है । तो मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक को यदि प्रवर समिति में भेज दिया जाय, तो वहां इस पर सम्यक् विचार हो जायेगा और फिर जनता को मालूम हो जायेगा कि कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगनी है, कितना टैक्स देना होगा और कितने रुपये के टिकट लगाने होंगे, कितनी स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी ।

[श्री गौरी शंकर भैय्या--]

यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि नीलामी, ठेकों और कचहरियों में कितने मूल्य के टिकट लगाने होंगे। प्रवर समिति में भेजने पर जनता को पूरी जानकारी हो जायेगी और उन्हें गुमराह करने का मौका मिलता है, वह नहीं मिलेगा। इस सम्बन्ध में यह बहुत ही आवश्यक है कि एक कौम्प्रहेन्सिव बिल सदन में आये, ताकि वह जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस बिल को सदन में रखने की आप इजाजत ही न दें और इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाना चाहिए ताकि वहां पर ठीक तरह से विचार हो सके।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैंने इस बिल को देखा है। मुझे इसको देखने पर विदित हुआ कि इसमें बहुत ही नौमिनल रेट्स में इन्क्रीज किया है। बहुत पुराने वक्त से जो रेट्स चले आ रहे थे, इन चेन्जड सर्कम्सटान्सेज में उनका बदलना बहुत ही जरूरी था ज्यादातर इसमें राउन्ड-अप-फीगर्स कर दी गयी हैं और जो बढ़े हुए रेट्स हैं, वे किसी तरह से भी अनुचित नहीं हैं, उचित ही हैं।

इस सम्बन्ध में, मैं चन्द बातों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह स्टाम्प्स के बारे में है। देखा गया है कि उनको बहुत ज्यादा स्पूरियस प्रिन्ट हो रहा है और इसको रोकने की बहुत जरूरत है। जो हमारे जेनुइन स्टेम्प्स हैं, वे तो पीछे रह गये लेकिन जो जाली छपे हुए हैं, वे सामने आ जाते हैं जिससे बहुत अनियमितायें सामने आती हैं।

दूसरे हमारे जो स्टैम्प वेन्डर्स हैं, स्टम्प फरोश हैं, उनके ऊपर यह लाजमी होना चाहिये कि वे स्टाम्प्स के साथ साथ एक रसीद भी दें और उसमें उसकी पूरी डिटेल्स भी हो और परचेज करने वाले जब स्टैम्प दाखिल करें तो वे उसके साथ स्टैम्प खरीदने की रसीद भी नत्थी करें, इससे काफी हद तक जो दिक्कतें सामने आती हैं वे दूर हो जायेंगी और उसका एकाउन्ट भी रखा जा सकेगा। उदाहरण के लिये अगर किसी ने प्रतापगढ़ से एक हजार का स्टैम्प खरीदा और वह स्पूरियअस है और उसे सुलतानपुर में आ कर बेच दिया, तो उसमें बड़ी दिक्कतें सामने आती हैं। रसीद प्रणाली शुरू कर देने से यह दिक्कतें दूर हो जायेंगी।

दूसरे स्टैम्प की जो कमी पड़ जाती है उसके कारण भी बहुत कठिनाइयां सामने आती हैं। उसके ब्लैक भी होने लगता है। कभी-कभी "स्टैम्प वेन्डर" स्टैम्प की शार्टेज का लाभ उठा कर मनमाने दामों पर उसे बेंचते हैं। अगर आप समझते हैं कि स्टैम्प वेन्डर की आमदनी कम है, तो उसके लिए और कोई उपाय सोचिये। किसी भी सूरत में स्टैम्प की शार्टेज नहीं होने देना चाहिये। आशा है माननीय मन्त्री जी मेरे सुझाव पर विचार करेंगे।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने जो स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने के लिये यह बिल रखा है इसके द्वारा करीब करीब 50 फीसदी का इन्क्रीमेन्ट इन्होंने उसमें किया है। अब यह इजाफा सोसाइटी के किसी वर्ग को तो सूट कर जायेगा, पर किसी-किसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ग पर यह बहुत ज्यादा बोझ बन कर रह जायेगा। जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं जो रसीदी टिकट पर ही खरीद फरोख्त कर लेते हैं, उन पर यह भार बहुत अधिक हो जायेगा। जितने भी आप ऋण विकास कार्यों के लिए देते हैं उन पर भी यह भार बढ़ जायेगा। जमीन की वैल्युएशन के हिसाब से अब आप स्टैम्प लगवाते हैं। जमीन की वैल्युएशन आपने 800 गुना कर दी है और उसके हिसाब से अब जब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जायेगा तो उसी पर स्टैम्प लगेगा। इससे एक गरीब पर भार टैक्स का बहुत अधिक बढ़ जायेगा।

इसके अलावा स्टैम्प मिलने में भी बड़ी दिक्कतें सामने आती हैं। अभी मुझे स्वयं को 4,500 रुपये के स्टैम्प की जरूरत थी एक जमीन की रजिस्ट्री के लिये। मेरा लड़का उसे खरीदने के लिये गया। उससे कहा गया कि अगर वह 4,500 रुपये के स्टैम्प के लिये 5,000 रुपये देने को तैयार हो, तब तो उसे स्टैम्प उसी समय मिल जायेगा, वरना उसमें एक दो रोज का समय लगेगा, 2 बजे तक दरख्वास्त लगेगी, फिर ट्रेजरी आफिसर के उस पर आदेश होंगे, तब वह ट्रेजरी से निकाला जायेगा आदि आदि। अब उसकी दरख्वास्त आदि देने में मंजूर होने में ही दो दिन लग गये तब वह मिला और दूसरे दिन भी 4 बजे मिला जब कि रजिस्ट्री का समय भी 4 बजे तक ही होता है, लिहाजा वह रजिस्ट्री तीसरे दिन हो सकी। रजिस्ट्रेशन स्टैम्प समय से न मिलने के कारण 3 दिन का समय लग गया।

(इस समय 1 बजे अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

तो एक यह जो है कि अगर आप ब्लैक में लेना चाहें, तो सारे स्टैम्प फरोख्त करने वाले पता नहीं कहां से उसका इन्तजाम कर देंगे, 500 रुपया ज्यादा देने पर उसी दिन इन्तजाम हो जायेगा वरना 3 दिन का समय लग जायेगा।

दूसरे आपके ट्रेजरी आफिसर जी हैं वह इतने लापरवाह हैं कि आपके प्रतापगढ़ में 7 लाख के स्टैम्प को दीमक खा जाय। आपने ठेका ले लिया है कि हमसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। आपके पास शक्ति है। आपने 20 सूत्री कार्यक्रम पहले किये। वह आउट आफ डेट हो गया, तो 24 सूत्री किये और वह आउट आफ डेट हो गया, तो फिर 20 सूत्री हो गया। यह जो आपने 50 प्रतिशत स्टैम्प के ऊपर बढ़ा दिया, इससे आपके संसाधनों में कितनी बढ़ोत्तरी हो जायेगी? मेरा ख्याल है कि 1 करोड़ डेढ़ करोड़ शायद हो जाय, अरबों में तो होगी नहीं। हमारा 3 हजार करोड़ का बजट है, उसमें डेढ़ करोड़ की बढ़ोत्तरी होगी, तो उसमें कौन से लोगों पर असर पड़ेगा? आप दे रहे हैं उन्हें ऐडवान्स के लिये, कि कुआं लगावें, भैंस खरीदें, बैल खरीदें और उसपर वह रसीदी टिकट लगाने के लिये देते हैं, वह आपको कुल मिला समुद्र में एक बूंद पानी की तरह से है लेकिन उसका असर पड़ गया करोड़ों आदमियों के ऊपर।

अब आपने उसको बढ़ा दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प है, यह मुस्तकिल आपका आमदनी का जरिया है। लेकिन उसमें आपका इस तरीके का बैलेंस होना चाहिये कि जो अपर क्लास है, उससे ज्यादा लें, उसके ऊपर टैक्स लें और अगर कोई फर्जी बेनामा कराना चाहता है, तो उससे आप ज्यादा लीजिए। लेकिन जो साधारण रोजाना की जिन्दगी में, जो छोटे क्लासेज हैं, जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं, जो अपने साधनों से कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप एक रोड़ा डाल रहे हैं। इन शब्दों के साथ जो गौरी भैय्या का प्रस्ताव है कि प्रवर समिति में जाय ताकि उस पर विचार हो जाय कि जो क्लास के हिसाब से, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर क्या टैक्स लगना चाहिए या जो बड़े क्लासेज के लोग हैं, उनके ऊपर क्या लगना चाहिये, इस चीज को सोचने के लिये इसको प्रवर समिति में चला जाना ज्यादा उचित होगा।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, यह जो प्रवर समिति में देने के लिए प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूं। श्रीमन्, यह इसलिए आवश्यक है कि एक तरफ जो सरकार किसानों को और गरीब लोगों को अधिक सुविधा देने की बात करती है और दूसरी तरफ उन्हीं किसान वर्ग के लोगों पर और गरीब लोगों पर टैक्स बढ़ाने का भी काम करती है। श्रीमन्, एकीकृत योजना में भैंस और बैल खरीदने के लिये सरकार लोन देती है और वह जब लोन लेगा जो व्यक्ति, उस पर भी 50 प्रतिशत का रसीदी टिकट का बढ़ोत्तरी कर दिया है। एक तरफ तो जो बैंक लोन देता है, और जो पास करता है डाक्टर वह भी उस लोन में हिस्सेदारी लेने की प्रक्रिया करता है और फिर मन्त्री जी के द्वारा जो यह लगाया जा रहा है, जो रसीदी टिकट लगेगा, उस पर भी बढ़ोत्तरी कर दिया। तो जिस सुविधा के लिए यह लोन दे रहे हैं, तो वह सुविधा इनके टैक्स लगाने के कारण असुविधा में परिवर्तित हो जाती है।

मान लीजिये कोई व्यक्ति कुआं खोदने के लिये पीने के पानी के लिए ऋण लेता है 5 सौ रुपये का तो, उस ऋण पर 50 प्रतिशत का टैक्स लगा रहे हैं यह गरीबों के हित में है या गरीबों के हित पर कुठाराघात है। दूसरी बात मान्यवर, कचहरियों में जो स्टाम्प, उस पर अलग तरीके से बढ़ोत्तरी कर दिया और जो ट्रेजरी से बिकता है उस पर कुछ और बाहर जो बेचते हैं उन पर और टैक्स लेते हैं अलग से लेते हैं। इसीलिये यह आवश्यकता है कि इन तमाम असुविधाओं और अन्तर्विरोध को दूर करने के लिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो इस पर विचार करके सुविधाजनक तरीके से इसको सरल बनाने पर राय मशविरा कर सके। माननीय मंत्री जी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं। 20 और 24 सूत्रीय कार्यक्रम में तो यह है कि हम अलग से टैक्स बढ़ायेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसको 21वां सूत्र कर दें कि गरीब जो ऋण लेता है किसान जो ऋण लेता है उस पर रसीदी टिकट पर टैक्स बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि कोई जल्दबाजी नहीं है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। ताकि उसमें राय करके अपना प्रतिवेदन समिति एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दें।

*श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा रक्खे गये बिल को जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव आया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह तो इनके बजट से मालूम हो गया था कि इस बजट का बोझ गरीबों पर जायेगा। इसी का हम लोगों ने विरोध किया था। यह बजट गरीबों के हित में नहीं है यह जनहित में नहीं है। यह चीज मंत्री जी के शब्दावली से पहचान लिया था हम लोगों ने। समीचीनीकरण, सरलीकरण और पता नहीं क्या-क्या करण करना था? करण का बोझ गरीबों पर है और उन्हीं पर यह बोझ जायेगा। एक तरह तो कहते हैं कि हम गरीबों को न्याय मुफ्त दिलायेंगे और उनको वकील आदि की सुविधा देंगे। न्याय मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घूम-घूम कर भाषण कर रहे हैं कि न्याय मुफ्त मिलेगा और दूसरी तरफ न्याय मिलने का जो रास्ता है उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। लोगों ने कहा कि 25 प्रतिशत में तो कहता हूं कि जहां 25 था वहां पर 50 किया गया 100 प्रतिशत बढ़ाया गया है। दूना कर दिया है और पैरलल माना जाय तो 100 प्रतिशत कर दिया। इस बजट का आर्थिक बोझ गरीबों पर पड़ रहा है। मान्यवर, जो यह बोझ गरीबों पर पड़ रहा है यह गरीबी की रेखा से नीचे वालों को ऊपर लाने का कदम है या नीचे ले जाने का कदम है? मान्यवर, यह बहुत ही सिद्धान्तिक प्रश्न है किन लोगों को इससे बचना चाहिये, किसका संरक्षण होना चाहिये, किन पर बोझ नहीं पड़ना चाहिये।

मान्यवर, यह प्रचार करते हैं कि जो समाज में आर्थिक विषमता है उसको दूर किया जायेगा। आज समाज में इतनी आर्थिक विषमता है कि किसी के घर में मरीज हो तो उसके लिये इंजेक्शन अमेरिका से आ जाता है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चूर्ण भी नहीं मिलता है। उन्हीं के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। मान्यवर, जो स्टाम्प के खरीदने में घूस लिया जाता है रजिस्ट्रेशन दफ्तर में क्या होता है माननीय मंत्री जी जनता के बीच जाते हैं और जनता से वोट लेने जाते होंगे तो मालूम होगा। इसलिये ग्रामीण जनता पर इस टैक्स का बोझ जरूर पड़ता है। अतः आर्थिक विषमता को देखते हुये, इस तरह का टैक्स जो गरीब जनता पर बोझ पड़ेगा इनको नहीं लगना चाहिये और लगाना है तो गरीब जनता को कैसे संरक्षण मिलेगा इसके लिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना चाहिये जिससे हो सकता है कि समिति में ऐसा प्रस्ताव आ जाय जिससे ग्रामीण जनता को कुछ राहत मिल सके और सरकार को आर्थिक साधन जुटाने का कोई सुझाव मिल जाय। इसलिये बहुमत के बल पर जो हमेशा बिल को आप पास करा लेते हैं, यह आपकी घोषित नीतियों और गरीब जनता की मंशा के विपरीत है। इसलिये हर तरह से इनका टैक्सेशन गरीब जनता की जिंदगी पर बोझ के समान है इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये मैं बल देता हूं और मंत्री जी जो नं0 2 के मंत्री हैं वह इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये स्वीकार करें।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मुझे आश्चर्य हुआ जब वित्त मंत्री ने बिना कारण बताये, विधेयक पेश कर दिया स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाने का। मान्यवर, मैं इनकी याददाश्त के लिये एक बात बता दूं कि यह विधेयक जो यदि चैलेन्ज किया जाय तो कानून के ऊपर सही नहीं ठहरेगा चूंकि पहले सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि स्टैम्प ड्यूटी को आय का जरिया नहीं बनाया जा सकता है। मंत्री जी ने जो शुल्क बढ़ाया है उसमें बिना बताये कि रजिस्ट्रेशन विभाग पर इतना खर्चा हो रहा है और जिससे खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, इसलिये बढ़ा रहे हैं। यदि स्टैम्प के लिये बढ़ाते तो औचित्य था। इसलिये पहला प्रश्न है कि इसका औचित्य नहीं है। क्या इसको सरकार आय का साधन बनाना चाहती है, चूंकि सरकार घाटे पर चल रही है।

लेकिन सरकार स्टैम्प ड्यूटी को आय का साधन नहीं बना सकती है, इसलिये कारण नहीं बताया गया है, जो बताये कि क्या रजिस्ट्रेशन विभाग को चलाने के लिये साधन जुटाये हैं, स्टैम्प ड्यूटी से जो आय मिलती है वह कम है इसलिये बढ़ा रहे हैं या इसलिये कि सरकार को घाटा है और उसको पूरा करने के लिये स्टैम्प ड्यूटी को आय का साधन मान रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम स्वरूप वर्मा—]

मान्यवर, दूसरी बात शुल्क बढ़ाने का एक नियम है । आप स्टैम्प ड्यूटी शुल्क बढ़ा रहे हैं चूंकि आय आपकी कम है । यह मानकर मैं चलता हूं । ो किन लोगों पर बढ़ाना चाहिये, यह दूसरा प्रश्न है । जो रोज मर्रा की चीजें हैं उन पर शुल्क का पैसा कम से कम होना चाहिये । लेकिन मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उन पर शुल्क सबसे ज्यादा बढ़ा दिया । 100 प्रतिशत तक शुल्क बढ़ाया है, 25 पैसे की जगह पर 50 पैसे कर दिये हैं । लोग कर्जा वगैरह लेते हैं तो स्टैम्प 25 पैसे की जगह पर 50 पैसे का कर दिया है । दूसरे भी जो शुल्क हैं उनको आपने 50 प्रतिशत तक बढ़ाया है । इस वृद्धि का कोई औचित्य प्रमाणित नहीं है विधेयक पेश करते वक्त, जो उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने सबको अंधकार में रखा, कि काम समाप्त हो जायेगा ।

मंत्री जी विस्तारीकरण और समीचीनीकरण के आदी हैं लेकिन उन्होंने इसका विस्तारीकरण और समीचीनीकरण नहीं किया । अगर करते तो निश्चित रूप से स्वयं नहीं कर पाते और बैठ जाते । मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि 25 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत कर दिया और 100 प्रतिशत तक बढ़ाया है । धारा 7 में जो दिया है तो उसमें भी आपने औसतन 50 प्रतिशत बढ़ाया है । तो इस शुल्क बढ़ाने का आधार क्या है, कौन सी परेशानी आपको थी जो आपने शुल्क बढ़ाया ? छपाई की कीमत बढ़ गयी थी तो बढ़ा सकते हैं लेकिन आपने ऐसा कोई कारण नहीं बताया कि छपाई पर कितना शुल्क बढ़ा है । आप पास कराना चाहते हैं, सदन के इतने सारे लोगों की प्रतिज्ञा चैलेंज पर लगी हुयी है कोई कारण आप बताते नहीं हैं तो हम कैसे पास कर दें ?

जो एक साधु सम्मत सुझाव आया है प्रवर समिति को सुपुर्द करने का तो इसको प्रवर समिति में भेज दें वहां भरपूर छानबीन हो जायगी और आप भी जनता के सामने दोषी नहीं होंगे । तो यह बहुत साधु सम्मत बात है कि प्रवर समिति को इसको सुपुर्द करें, जिद न करें और यह भी देख लें कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वह भी लागू हो जाय । सरकार की आय बनाने से यह कर मुन्तकिल हो जायगा तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजें जहां इसके गुणावगुण पर हम विचार कर लेंगे ।

श्री मोती लाल देहलवी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक पर एक विशेष बात पर आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हो गया हूं । मान्यवर, आप देख रहे हैं कि विरोध पक्ष की तरफ से इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए 5 विपक्षी सदस्यों के लगातार भाषण हुये हैं और इस बीच एक भी कांग्रेस दल का कोई विधायक इस विधेयक को पारित करने के पक्ष में अभी तक नहीं बोला है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मोती लाल जी, माननीय लाल प्रताप सिंह जी इस पर बोल चुके हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, लाल प्रताप सिंह जी के बोलने के बाद लगातार 5 विपक्षी सदस्य इस विधेयक पर बोले हैं। कांग्रेस दल के लोग लाबी में बैठे गप लगा रहे हैं। मान्यवर, इस विधेयक को पारित करने के पक्ष में कोई विधायक खड़ा नहीं हुआ है तो यह जाहिर करता है कि कांग्रेस दल में भी इस विधेयक को पारित कराने के लिए कोई राय मश्विरा मंत्री जी ने नहीं लिया यह इस बात का परिचायक है। और इस बात का भी परिचायक है कि कांग्रेस दल के विधायक भी इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के पक्ष में हैं,। मान्यवर, जाहिर है कि कांग्रेस सरकार के मंत्री बाहर क्या भाषण करते हैं और पत्रकारों को क्या बयान देते हैं कि हम समाजवादी हैं और नया टैक्स नहीं लगायेंगे और इन्होंने आज अपने पहले ही विधेयक में यह सिद्ध कर दिया कि कितने समाजवादी थोथेवादी हैं। स्टाम्प शुल्क 25% से 50% तक बढ़ाने जा रहे हैं और यह असर किन पर पड़ेगा, उन गरीबों पर भी पड़ेगा जो आज गरीबी की रेखा से नीचे रहकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ कह यह रहे हैं कि हम अपने प्रदेश के गरीबों का उत्थान करेंगे, विकास करेंगे और यही कह कर घाटे का बजट पेश किया, लेकिन विपक्ष की शंका थी कि यह जरूर टैक्सेज बढ़ायेंगे और वही हुआ भी, आज के पहले ही विधेयक से यह साबित हो गया।

ऐसा करके मान्यवर, इन्होंने प्रदेश की गरीब जनता के साथ किस कदर विश्वासघात किया है, उनकी आंखों में धूल झोंकी है, उनको भोला भाला समझकर और नासमझ समझकर अपनी बहुमत के बल पर जो कर रहे हैं वह प्रदेश की जनता के लिए किसी भी प्रकार से हितकारी सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए किसी भी कार्य को करने के पहले, सही मायनों में यह विधेयक गरीबों के उत्थान के उपर्युक्त सिद्ध हो और आज इनका इम्तिहान है अगर यह इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर इसका पोस्टमार्टम करा लें, तो उम्मीद है अधिक उपर्युक्त बन जायेगा और मान्यवर, माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने जो इस विधेयक की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, अगर आप शुल्क बढ़ाने पर कटिबद्ध ही हैं तो कम से कम गरीबों की रियायत करते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए, इन खामियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, ताकि वहां पर इसका अच्छी तरह से पोस्टमार्टम हो जाये, तब यह जनमानस का अंग बने।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। और इसी लिए खड़ा हुआ हूं कि जो शंका माननीय देहलवी जी ने प्रकट की थी, उसी का निवारण करने के लिए खड़ा हुआ हूं साथ ही यह भी स्पष्ट कर दूं कि हमारे दल के साथ यह सौभाग्य रहा है कि यहां के एक नेता की आवाज हर माननीय सदस्य की आवाज होती है और आप की तरफ मामला कुछ दूसरा है। माननीय देहलवी साहब ने कुछ कहा तो उससे रियासत साहब सहमत नहीं और रियासत साहब ने अगर कुछ कहा तो उससे फखरे आलम साहब सहमत नहीं इसलिए वहां पर हर एक को अलग-अलग समय दिया जाता है। इसलिए कहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो स्टाम्प ऐक्ट संशोधन रखा है, इसके ऊपर जो प्रतिपक्ष की ओर से प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है, वह बिल्कुल बेमाने का प्रस्ताव है। मान्यवर, यह बिल्कुल वैसी ही बात है क्योंकि सत्तारूढ़ दल के ऊपर सारे प्रदेश की

[श्री सुरेन्द्र कपिल—]

जिम्मेदारी होती है वह जो कुछ कहता है उसका कुछ महत्व होता है। चूंकि विपक्षी दलों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती इसलिए इनकी जितनी बातें होती हैं, वह सब गैर जिम्मेदाराना बातें होती हैं।

इसीलिए इन्होंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। यह सरकार के काम में विघ्न डालने वाली बात है। आज की स्थिति में जब कि विरोधी दल के सभी सदस्य बार-बार यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने बजट में यह आशंका व्यक्त की थी आशंका तो इन्हें हर समय रहती है। विपक्ष का उद्भव ही शंका के बीच हुआ है। अगर इन लोगों के बीच में शंका व्याप्त न होती तो हमें यह सौभाग्य प्राप्त न होता कि हम इधर बैठते और वह उधर बैठते। जहां तक बजट के सम्बन्ध में बात है, जितना संतुलित और व्यवहारिक बजट रखा गया है, उसके आधार पर इनको परेशानी है कि विपक्षी दल के सदस्यों को उसकी आलोचना करने का समाज के अन्दर मौका नहीं मिल रहा है। स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर आज यह संशोधन रक्खा गया है, जिसके ऊपर बजट का आधार लेकर आलोचना की जा रही है। आप ही ने कहा है कि इतना टैक्स पूरे सागर में एक बूंद के बराबर होगा। हमारे वित्त मन्त्री जी इस बात को मानकर चलते हैं कि बूंद-बूंद से ही सागर भरता है। यह 90 करोड़ का घाटा इसी प्रकार पूरा होगा। एक कहावत है कि माचिस अगर बन्दर के हाथ में दे दी जाय, तो वह उसका दुरुपयोग करेगा, वही माचिस अगर इन्सान के हाथ में दे दी जाय, तो वह उसका सदुपयोग करेगा।

वित्त मन्त्री जी सुलझे हुए आदमी हैं, वे इसका सदुपयोग करेंगे। इतना बड़ा घाटा अगर आपके समय में होता तो उत्तर प्रदेश की जनता के गले में फांसी का फंदा डाल देते। जहां तक छोटे आदमी पर टैक्स की बात है तो उस पर केवल 50 पैसे का टैक्स आयेगा, बड़े आदमी को 500 रु0 फालतू देना पड़ेगा, जो कि हमारी सरकार के पास आयेगा। इसको आप संकीर्ण मस्तिष्क के दायरे से सोच रहे हैं। इसको देखने के बाद जरूरत नहीं रह जाती कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और एक महीने तक इस मामले को लटकाये रखा जाय और शासन सक्रिय होकर कोई कार्य न चला सके। मैं विरोधी दल के सदस्यों से मांग करता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और यह अच्छा काम जो प्रदेश की उन्नति के लिए चलाया जा रहा है, उसमें वे सहयोग दें और लोकतांत्रिक पद्धति का ह्रास न करें और प्रवर समिति को सौंपने सम्बन्धी अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

*श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जब मैं वकालत करता था तो मैंने कोशिश की कि ब्रह्मदत्त जी किसी मामले में फंसकर अदालत में आयें लेकिन इन्होंने ऐसा मौका नहीं दिया। अगर किसी अदालत में आते तो पता लगता कि अदालत में नये आदमी की क्या दुर्गति होती है और उसकी जेबें किस तरह से खाली कर दी जाती हैं? आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में न्यायालयों में 4 आने और 8 आने का स्टाम्प मिलता ही नहीं है, 1·50 रु0 का स्टाम्प नहीं मिल रहा है। आम जनता को, जो अदालतों के अन्दर न्याय पाने के लिए आते हैं, उनको जबर्दस्ती 2 रु0 का टिकट खरीदना पड़ता है। अगर कहीं पर 4·50 रु0 का टिकट खरीदना हो,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो उसको मजबूरी की हालत में 6 रुपये का टिकट खरीदना पड़ता है। अदालतों के अन्दर यह व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि सारे व्यक्ति टिकट नहीं खरीद सकते हैं तो उसे उतने रुपये क. रसीद दाखिल करनी पड़ती है। तो इस तरह से वित्त मन्त्री जी गरीबों की जेबों को काट रहे हैं।

इस हालत में जब कि आज शुल्क पहले ही बहुत बढ़ा हुआ है, कोई व्यक्ति तारीख पर अदालत में हाजिर नहीं हो पाता है, वह बीमार हो जाय या और कोई अन्य कारण आ जाय तो अदालत को स्थगन के लिए अपना प्रार्थना-पत्र पेश करता है जिसमें पहले ही डेढ़ रुपये का टिकट लगता था जिसे अब हमारे वित्त मन्त्री जी ने बढ़ा कर 3 रुपये कर दिया है। माननीय वित्त मन्त्री जी जो यह भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक लाये हैं, यह मरे हुये गरीब को और मार डालने के लिये है।

अनुच्छेद 06बी में चौथे कालम में आप देखें मान्यवर, कि जिन मामलों में हलफनामा दिया जायेगा उसमें नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अंकों के स्थान पर स्तम्भ दो में दिये गये अंक रख दिये जायेंगे :—

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
1.00	1.50
2.00	3.00
3.00	4.50
4.00	6.00
5.00	7.50
6.00	9.00
8.00	12.00
12.50	18.75
25.00	37.50
37.50	56.25
50.00	75.00
75.00	112.50
100.00	150.00
125.00	187.50
150.00	225.00

तो मान्यवर, इस तरह से भारतीय स्टाम्प की दरों को बढ़ा कर इसका उपयोग सीधे-साधे गरीब जनता की जेब को काटने के लिए किया जा रहा है। यह वेलफेयर स्टेट है। स्टेट के वेलफेयर के लिये इसमें डाइवोर्स के लिये जो धारा 29 में जो प्राविधान दिया गया है कि जो अपने जीवन का आधा पैसा कमाया हुआ खरीदना पड़ेगा। उसी के बाद डाइवोर्स का फैसला लागू करने के

[श्री विद्यासागर नौटियाल—]

लिए जो भी कार्यवाही करनी पड़े उस पर 8 रुपया फीस थी जिसे बढ़ाकर आपने अब 25.00 रुपया कर दिया है। इसी तरह से माननीय वित्त मन्त्री जी जो व्यक्ति मरने वाला है उसे ये मारने जा रहे हैं।

इसी तरह से कम्पलीशन डीड की बात आती है। कम्पलीशन डीड में व्यक्ति लिख कर देता है कि मैं वायदा करता हूं कि आपको बराबर देता रहूंगा इसके लिये अभी तक 30 रुपये रखे गये थे जिसको अब माननीय मन्त्री जी ने बढ़ा कर 50.00 कर दिया है। एक गरीब आदमी के लिये यह आपने उपकार किया है। जिस समय श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी थे तो उन्होंने कहा था कि जितने गरीब आदमी हैं सबको कर्ज से माफ कर दिया जाता है। उनकी कमर पहले ही कर्ज के बोझ से टूटी हुई है उसे माननीय ब्रह्म दत्त जी चाहते हैं कि उससे ज्यादा पैसे लिये जायं और यह कहने के लिए 50 पैसा बढ़ाया है। यह स्वीकार नहीं करते, कि इन पर देनदारी है जिसके लिये इन्होंने गरीबों की टूटी हुई कमर पर एक लात और जमानी चाही है। यह सरकार अपनी ताकत को गरीबों पर इस्तेमाल कर रही है, जिस ताकत का इस्तेमाल उनकी भलाई के लिये होना चाहिये था, वह ऐसे हो रहा है। मैं समझता हूं कि गरीब से पैसा वसूल करके आपका कुछ भला नहीं होगा। इसलिये मान्यवर, मैं समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिससे कि वह इस पर भली प्रकार से विचार करके अपना प्रतिवेदन सदन को दे।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, शुल्क हो या कर, इसका अधिभार सामान्य जन पर कम सम्पन्न लोगों पर होनी चाहिये, इसमें यह बात स्पष्ट हो कर सामने आयी है कि यह कमजोर वर्ग से वसूल करने जा रहे हैं। इस संकल्प का अशय पहले ही ज्ञात हो गया था।

[1 बज कर 40 मिनट]

जब यह शुल्क निर्धारण हुआ था उस समय कृषकों को ट्रैक्टर चलाने के लिये, जीप चालकों को जीप चलाने के लिये ऋण नहीं देते थे और जब से आपने गरीबोद्धार का व्रत किया है जब से सामान्य जन-जीवन के स्तर को उठाना चाहते हैं, तब उनको मार रहे हैं। इसलिये इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसका कोई वर्गीकरण भी नहीं किया है।

तीसरी बात व्यवहारिक जीवन में हमने देखी है कि 5-10 वर्षों के स्टैम्प चोरी से बेचे जा रहे हैं और सामान्य जन को अधिक दामों पर खरीदना पड़ता है इसके लिए कोई अवरोध नहीं लगाया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं व्यर्थ के विवाद कि शुल्क के माध्यम से सामान्य जन का ह्रास न करें। इसलिये मैं आरोप लगाता हूं कि आप विकास की बात करते हैं लेकिन आप सामान्य जन और धन का ह्रास कर रहे हैं। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति में भेजने पर बल देता हूं।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

प्रस्तुत विषय पर जो अपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक वास्तव में मौजूदा स्थिति को देखते हुये, एक आवश्यक कदम है। जहां तक न्यायालय की बात है, गरीब जनता के ऊपर विपक्ष की तरफ से बहुत जोर दिया गया है। मैं स्वयं वकालत के प्रोफेशन का व्यक्ति हूं और जानता हूं कि कोई भी लिटीगेन्ट कोई भी वादकारी न्यायलय शुल्क से परेशान नहीं होता बल्कि वहां के और खर्चों से होता है। जहां तक तीन रुपये एडजर्नमेन्ट की दरखास्त पर टिकट लगाने की बात है, वह 3 रुपये का लगता है लेकिन जिस दिन वह एडजर्नमेन्ट एप्लीकेशन देता है और मुकदमें की तिथि जाती है उस दिन उससे कहीं ज्यादा खर्चे से वह वंचित हो जाता है इसलिए वह खर्चा उसे ज्यादा नहीं प्रतीत होता। साधारणतया कोई भी दरखास्त कोई भी वादकारी देता है तो उसे 2-3 रुपये नहीं बल्कि डेढ़ रुपये के टिकट लगाना पड़ता है। जहां तक वादकारी का सम्बन्ध है, गरीबों के प्रति जो हमारे विपक्षी भाइयों ने बड़ा जोर दिया कि बहुत बोझ पड रहा है तो हमारे वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट में जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, के अन्तर्गत कानून परामर्श दात्री समिति के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे, हरिजन भाइयों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। इसलिये गरीबों का सहारा ले कर इसे प्रवर समिति को सुपुर्द कर देने की उनकी मंशा केवल यह है कि जैसे न्याय के मामले में होता है, डिलेइंग टैक्टिस, उसी तरह से विपक्ष के सदस्यों ने वही तरीका अपना रखा है कि किसी तरह से समय का सदुपयोग न करके उसे विपरीत दिशा में, रिवर्स गेयर में ले लें।

हां, इस सीमा तक मैं जरूर उनसे सहमत हूं कि अक्सर देखा जाता है कि पुराने स्टैम्प को लोग रख लेते हैं और उसके पीछे इंदराज करके फर्जी बैनामा, प्रोनोट आदि तैयार किये जाते हैं। एक यह ऐसी सच्चाई है जिससे इंकार नहीं किया जा सकता। इसके लिये मैं वित्त मन्त्री जी से और अपने शासन की एक कड़ी होने के नाते अनुरोध करूंगा कि वे इस तरफ बड़ी कड़ाई का रुख अपनायें। अक्सर देखा जाता है कि कचहरियों में कह दिया जाता है कि जितने रुपये का टिकट आप को जरूरत है, उपलब्ध नहीं है इसलिये नतीजा होता है कि, इसमें ट्रेजरी के लोग, स्टैम्प वेंडर भी मिले होते हैं, मनचाहा पैसा लिया जाता है और 5-10 रुपये के स्थान पर 10-10, 20-20 रुपये लिये जाते हैं। उस समय किसी भी वादकारी को या जरूरतमन्द आदमी को यह खर्च बड़ा लगता है। और बढ़े हुए न्यायालय शुल्क से उसे खर्चा उतना ज्यादा प्रतीत नहीं होता। पुराने स्टैम्प जो लोग रखे रहते हैं उसका ज्यादा इस्तेमाल सही काम में नहीं होता है। सब गलत काम में उसका उपयोग किया जा रहा है।

इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि अचानक ट्रेजरी की चेकिंग के लिए उनके निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर कोई अधिकारी इस बात के लिए रखा जाय जो कम से कम महीने में एक बार चेकिंग करके अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करे। इससे एक तो उनको डर रहेगा और दूसरे इसमें सुधार होगा तथा उन लोगों को राहत मिलेगी जिनसे ज्यादा पैसा लेकर यह मंशा का दुरुपयोग करते हैं। मैं इस संशोधन के पक्ष में बोलते हुए अपने विपक्ष के भाइयों से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--]

निवेदन करूंगा कि जैसा कि कहा गया कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे तो वह सद्बुद्धि उन्हें आ गई होगी और वह अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और वह भी इसका समर्थन करेंगे और हमारा हाथ बटायेंगे। मैं आपका आभारी हूं जो आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

श्रीमन्, अभी सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने हमारे संशोधन पर अपनी राय रखी। मन्त्री जी की बात भी जो शुरू-शुरू में कही, उसका भी मैंने सुना। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं दो-तीन बातों की तरफ। अभी माननीय लाल प्रसाद सिंह जो बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वह मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि कचेहरी में जालो स्टैम्प बिकने लगे हैं या जो लोग खरीदना चाहते हैं उनको नहीं मिल पाते हैं यह एक ऐसी स्थिति है जिससे काफी परेशानी होती है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह स्पष्ट है कि यह शुल्क है, टैक्स नहीं है। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि मन्त्री जी ने बहुत नेक काम किया है तो यह तो वही बात हुई कि जिस तरह से सावन के अंधे को हर जगह हरा-हरा ही दिखाई देता है।

इसी तरह से इनका काम है हर बात का समर्थन करना चाहे वह ठीक हो या गलत हो। यह टैक्स लगा रहे हैं, जनता की जेब काट रहे हैं उसका भी यह समर्थन करते हैं। जो विभिन्न मत आप रखते हैं उसमें भी यही कहते हैं कि हमारे दल में इन्दिरा गांधी जी जो कहती हैं, वह मान लेते हैं। आपके दिल में जनता की हमदर्दी की कोई बात नहीं है। आप यह भी नहीं सोचते हैं कि जनता जो आपको वोट देकर भेजती है वह भी आपसे पूछ सकती है कि सरकार ने हमारे बकरी खरीदने पर, गधा खरीदने पर, घोड़ा खरीदने पर टैक्स लगा दिया आपने हमारे लिए क्या किया तो आप क्या जवाब देंगे? क्या आप यह कहेंगे कि चूंकि हम नेता का सवाल मानते हैं इसलिए हम कुछ नहीं बोले? यह गलत बात है। लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात मजबूती से कहने का मौका मिलना चाहिए। माननीय गृह राज्य मन्त्री बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि यदि यह परम्परा आपके दल में नहीं है तो यह परम्परा उनको डालनी चाहिए। एक और बात है कि इसमें कहा गया है कि जो शुल्क होंगे उनको राज्य की आमदनी का जरिया नहीं बना सकते।

अब मान्यवर, इन्होंने तो यह कुछ नहीं बताया कि क्यों हम यह शुल्क बढ़ाना चाहते हैं? यह छपाई में खर्च बढ़ गया है या जो यह कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं उसकी वजह से इन्होंने यह कर लगाया है। इससे तो यह लगता है कि इसका कोई औचित्य ही नहीं था। यह ताम-झाम में केवल ऐसा बिल लेकर चले आये जो अधिकारियों ने इनको दे दिया। एक अन्य बात यह है कि जो गरीब ऋण लेता है, अन्त्योदय से लेता है, ब्लाकों से लेता है, 24 सूत्री के अन्तर्गत लेता है इन सारी चीजों पर आप ड्यूटी बढ़ाने जा रहे हैं, इस तरह से यह गरीबों के विपरीत जा रहा है। आपके 24 सूत्री के विपरीत जा रहा है। अन्त्योदय की भावना के विपरीत जा रहा है इसलिए हम यह चाहते हैं कि आप इसको प्रवर समिति को भेज दीजिए।

जब माननीय मन्त्री जी बजट पेश कर रहे थे तो बड़ी मेजें थपथपाई जा रही थीं कि कोई टैक्स नहीं लगेगा परन्तु अब आप टैक्स लगाने जा रहे हैं, यात्रा भाड़ा बढ़ाने जा रहे हैं। अगर राज्य चलाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप इसको प्रत्यक्ष रूप से लाइये, सरकारी खजाना बढ़ा लीजिए। जब राज्य मार्ग बना हुआ है तो गली में उतरने की क्या जरूरत पड़ गई ? आपने न्याय की बात कही गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमारी हुकूमत प्रयास कर रही है। आप हरिजनों को, गरीबों को, भूमिहीनों को सस्ता न्याय प्रदान करेंगे जब कि आपने स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ा दिया और आप सस्ता न्याय दिलाने की बात कहते हैं।

इस सम्बन्ध में एक किस्सा याद आ गया—एक पंडित जी थे वह जब भी कथा करने जाते थे तो यह जरूर कहते थे कि भंटा का चोखा नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। लोग सुनते थे और सोचते थे कि भंटा का चोखा नुकसान करता होगा जब पंडित जी घर गए तो अपनी पत्नी से कहा कि घर में जो बैंगन रखे हैं उनका चोखा बना दो, उनकी पत्नी ने कहा कि अभी कल ही आप चौकी पर कह रहे थे कि बैंगन का चोखा नुकसान करता है तब पंडित जी ने कहा कि चौकी की बात छोड़ो उसको चौके में क्यों ले आती हो ? ऐसी ही इनकी बात है। इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। यह कहते हैं कि गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों को कर्जा देंगे और जब यहां आते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने की बात करते हैं, टैक्स लगाने की बात करते हैं।

आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। हमारे एक भाई ने तलाक के सम्बन्ध में कहा था। तलाक हिन्दू, मुस्लिम और दूसरे वर्गों में भी होता है जिसका शुल्क आपने 8 रुपये से बढ़ा कर 25 रुपये कर दिया है। मैं समझता हूं कि अगर आप 25 रुपये से बढ़ा कर 500 रुपये भी कर देंगे तो आपके दल के जो लोग तलाक लेना या देना चाहते हैं उनके स्वास्थ्य पर कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है। अन्तर पड़ेगा इन गरीबों पर जिनके परिवार की कमर पहले ही से टूटी हुई है। उनको अगर 8 रुपये से बढ़ा कर 25 रुपये देना पड़ा तो जरूर दिक्कत पड़ेगी। जीवन के उस अंग को भी आपने छूने की कोशिश की है जिनका परिवार पहले ही से बिखरा पड़ा है। गरीबों के ऋण को माफ करने की बात बहुगुणा जी ने कही थी। राजमंगल जी की बहुगुणा जी से दुश्मनी हो गयी थी लेकिन अब तो विरोधी पार्टी में होने की बिना पर उनसे दोस्ती होनी चाहिये थी। मुझे दुख है कि ऐसे लोग भी गरीबों पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं शासन पक्ष के लोगों में कथनी और करनी में समानता होनी चाहिये।

एक नौजवान साथी ने अभी बोलते हुए कहा था कि हमारी तो यह परम्परा हो गयी है कि आपकी तरफ से जो भी बात आवे इसमें कोई न कोई बात कह दें। कल भी यहां एक बिल आया स्वास्थ्य शिक्षण संस्था का जिसमें अधिग्रहण करने की बात आयी थी कि गलत तरीके से वहां बहुत से फर्जी काम होते थे। विरोधी पार्टी के लोगों ने भी आपका समर्थन किया। इसी तरह से वक्फ बिल जो आया था उसका भी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने जोरदार ढंग से समर्थन किया था और कहा था कि जनहित में होने की वजह से हम इसका समर्थन करते हैं। अब आप जो टैक्स लगाने जा रहे हैं उसमें भी चाहते हैं कि हम इसका समर्थन करें। हमारे बहुत से साथियों को यह लोक हित में नजर आता है मैं पुनः निवेदन करता हूं कि यह बिल प्रवर समिति में भेज दिया जाय, जहां हम सब बैठ कर इन 22—24 सुझावों पर विचार कर सकें जो मैंने दिये हैं।

[श्री गौरी शंकर भैया--]

शुल्क को आप टैक्स के रूप में परिवर्तन करने जा रहे हैं यह गलत है। टैक्स के रूप में आप शुल्क को नहीं बदल सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है। ऐसा न हो कि आप पकड़ में आ जायं। इसमें कहीं यह नहीं दिखलाया गया है कि इससे राज्य की आय बढ़ने वाली है या इससे कर्मचारियों की बढ़ी हुई तनख्वाह दी जाने वाली है, यह स्पष्ट कहीं नहीं है, इससे कहीं आप सुप्रीम कोर्ट के घेरे में न पड़ जायं। अलग से आप टैक्स लगावें। स्टाम्प से लेकर कोर्ट फीस तक इसमें जो असमानता है उसे दूर करें।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कचहरियों में डेढ़ रुपये का स्टाम्प लगाने से किसी आदमी को परेशानी नहीं होती है बल्कि उसे परेशानी तो वकील को फीस देने में होती है। मेरा ख्याल है कि दो-चार वकील ऐसे मिल सकते हैं जो 10 रुपये की जगह 8 रुपये ले लें लेकिन डेढ़ रुपया जो आपने लगा रखा है वह डेढ़ रुपये से 1 रुपया नहीं होने वाला है। इसलिये अगर आप सस्ता न्याय देने की बात करते हैं तो एक सादा कागज लेकर उसे कचहरी में भेज दें, उसे सस्ता न्याय मिल जायेगा। इसलिये मैं बड़ा जोर देकर मांग करता हूं कि यह शुल्क है, टैक्स नहीं है लेकिन आज सरकार उसे टैक्स के रूप में जो परिवर्तन करने जा रही है उस पर मुझे जबरदस्त एतराज है। जो गरीब 200 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक कर्ज लेंगे उन पर यह टैक्स लगने जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह गलत है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे 15 दिन के लिये प्रवर समिति में भेज दें वहां पर बैठ कर, जहां सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी रहें ही, यह विचार हो जाय कि क्या घटाया जा सकता है, क्या बढ़ाया जा सकता है? इसके बाद आप उसे सदन में लावें, फिर हमारे सारे साथी उसे पास करने में आपको मदद कर देंगे। मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर जोर देता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं इस प्रवर समिति के प्रस्ताव से सहमत होने में अपने को असमर्थ पाता हूं। इसका कारण यह है यह कुछ गलतफहमियों में आधारित है। पहली बात एक माननीय सदस्य ने यह कही कि मैंने जब बजट प्रस्तुत किया तो कहा कि मैं कोई टैक्स नहीं लगाने जा रहा हूं। उस पर मैंने कहा था कि कोई नये टैक्स का प्रस्ताव नहीं है लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि संसाधन बढ़ाने हैं। अगर इस प्रदेश का विकास करना है तो संसाधन जुटाने पड़ेंगे। इसीलिए टैक्सों का अभिनवीकरण, रैशनलाइजेशन का जिक्र मैंने किया था। उसी का यह एक अंग है। मान्यवर, 1 अप्रैल, 1980 से इसी माननीय सदन, विधान मंडल के अधिनियम से स्टाम्प शुल्क बढ़ चुका है, बौन्ड बढ़ चुके हैं। उसी के परिणामस्वरूप यह सब आया है।

एक-दो बात और कही गयीं। फर्जी स्टाम्प के बारे में कहा गया और शार्टेज के बारे में कहा गया। सरकार इसके बारे में जागरुक है कि जाली स्टाम्प न हों और उपलब्धता स्टाम्पों की बढ़ाई जाय।

एक बात और कही गयी। कि कोर्ट में चैलेन्ज हो जायगा। मेरा नम्र निवेदन है, मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, में जो निर्णय हुआ था वह कोर्ट फीस और रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में था। स्टाम्प ड्यूटी है और स्टाम्प ड्यूटी को कम से कम कोई टैक्स नहीं मानेगा। उसको

घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और इससे अनेक संसाधनों में मदद मिलेगी ।

यह बहुत चिन्ता व्यक्त की गई कि गरीब पर टैक्स का भार बढ़ जायगा । एक बात कहना चाहता हूं । सबसे बड़ा गरीब तबका हमारा है जिसको अन्त्योदय, प्राइरटी सेक्टर में हम देते हैं, 5,000 रुपये तक कोई स्टाम्प ड्यूटी डाकूमेंट पर नहीं लगने वाली है, यह व्यवस्था हमने कर रखी है । किसानों के हितैषी हमारे उस पक्ष में बैठे हुये हैं । 10,000 रुपये कृषि के लिए और बीस हजार रुपये सिंचाई के लिए जो भी ऋण लिया जायगा उस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी । चिन्ता गरीब की नहीं है । चिन्ता या तो उन लोगों की है जो डाइवोर्स की बात कहते हैं शायद या कोई बहुत बड़े लोगों की है । मान्यवर, इसमें कोई ऐसी चिन्ता की बात नहीं है ।

इस बात के लिए माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे । मेरे सामने दो काम हैं--एक जनता की मांग और एक प्रदेश के विकास की मांग । जब मांग की बात कहते हैं--हर पक्ष से आती है, आनी भी चाहिए--तो मुझे इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि संसाधन जुटाने का प्रयास करूं और संसाधन जुटाने के बारे में एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कोई चीज रिट्रोग्रेड, अर्थ व्यवस्था खराब करने वाली नहीं होगी । इसका मैंने प्रमाण दिया कि खेती को प्रोत्साहन देने के लिए दस हजार तक स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, सिंचाई के लिए बीस हजार तक स्टाम्प ड्यूटी माफ कर रखी है । बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जिनको हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं उन्हें पांच हजार रुपये तक कर्ज के ऊपर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं पड़ेगी ।

इन परिस्थितियों में मैं असमर्थ पाता हूं अपने को और इस प्रवर समिति के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं और नम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रदेश के हित में संसाधन जुटाने में देर न कर । विधेयक में जितनी देर होगी उतनी ही हम को हानि होने वाली है । मेरा निवेदन है कि इस प्रवर समिति के प्रस्ताव पर आप जोर न दें ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

पांच साल, दस साल, से स्टाम्प जो कोर्ट में पड़े रहते हैं जिनके माध्यम से लोगों को जायदाद, हैसियत दिखा दी जाती है, इसे चेक करने के बारे में कोई स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री जी देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इस पर विचार करते हैं और निराकरण करते रहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 30 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें ।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की अनुसूची 1—बी के अनुच्छेद 1 का संशोधन

2—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1—बी में, जिसे आगे उक्त अनुसूची कहा गया है, अनुच्छेद 1 में, दूसरे स्तम्भ में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

"पचास पैसे" ।

अनुच्छेद 2 का संशोधन

3—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 2 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात्—

"दो सौ रुपये से अधिक न होते हुए वही शुल्क जो किसी बन्ध पत्र (संख्या 15) पर लगता है ।"

अनुच्छेद 3 का संशोधन

4—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 3 में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "पचहत्तर रुपये" रख दिए जायेंगे ।

अनुच्छेद 4 का संशोधन

5—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 4 में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "चार रुपये पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "पांच रुपये" रख दिए जायेंगे ।

6—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 5 में, खण्ड (सी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "छः रुपये" रख दिए जायेंगे । अनुच्छेद 5 का संशोधन

7 —उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 6 में, खण्ड (2) में, उप खण्ड (ए) में, नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए अंक के स्थान पर स्तम्भ दो में दिए गए अंक रख दिए जायेंगे अर्थात्— अनुच्छेद 6 का संशोधन

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
रु0 पै0	रु0 पै0
1.00	1.50
2.00	3 00
3 00	4.50
4.00	6.00
5.00	7.50
6.00	9.00
8.00	12.00
12.50	18.75
25.00	37.50
37.50	56.25
50.00	75.00
75.00	112 50
100.00	150.00
12.00	187.50
150.00	225.00
50.00	75.00

8—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 7 में,— अनुच्छेद 7 का संशोधन

(क) खण्ड (ए) में, दूसरे स्तम्भ में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

"पचास रुपये",

(ख) खण्ड (बी) में दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

"एक सौ रुपये" ।

सत्यमेव जयते

अनुच्छेद 10 का संशोधन

9—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 10 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात्—

"तीन सौ रुपये"।

अनुच्छेद 11 का संशोधन

10—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 11 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि, रख दी जायगी, अर्थात्—

"चार सौ रुपये"।

अनुच्छेद 17 का संशोधन

11—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 17 में, दूसरे स्तम्भ में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात्—

"पच्चीस रुपये"।

अनुच्छेद 19 का संशोधन

12—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 19 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

"पचास पैसे"।

अनुच्छेद 20 का संशोधन

13—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 20 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

"छः रुपये"

अनुच्छेद 22 का संशोधन

14—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 22 में, दूसरे स्तम्भ में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

"पचास रुपये"

अनुच्छेद 26 का संशोधन

15—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 26 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

"एक सौ पचास रुपये से अधिक न होते हुए वही शुल्क जो बन्ध-पत्र (संख्या 15) पर लगता है"

अनुच्छेद 28 का संशोधन

16—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 28 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

"पचास पैसे"

अनुच्छेद 29 का संशोधन

17—उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 29 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्—

"पच्चीस रुपये"

18--उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 34-ए में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "छः रुपये" रख दिए जायेंगे । अनुच्छेद 34-ए का संशोधन

19--उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 36 में दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्-- अनुच्छेद 36 का संशोधन

"पचास पैसे"

20--उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 39 में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" और शब्द "तीन सौ पच्चीस रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिए जायेंगे । अनुच्छेद 39 का संशोधन

2--उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 43 में,--

(क) खण्ड (ए) में, दूसरे स्तम्भ में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्-- अनुच्छेद 43 का संशोधन

"एक रुपया"

(ख) खण्ड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्--

"पचहत्तर रुपये से अधिक न होते हुए, प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके भाग के मूल्य के स्टाक या प्रतिभूति के लिए एक रुपया"

22--उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 44 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्-- अनुच्छेद 44 का संशोधन

"तीन रुपये"

23--उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 48 में,--

(क) खण्ड (क) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "दो रुपये पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "तीन रुपये" रख दिये जायेंगे , अनुच्छेद 48 का संशोधन

(ख) खण्ड (ख) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "छः रुपये" रख दिए जायेंगे ,

(ग) खण्ड (ग) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "बीस रुपये" के स्थान पर शब्द "चौबीस रुपये" रख दिए जायेंगे,

(घ) खण्ड (घ) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "चालीस रुपये" के स्थान पर शब्द "अड़तालिस रुपये" रख दिए जायेंगे ,

(ङ) खण्ड (च) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द 'छः रुपये" रख दिये जायेंगे ।

अनुच्छेद 50 का संशोधन

24--उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 50 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्--

"पांच रुपये"

अनुच्छेद 51 का संशोधन

25--उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 51 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्--

"पांच रुपये"

अनुच्छेद 58 का संशोधन

26--उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 58 में, मद "बी" में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्--

"वही शुल्क जो सम्बद्ध सम्पत्ति की रकम या मूल्य के बराबर राशि के लिए बन्ध-पत्र (संख्या 15) पर लगता है; किन्तु पचास रुपये से अधिक नहीं" ।

अनुच्छेद 60 का संशोधन

27--उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 60 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्--

"पचास पैसे"

अनुच्छेद 62 का संशोधन

28--उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 62 में,--

(क) खण्ड (सी) में, उप खण्ड (ii) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे" के स्थान पर शब्द "पचहत्तर रुपये" रख दिए जायेंगे ,

(ख) खण्ड (डी) में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्--

"सड़सठ रुपए पचास पैसे",

(ग) खण्ड (ई) में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्--

"चौंतीस रुपये या ऐसी न्यूनतर रकम जैसी इस अनुच्छेद के खण्ड (बी) और (सी) के अधीन प्रभार्य हो ।"

29--उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 64 में, भाग "ए" में, खण्ड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्— अनुच्छेद 64 का संशोधन

"दस हजार रुपये पर, खण्ड (ए) के अधीन देय शुल्क, और शेष पर, प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार रुपये या उसके भाग पर तीन रुपये"

30--उक्त अनुसूची में, अनुच्छेद 65 में, दूसरे स्तम्भ में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायगी, अर्थात्— अनुच्छेद 65 का संशोधन

"तीन रुपये"

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 30 तक खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982†

[2 बजकर 1 मिनट]

विद्युत् राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

*श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

---

†दिनांक 27 जनवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मित्र सेन--]

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है, इसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन प्रस्ताव में जो कमियां हैं, उनको न बताते हुए खड़े होकर प्रस्ताव को रख दिया और बैठ गए। उन कमियों के ऊपर उन्होंने कोई प्रकाश भी नहीं डाला। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वे आखिर क्यों इस संशोधन विधेयक को ला रहे हैं और इसके जरिये वे क्या करना चाहते हैं और किसके हित में क्या करना चाहते हैं ? पता नहीं उन्होंने इसको क्यों पोशीदा रखा है ? मन्त्री जी कह रहे हैं कि इसके जरिये वे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट देना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि हरिजनों को कमजोर वर्ग के लोगों को, सैनिकों की विधवाओं को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट देना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक एकड़ से कम जोत वालों को भी इसमें शामिल किया है।

मान्यवर, अकसर यह देखा गया है कि जिनकी जोत कम है उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने लड़कों के नाम दरख्वास्त देकर कनेक्शन ले लेते हैं और इस तरह से पा लेते हैं। इस तरह से साधन सम्पन्न लोग जो हैं, उन्हीं को यह फायदा मिल पाता है गरीबों तक इसकी सुविधा नहीं पहुंच पाती है। इस प्रकार से मान्यवर, पहले तो गरीबों की झोपड़ियों को पक्का करने की बात इस सरकार को करनी चाहिए थी लेकिन वह न करके उनको बिजली देकर उनकी झोपड़ियों को फूंकना चाहती है। जहां पहले दो आने बोतल मिट्टी का तेल मिलता था अब 2 और 4 रुपया कर दिया है। उससे जहां उनका टिमटिमाता हुआ दीप जलता रहता था, उसके लिए विद्युतीकरण की व्यवस्था ये कर रहे हैं। हरिजन के घर में तो विद्युतीकरण नहीं हुआ, खम्भे लगा कर बिजली के तार भेजकर दिया जायेगा, हां बड़े घरों में बिजली पहुंच जायेगी। हरिजन के घर में तो जो टिमटिमाता दिया जल रहा था वह भी नहीं जलेगा वह कहां से 6 रु0 का बल्ब खरीदेगा। सिंचाई के के कार्यों लिए तो आप बिजली दे नहीं पाते हैं तो बचारा रातों रात खेतों में बैठा रहता है।

हरिजनों को बिजली देने की बात करके सहानुभूति कर रहे हैं। एक तरफ लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता है और दूसरे संसाधन नहीं मिल पाते हैं दूसरी तरफ विद्युतीकरण की चर्चा कर रहे हैं। यह प्रदेश की जनता को धोखे में रख कर उनसे लाभ लेना चाहते हैं। अगर आपकी मंशा कुछ करने के लिए साफ है तो उसके लिए कारगर कदम उठाने चाहिए वर्ना वही बात होगी आसमान से गिरा खजूर में अटका। यही असलियत है आप चाहे इसे स्वीकार करें या न करें। अगर असलियत स्वीकार करेंगे तो कान पकड़ कर निकाल दिए जायेंगे। गरीब जनता के बीच से चुनकर आप आये हैं उनकी कठिनाई कहने में क्या कठिनाई है ? उसको कहने में क्या परेशानी है बहुमत तो आपका है पास तो आप कर लेगें।

श्री त्रिवेनी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने कहा कि कान पकड़ कर निकाल दिये जायेंगे। तो यह असंसदीय शब्द है माननीय सदस्यों के लिए कानपकड़ कर निकाल दिए जायेंगे कहना असंसदीय है इसलिए इसे वह वापस लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय त्रिवेनी राय जी, किसी व्यक्ति के लिए या माननीय सदस्य का नाम लेकर उन्होंने नहीं कहा । उन्होंने कहा उनको कहने का अधिकार नहीं है ।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी व्यवस्था देने के बाद कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं । ऐसी कोई बात नहीं हुई है ।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी—

उनको डर हो रहा है कि ऐसा कहेंगे तो निकाल दिए जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने व्यवस्था के प्रश्न का जवाब दे दिया उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें व्यवस्था का प्रश्न आप उठायें ।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

मान्यवर, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए । माननीय मित्रसेन जी जिस दल से सम्बद्ध हैं वहां विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने मन की बात कही है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है ।

श्री भीखा लाल—

आपके यहां बातें ऊपर से थोप दी जाती हैं, यह आपके यहां विचारों की स्वतंत्रता है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीया इंदिरा गांधी के आदेशों के परिपालन में यह सब कुछ करते हैं यह उन्होंने कहा है । इनके ऊपर तो अनुशासन लगा हुआ है तो कान नहीं पकड़े जायेंगे तो निकाल दिये जायेंगे । मान्यवर, माननीय मंत्री जी माननीय शास्त्री जी जो यह विधेयक लाये हैं यह बड़ा सरल और सुशील है उनकी जनता के प्रति हमदर्दी है । लेकिन मैं चाहूंगा कि जिस मंशा से उन्होंने यह रखा है . . .

श्री अधिष्ठाता—

अगर माननीय मंत्री जी ने कुछ जिक्र नहीं किया है तो आप ही कुछ कह दें उद्देश्य और कारणों के बारे में, ताकि मालूम हो जाय ।

श्री मित्रसेन—

करना तो उनको ही है । करने का अधिकार उनके हाथ में हैं । शास्त्री जी से मैं चाहूंगा कि जिस विचार और मंशा से वह इस प्रस्ताव को ले आए हैं, उसको वह उन लोगों तक पहुंचा दें, जिनके लिए वह इसे लाये हैं । उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जो छूट का प्रस्ताव है, इसका लाभ दूसरे लोग न उठा सकें । हरिजनों, सैनिकों और उनके विधवाओं के नाम पर दूसरे बीच के लोग इसका लाभ न उठाने पावें । पात्र व्यक्तियों के नाम पर कुपात्रों को इसका लाभ न मिले, इसको देखना उनका सबसे बड़ा काम है । इस प्रस्ताव द्वारा वही हुआ तो इससे कोई लाभ नहीं है ।

इसलिए इन सुझाओं के साथ मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस प्रस्ताव को प्रवर समिति में भेज दें, वहां वह कारण ढूढ़ लिए जायेंगे जिनके कारण कुपात्र लोग उनका लाभ प्राप्त कर लेते हैं और उसे सही आदमियों तक सही रूप में पहुंचाने की बात सोच ली जायेगी । पात्र व्यक्ति ही इसका लाभ पा सकें, इसको सुनिश्चित करने के लिए ही हम इस संशोधन को ले आये हैं । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसको स्वीकार करें ।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत छोटा सा बिल है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विरोध करने या प्रवर समिति में इसको भेजने का प्रश्न है । जो प्रवर समिति की बात है, यह वाकई वैसी ही बात है, जब माइण्ड लूज हो जाता है तो ऐसी ही बातें होती हैं । जो इसका आप विरोध कर रहे हैं यह उसी चीज को बताता है । जनता सर्विस कनेक्शन की जो स्कीम थी उसी के अन्तर्गत आने वाले लोगों का विस्तार इसके द्वारा किया गया है और इसके द्वारा कुछ अन्य लोगों को उसमें कवर कर दिया गया है, केवल इसमें इतनी सी बात है । अब इसमें हरिजनों, लैंडलेस लेबर्स और वार विडोज आदि को शामिल कर लिया गया है । अब इसमें क्या बात है जो विरोध की बात है और इसमें क्या प्रवर समिति बढ़ा देगी या घटा देगी ? तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ कहने की बात नहीं है । मुझे इस सम्बन्ध में तमाम किस्म की उधर से बातें करने पर एक स्टोरी याद आती है जो आपने विरोध किया । बहुत ही शार्ट स्टोरी है । एक डिप्टी साहब थे स्कूल के । वह स्कूल गये । वह बहुत सख्त समझे जाते थे, जिनको पा जाते थे छोड़ते नहीं थे । वह एक स्कूल में इम्तहान लेने गये । किसी को उन्होंने कभी बख्शा नहीं था । वह स्कूल गये और वहां उन्होंने कहा कि आज हमारे प्रश्न का जो जवाब नहीं देगा तो सारे मास्टर निकाल दिये जायेंगे, स्कूल भी समाप्त हो जायगा, स्कूल भी तोड़ दिया जायेगा । तो इस पर मास्टर लोग बहुत घबड़ाये...

श्री अधिष्ठाता—

लाल प्रताप सिंह जी, एक स्कूल खोलकर यह सुनाइये, यही पढ़ाइये ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं । जब डिप्टी साहब वहां गये तो लड़के सब बैठ गये और डिप्टी साहब ने सवाल पूछा तो लड़के बहुत घबड़ाए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और मास्टर साहब भी बहुत घबड़ाए कि रोजी अब गई, तब गई। उन्होंने एक सवाल पूछा कि लड़कों तुम यह बताओ कि बम्बई से कलकत्ता गाड़ी दो सौ मील के रफ्तार से जाती है, तो उस हिसाब से हमारी उम्र बताओ।

(व्यवधान)

मास्टर बहुत घबड़ाए और डिप्टी साहब ने कहा कोई इसका सही जवाब बता देगा तो स्कूल पक्का हो जायेगा, सड़क बन जायेगी। तो एक लड़के ने हाथ उठाया और उसने कहा कि आप की उम्र 44 साल है। इस पर डिप्टी साहब ने कहा कि वाकई मेरी उम्र 44 साल है और उन्होंने खुशी से लड़के को गले लगा लिया और उससे कहा कि बताओ तुमने इसको कैसे सही बता दिया। इस पर उस लड़के ने कहा कि मेरे एक भाई हैं वह आधा पागल है, उसकी उम्र 22 साल है, उससे मैंने अन्दाज लगाया कि आपकी क्या उम्र होगी? इसी तरह से आपका विरोध है और आपको यह बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें जो उसी सवाल की तरह से है।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे शास्त्री जी बड़े संस्कारयुक्त हैं जो एक अच्छा और छोटा सा विधेयक लाये हैं। माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने अभी कहा कि इस विधेयक के विरोध की कौन सी बात है लेकिन अपना संशोधन रख कर हमें एक ऐसा अवसर मिलता है जिससे हमें प्रदेश में, जिले में और गांवों में हो रही नित्य प्रति की घटनाओं को सदन में अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए यह बात हमारी ओर से यहां आयी है। हम एयर कन्डीशन्ड महल में बैठ कर यह कहें कि जनता कनेक्शन साधारण स्तर तक के लोगों तक पहुंच गया है, बहुत वाजिब बात न होगी। जिन लोगों को आप इस विधेयक द्वारा छूट देने जा रहे हैं, वह जनरल लाइन में बाधक नहीं हैं लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से अगर आप गांवों में जा कर देखें, और छानबीन करें तो पायेंगे कि बड़े-बड़े लोग जनता कनेक्शन के नाम पर रुपया हड़प जाते हैं, उनकी बोर्ड की ओर से कोई जांच नहीं होती है।

हमारे यहां पर जाकर देखें तो पायेंगे कि जो लोग पेड़ों के नीचे रहते हैं, अपने घरों की बगल में बड़े-बड़े लोग झोपड़ी जलवा कर पूरी लाइन अपने घरों में ले गये हैं। इस प्रकार से सारा का सारा रुपया चोरी छुपे उनकी जेबों में चला जा रहा है। मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव के द्वारा 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। पहला मेरा सुझाव यह है कि आप इसके लिए चाहे इस सदन के सदस्यों की या बोर्ड के कर्मचारियों की एक समिति गठित करें जो बस्ती, गोरखपुर और पश्चिमी जिलों जहां-जहां पर जनता कनेक्शन दिये गये हैं, ऐसे स्थानों पर जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, भेजें और जांच करायें कि क्या वास्तव में ये कनेक्शन्स उनको दिए गए हैं जो कि गरीबी की रेखा से नीचे अपनी गुजर-बसर कर रहे हैं? यदि नहीं तो उनके लिए समुचित व्यवस्था करायें तब तो छूट का लाभ उन तक पहुंच सकेगा अन्यथा इससे बड़े लोग ही सारा का सारा लाभ उठा ले जायेंगे।

आपके यहां पर लाइन इन्सपेक्टर्स और लाइनमैन हैं लेकिन जब बड़े आदमी के यहां पर कोई फाल्ट होता है या लाइन गिर जाती है तो वे उनके यहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माता प्रसाद पाण्डेय--]

तुरन्त चले जाते हैं क्योंकि उनको आशा है कि वहां पर उनको 20 किलो चावल मिलेगा और चाय भी पीने को मिलेगी, लेकिन अगर गरीब आदमी के यहां लाइन गिर जाती है तो उसके घर का रास्ता भी ब्लाक हो जाता है, उसके बच्चे भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और बिजली भी गायब हो जाती है। उसकी फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी पुनः प्रार्थना है कि आप चाहें तो इस सदन की या बोर्ड के कर्मचारियों की एक ऐसी समिति बनायें जो 2-4 जिलों में आकस्मिक रूप से जाकर चेक करे कि जनता कनेक्शन्स सही आदमियों को मिल रहे हैं, या नहीं, अन्यथा जो आप इस विधेयक के जरिये से छूट देने जा रहे हैं, इसका कोई उपयोग उनको नहीं मिलेगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जब आपकी लाइन बराबर रहती है तो कभी लो वोल्टेज हो जाता है और कभी हाई, जिससे गरीबों के बल्ब ही फ्यूज हो जाया करते हैं। आज ये बल्ब 4-5 रुपये प्रति के हिसाब से पड़ जाते हैं और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है जिनका आपने तेल भी ले लिया, जिसके पेट को आपने खाली कर दिया, जिनके पास रोजी का कोई जरिया नहीं है तो उनको उजाले में रहने के लिए कम से कम एक-एक बल्ब भी मुफ्त दिलाने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रभू नारायण सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, इस बिल पर तो किसी भी प्रकार के विवाद की आवश्यकता थी ही नहीं। मैं यह देख रहा हूं कि जिस प्रकार से छात्र समय बिताने के लिए आपस में अन्त्याक्षरी का खेल खेलने लगते हैं और यह कह कर शुरू करते हैं समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अन्त्याक्षरी लेकर हरि का नाम। उसी तरह से इस विधेयक पर कुछ बोलने के लिए तो था ही नहीं, माननीय सदस्य ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रख दिया। कुछ न कुछ विरोध होना चाहिये। यह बिल उन गरीब और निर्धन पिछड़े हुए लोगों के लिए लाया गया है जिनका यह सरकार उत्थान करना चाहती है, जो अपने खर्च से बिजली नहीं लगवा सकते हैं, उनकी बस्तियों में, हरिजन बस्तियों में, बिजली लगवाने की व्यवस्था यह सरकार करना चाहती है। इसमें विरोध की क्या आवश्यकता है? जिस प्रकार कल माननीय रियासत साहब ने स्वास्थ्य बिल का, अपना प्रवर समिति का प्रस्ताव वापस लेते हुये, समर्थन किया और इस सदन ने सर्वसम्मति से उसे पारित किया, साथियों, इसे भी उसी तरह पास करना चाहिये...

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया साथियों की जगह माननीय सदस्य शब्द का प्रयोग करें।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

श्रीमन्, मैं मान्यवर, कहता हूं, साथी पास में बैठे थे इसलिए वह शब्द कह गया। मैं यह कह रहा था कि यह कहना कि खम्भे गिर जायेंगे, तो मकान

*वक्ता नेभाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किक या।

नष्टहो जायेंगे, तार गिर जायेगा तो यह हो जायेगा, यह बेकार की बातें हैं। इस तरह से कोई विकास का काम हो ही नहीं सकता। कुछ न कुछ तो रिस्क लेना ही होगा। तभी निर्माण का काम सम्भव हो सकेगा। इन शब्दों के साथ में यह निवेदन करूंगा कि यह एक अच्छा बिल है, इसका समर्थन सभी को करना चाहिये।

श्री भीखा लाल—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय विद्युत् राज्य मंत्री जी ने जो यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है वास्तव में यह बहुत ही इन्नोसेन्ट विधेयक है और मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका स्वागत होना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ में माननीय मित्रसेन जी के प्रवर समिति में भेजने वाले प्रस्ताव का भी समर्थन करता हूं इसलिए क्योंकि इसके उद्देश्य अच्छे होते हुये भी, यह जो लूज सरकार है, जिसके हर पुर्जे लूज हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन लूज है, उसके कारण इसका दुरुपयोग होगा। इसका उद्देश्य पूरा हो और जो कमियां इसमें हैं उन पर विचार हो सके, इसलिए इसे प्रवर समिति में जाना चाहिये।

सरकार कहती है कि हरिजन बस्तियों में बिजली मुफ्त दी जायेगी। कहने के लिए कागज पर दर्ज है कि फलां–फलां हरिजन बस्ती में बिजली पहुंच गयी है। पर वहां जाकर देखा जाये तो पता चलेगा कि बिजली के खम्भे तक नहीं लगे हैं। मैं अपने क्षेत्र को जानता हूं कि जहां पर 50 फीसदी हरिजन गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है और कागज पर दर्ज है कि बिजली पहुंच गयी। जहां 10 साल पहले बिजली के खम्भे लग गये थे, वहां आज तक बिजली के तार नहीं पहुंच पाये। जब विद्युत् समिति में मैंने एक जगह के लिए सवाल पूछा कि आपके कागज में दर्ज है कि वहां बिजली पहुंच गयी, पर वहां तो बिजली अभी पहुंची नहीं है, यह क्या बात है? तो मुझे बताया गया कि साहब, वहां पर किसी ने बिजली के लिए एप्लायी ही नहीं किया। कोई एप्लायी करता तभी तो बिजली देते। कहीं इसी तरह से इस विधेयक का भी दुरुपयोग न होने लगे। जो आप जनता सेन्टर बना रहे हैं, जनता सर्विस कनेक्शन योजना बना रहे हैं, इसका भी कहीं दुरुपयोग न होने लगे, इसलिए इसके लिए ऐसा चेक रखा जाय, ताकि जो सरकार की मंशा है, वह पूरी हो सके और जनता को उसका लाभ हो सके।

जहां तक खम्भा टूटने की बात हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा, उसकी क्या स्थिति है, मैं अपने जिले के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे उन्नाव जिले में 3 हाथी बिजली का तार छूकर मर गये। तार इतना लूज था कि उससे पहले एक हाथी चिपक गया और वह मर गया। मान्यवर, हाथी कितना समझदार जानवर होता है, दूसरा हाथी, उस हाथी का पैर खींचकर उसे छोड़ाना चाहा, लेकिन वह भी चिपक गया और वह भी मर गया। मान्यवर, एक तार और भी एक गांव में टूट गया, पावर जा रही थी, एक आदमी, अन्जाना व्यक्ति था, उसे वह तार छू गया और वह मर गया। मैंने इस बारे में सवाल भी किया था। मेरे प्रश्न के दूसरे पैरा में यह मेरा सवाल था कि क्या विद्युत् परिषद् उसकी क्षतिपूर्ति देने के लिए सोच रही है?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय भीखालाल जी उन्नाव जिले में हाथी ज्यादा हैं, क्या?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, आपको जरूरत हो तो मिल सकता है।

[श्री भीखा लाल]—

मान्यवर, हमारे यहां कुछ सामन्ती राजा लोग हैं जोकि हाथी अब भी पालते हैं। तो मान्यवर, इसमें कुछ ऐसे चेक रखे जायं, ताकि सरकार की मंशा भी पूरी हो सके और उसका कोई दुरुपयोग भी न हो सके। इसीलिए मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के लिए मान्यवर, मैं समर्थन करता हूं।

* श्री राज कुमार राय—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत् मंत्री जी द्वारा रखे हुए विधेयक पर बोलने के लिए अवसर दिया। मैं इसके पहले यह नहीं समझता था कि यह जो संशोधित सेक्शन 2 (ड0) जनता सर्विस कनेक्शन है, उसके लिए आज सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा था, उसके बाद उसके बारे में मैं नहीं समझता था कि कोई किसी किस्म की आपत्ति होगी, क्योंकि हमारे विपक्ष के भाई इस बात के लिए एक मत हैं कि समाज के निर्बल, कमजोर, दलित, पीड़ित और पिछड़े लोगों को सब से पहले कुछ न कुछ सुविधायें दी जायं, आप लोग भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन वह चूंकि विरोध पक्ष में हैं, इसलिए वे विरोध की बात करने के आदी हो गये हैं और इसलिए उन्होंने इसके विरोध में कुछ बातें कहीं।

मान्यवर, 1977 में एक बिल आया था और उसके बाद दो-ढाई साल तक ऐसे लोगों की सरकार रही, जो आज संयोग से उधर बैठे हुये हैं। जितने सुझाव आज विरोधी पक्ष के भाइयों की तरफ से आ रहे हैं, इसमें इन सब सुझावों की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि इस बिल के आ जाने से कोई उन्हे अंदेशा नहीं है, भय नहीं है। लेकिन उन्हें इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ भय लग रहा होगा। उन्हें इसके कार्यान्वयन में कुछ भय लग रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी भारी जिम्मेदारी थी, उनका दायित्व था, जब ये ट्रेजरी बेंचेज में बैठते थे, तब तो ये भयभीत थे, उसको यह ला देते, यह तो सरकार का काम है, अगर उसने फैसला किया है कि हम गरीब लोगों को बिजली पहुंचायेंगे, तो उसको ऐसा विधेयक लाना ही होगा। अगर ऐसा विधेयक नहीं लाते हैं, तो कार्यान्वयन की बात तो दूर रही, अगर हम सिद्धान्त रूप में चलेंगे नहीं, तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो आयेंगी, उसको रिमूव करने के लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी, जो नवजवान हैं, उनसे निवेदन यह करूंगा कि उसके बारे में वह कड़ाई से पालन करायें।

विरोधी पक्ष के भाई यह मानते हैं कि इस बिल में कोई खराबी नहीं है तो जब इसमें कोई खराबी नहीं है, तो इसे पास ही हो जाना चाहिये। रह गया जो इसके इम्प्लीमेन्टेशन की बात, उसमें वह सुझाव दे सकते हैं। मैं भी इस राय का हूं कि बिजली कनेक्शन देने और बिजली की सप्लाई में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और बहुत दिक्कतें हैं। मान्यवर, यह विभाग तो ऐसा लाइलाज हो गया है कि हम सभी सदस्य चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों हमारे कैबिनेट के वरिष्ठतम सदस्य यहां बैठे हैं, सभी इस बात को महसूस करते हैं और यह मानने में हिचकेंगे नहीं कि अगर हम कुछ कराना चाहते हैं जनता के लिये, शहरी जनता के लिये, तो दिक्कतें थोड़ी कम हैं लेकिन यह ऐसा दरवाजा है जहां सर पीटते मर जाइये कुछ होने वाला नहीं है। चाहे रांग बिलिंग की बात हो, चाहे लोड की बात हो। आप गरीबों को बिजली देने जा रहे हैं किसी गरीब के घर में बल्ब लगा है और वह फियूज हो जाता है तो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिजली विभाग का कोई कर्मचारी 4-6 महीने तक तो उसको देखने के लिये जायेगा ही नहीं। वह कनेक्शन होता ही रहेगा। हम सभी यह मानकर चल रहे हैं कि ऐसे लोगों को बिजली इसके अन्दर दी जा रही है जो अपने तरफ से बिजली नहीं लगवा सकता है, गरीबी की रेखा के नीचे जी रहा है।

इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि 15 रोज में एक सप्ताह में या एक महीने दो महीने में बिजली विभाग का कर्मचारी या लाइनमैन जाय और कनेक्शन को देखें कनेक्शन ठीक है या नहीं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है वैसे उधर के लोग गलत समझते हैं कि हमारी पार्टी में विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं है। हमारे यहां फ्रीडम आफ स्पीच जितनी है शायद उतनी उधर के लोगों में नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

फ्रीडम आफ फाइट भी है या स्पीच ही स्पीच है?

श्री अधिष्ठाता--

रियासत साहब यह तो हाई फ्रिक्वेन्सी और लो फ्रिक्वेन्सी की बात हो रही है।

श्री रियासत हुसैन--

छविराम वगैरह के मामले में फ्रीडम आफ फाइट की बात चल रही है।

श्री राज कुमार राय--

इनको तो फ्रीडम आफ स्पीच में भरोसा है नहीं यह तो फ्रीडम आफ फाइट से नीचे विश्वास नहीं करते हैं। मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 25-25 रुपया ले लिया जाता है जनरेशन बिजली का बढ़ नहीं पा रहा है। मान्यवर, मेरा कहना है कि आप जनरेशन बढ़ा लें तभी कनेक्शन दें। मैं आजमगढ़ के नत्थूपुर क्षेत्र से आता हूं। वहां पर 20 गांवों को प्रायरटी पर देना था। मैंने कहा 10-15 गांव में पहले आप लगवा दीजिये। मान्यवर, कहा यह गया कि एक साल 6 महीने में लगवा देंगे। डेढ़ साल बीत गया, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, जूनियर इन्जीनियर, माननीय मुख्य मन्त्री जी और शास्त्री जी को पत्र लिखा कि इन गांवों को प्रायरटी फिक्स हुई है, इनको देखें।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह जनरेशन पर ध्यान दें। अगर जनरेशन नहीं होता है तो बिला वजह लोगों को लटका कर 2 हजार आदमी का गांव है तो 100 आदमियों से पैसा ले लिया, 73-74 से लोगों ने रुपया दिया है लेकिन लाइन आज तक नहीं लगी। आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं। मान्यवर, बिजली विभाग पैसा लेता है और अनुबन्ध के काम नहीं करता। मैं तो यह कहता हूं कि जब तक बिजली का जनरेशन नहीं बढ़ता है चाहे किसी किस्म का कनेक्शन ही, न दिया जाय। सस्ती लोक प्रियता न ली जाय, तो अच्छा है। यदि आपको गरीबों को बिजली देना है तो जब तक जनरेशन नहीं बढ़ता है तब तक सामान्य लोगों को बिजली न दें और जनता कनेक्शनों को वह बिजली दें। जिन लोगों ने पैसा जमा किया है, जिसको आपने उपयोगिता माना है, जिनका अनुबन्ध हो गया है लेकिन तकनीकी कारणों से बिजली देना बन्द किया है, इस लिये आप उनको बिजली दें।

[श्री राजकुमार राय--]

मान्यवर, जनता कनेक्शन के सम्बन्ध में श्री सुनील शास्त्री जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनता कनेक्शन के लिये 3 हजार रुपये से 5 हजार रुपये तक का प्राविधान किया गया है। यह बात सुने हुये 5 महीने हो गये हैं, मुख्य मन्त्री और श्री सुनील शास्त्री जी को लिखकर दिया लेकिन 3 हजार से 5 हजार रुपये का आदेश जनता कनेक्शन के नाम पर कम से कम हमारे जिले में नहीं दिये गये हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो यह विधेयक आया है उसके सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसको पास होने दें। इन शब्दों के साथ में मन्त्री जी द्वारा रखे गये विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया है लेकिन अफसोस है कि जिसके नाम से यह बिल आया है, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, के नाम से, तो उनको हरिजनों से क्या हमदर्दी है जबकि देवली और साढ़ूपुर के कांड हो गये हैं और फिर हरिजनों को यह रियायतें दे रहे हैं, उनकी ऐसी हमदर्दी से क्या तालुक है? लेकिन श्री शास्त्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपने विभाग की बात रखी है। वह सिर्फ दो बातें ध्यान में रखें कि यह उस क्लास को रियायत देने जा रहे हैं जिनकी जेब में उतना पैसा नहीं होगा, कि वह आपके दफ्तरों में, कनेक्शन के बाद, डिफेक्ट की सूचना दे सकें। इसलिये पहले प्रबन्ध करें कि कोई स्पेशल स्केवेड आपके विभाग में हो, जो वर्किंग को देखता रहे। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि 1974 में हरिजन बस्तियों को इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम चली थी तो हमारे यहां भोजपुर में एक हरिजन बस्ती का उद्घाटन, श्री इस्तिफा हुसैन, भूतपूर्व मन्त्री ने, उसमें हम भी थे, किया था, उसको आज जा कर देखें तो वहां न बिजली है और न स्विच हैं लेकिन वह बस्ती भी आपकी गिनती में आयेगी।

इसी तरह अनेकों हरिजन बस्तियां हैं जो आपकी गिनती में होंगी लेकिन वहां कुछ नहीं है। इसलिये इस पर ध्यान आप दें। यह जो सफेद हाथी की तरह बिजली बोर्ड है। कहीं ऐसा न हो कि इस चीज को पेश करके आपका बिजली बोर्ड, चूंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि विशेष परिस्थितियों को सामने रख कर लोन मांगा है और इस सदन ने मंजूर किया है और जिससे बिजली बोर्ड अरबों रुपयों के घाटे में पहुंच गया है और पाइनियर में आया है कि आपकी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स 15 हजार करोड़ रुपये के घाटे में हैं, बिजली बोर्ड प्रदेश का सबसे बड़ा अन्डरटेकिंग है, इसलिए कहीं आपके बिजली बोर्ड का एक पैसा भी इस बिजली ड्यूटी को फ्री करने से खर्च आता हो तो वह आपके सामने इसको बेस बनाकर कल 10 करोड़ रुपये लोन देने की बात रख दें। बिजली बोर्ड यह न कहे कि आपने छूट दी है इसलिए हमको 10 करोड़ रुपये लोन दीजिये। पता चला कि 1 करोड़ रुपया खर्च न हो और हमारे सामने 10 करोड़ रुपये का ऋण आ जाय। आपने जो बिल रखा है वह बहुत अच्छा है, गरीबों, वीकर सेक्शंस, विधवाओं को बिजली देने की बात इसमें है। मान्यवर, मेरे ही घर में बिजली लगी है एक दिन मिसेस कह रही थीं कि इस मीटर को उठवा दीजिये क्यों यह 14 रुपये दिये जा रहे हैं? बिजली मौके पर नहीं आती है, कभी भी 9 बजे नहीं आती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आपको बेगम साहिबा की बात तो मान ही लेना चाहिये ।

श्री रियासत हुसैन—

अगर सुनील शास्त्री साहब मश्विरा दें तो मैं मान लूं । मुझको ही बिजली रात में नहीं मिलती है । और जब बिजली घर में नहीं जलती तो ढिबरी, मोमबत्ती या चिराग जलता है । इसलिये मेरा मश्विरा है कि इन दो बातों की तरफ जिनकी तरफ मैंने संकेत किया है उस पर ध्यान दें । एक स्क्वाड मेंटीनेंस के लिये बनायें अगर मौजूदा स्टाफ की तरफ देखेंगे तो कुछ नहीं हो पायेगा। दूसरी बात आपको यह एश्योरेन्स देना चाहिए कि बिजली बोर्ड इस चीज को आधार बनाकर इस माननीय सदन से ऋण न मांगे ।

*श्री दूधनाथ राजभर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस बिल पर अपने विचार प्रकट करने के लिये हमें मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, आज इस सदन में माननीय सुनील शास्त्री ने जो बिल रखा है, वह हमें याद दिलाता है कि श्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जिनके आप सुपुत्र हैं, उन्होंने अपने जीवन पर्यन्त इस देश के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिये लड़ाई लड़ी थी और आज इस बिल को लाकर माननीय मन्त्री सुनील शास्त्री जी ने उस बात की पूर्ति की है और मैं अनुरोध करूंगा इधर के और उधर के माननीय सदस्यों से कि हम सबको सर्व सम्मति से इस बिल को अच्छा मानकर शास्त्री जी को बधाई देनी चाहिये । इस बिल में जो विचार रखे गये हैं, सन् 1976 में यह व्यवस्था थी जनता सर्विसेज कनेक्शनों की और यह कनैक्शन सही मानों में गरीबों के लिये हैं, इसलिये जो प्राविधान इस बिल में किया गया, वह प्रशंसा करने के योग्य है । लेकिन जिस तरह से इस बिल का विरोध उधर के माननीय सदस्यों ने किया है । माननीय मौखा लाल जी कह रहे थे, मेरी जिनके बारे में आस्था है कि वह समाज के कमजोर तबकों के एकमात्र प्रतीक हैं, लेकिन उन्होंने बिल की प्रशंसा तो किया और साथ-साथ जो संशोधन बिल पर आया है उसका भी समर्थन किया ।

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह की दोहरी नीति नहीं होनी चाहिये । यह समाज के कमजोर वर्गों, हरिजनों के उत्थान के लिये है, यह हमारी सरकार की नीति, हमारी पार्टी की नीति के अनुरूप है । समाज के कमजोर वर्गों, हरिजनों को ऊपर उठाने में बिजली की एक हैसियत है, एक अहमियत है उससे इंकार नहीं किया जा सकता । इसी ख्याल से, यह संशोधन, 76 में एक आर्डिनेंस आया था, जनता पार्टी को चाहिये था इस बिल को लाकर तभी कानून बनाना चाहिये था । लेकिन यह आपकी जबरदस्त भूल थी । हमारी सरकार सही मानों में कजजोर वर्गों, हरिजनों की हिमायती है ।

आज जो यह बिल सदन के सामने आया है, मैं कहना चाहूंगा कि इसका सर्वसम्मति से स्वागत होना चाहिए और दूसरी बात इस विधेयक में जो सबसे बड़ी चीज है, जिस पर विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को प्रदेश की गरीब जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए इसे माफ करने का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, इसी

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री दूधनाथ राजभर]--

सिलसिले में मैं अपने यहां से सम्बन्धित 2-3 सुझाव रखना चाहता हूं कि हमारे जिले के राज्य मंत्री श्री वीरेन्द्र वर्मा थे, जिन्होंने सिंधारी ब्लाक में, जहां पर गरीब लोग रहते हैं, निर्बल वर्ग के लोग रहते हैं, हरिजन वर्ग के लोग वहां बसते हैं, की अंधेरी को दूर करने के लिए 'जनता कनेक्शन' के नाम पर एक योजना का गठन किया था कि वहां का हमेशा का अंधेरा समाप्त होकर प्रकाश के रूप में बदल जाय और इस प्रकार उनके जीवन में भी उजाला हो जाय ।

यह स्कीम थी उनकी, लेकिन, मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि वह स्थान आज भी उसी रूप में है, कोई प्रगति इस ओर वहां नहीं हो सकी है । इसलिए मैं कहता हूं कि यह हमारे माननीय मन्त्री जी प्रगतिशील विचाराधारा के हैं, मजदूर, कमजोर वर्ग और निर्बल वर्ग के हिमायती भी हैं । यह बिल उसी समय सही मायनों में कारगर हो सकता है, जब आप साथ ही यह भी घोषणा कर दें कि अब एसी कोई भी बस्ती प्रदेश की जो इन गरीब लोगों से सम्बन्धित है, में सर्विस कनेक्शन इसी वर्ष के अन्दर-2 लग जायेंगे, तभी यह बिल आपका सही मायनों में कारगर और गरीब तबके के लोगों का बिल होगा, जिनके वोट्स के बदौलत हम और आप यहां आए हुये हैं । इन्हीं शब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसे सर्वसम्मति से पास करेंगे ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जो भाई मित्रसेन यादव जी ने प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मेरा 34 वर्षों का अनुभव है (हंसी) और यह बिल ठीक वैसा ही रखा गया है जैसे 'मुंह में राम और बगल में छूरी' मान्यवर, गरीबों के नाम से, हरिजनों के नाम से, कमजोर वर्ग के नाम से हमेशा इस सरकार के द्वारा लूटा गया है, इसकी कल्पना वही लोग कर सकते हैं जो थोड़े से समझदार हैं । मान्यवर, हमारे यहां कोटा टांगा एक गांव है, सन् 1976 में वहां के लोगों से 16 सौ रुपया कनेक्शन दिलाये जाने के लिए जमा किये गये, लेकिन मान्यवर, आज तक उस गांव को छोड़िये, 5 किलोमीटर दूर तक बिजली की लाइन वहां नहीं गयी है और 16 सौ रु0 वहां के लोगों से जमा करा लिये गये, तो यह अंधेर नगरी चौपट राज्य हो रहा है । (हंसी) इस सम्बन्ध में मैंने कई बार माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया कि इस तरह से आपकी व्यवस्था चल रही है कि पैसा जमा होने के बाद भी आज तक वहां लाइन नहीं पहुंच सकी है ।

यह बात उसी तरह हो रही है, इसका एक रामायण का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि 'सीता जी का अपहरण रावण ने साधु बनकर किया था' और आप भी उसी तरह से यहां के गरीबों का, हरिजनों और निर्बल वर्ग के लोगों का अपहरण साधु बनकर कर रहे हैं और करते रहेंगे । मान्यवर, हमारे पर्वतीय अंचल में बड़े उद्योग नहीं हैं, छोटे-छोटे उद्योग हैं, कहीं पर आटा चक्की चलाई जा रही है और कहीं पर तेल पिराई की मशीन चलाई जा रही है, लेकिन मान्यवर, यह चीजें वहां पर लगी जरूर हुयी हैं नाम की, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है । यहां माननीय मन्त्री जी बराबर इस बात की घोषणा करते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि पर्वतीय अंचल में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हमारे मन्त्री जी जो बयान देते हैं वह कितना सत्य है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस बयान को दें, अभी माननीय दूध नाथ जी ने एक अच्छी बात कही, मैं भी उस बात को कहना चाहता हूं। मेरे लाल बहादुर शास्त्री जी से सम्पर्क रहे हैं, ये तो छोटे बच्चे ठहरे उस समय, वैसे मैं इनको भी प्यार करता हूं। मैंने कहा है कि मैं बधाई भी दूंगा जब आप शास्त्री जी का उदाहरण प्रदेश के सामने रख दें, लेकिन अभी तक कोई उदाहरण प्रदेश की जनता के सामने नहीं रख सके हैं। बिजली विभाग में जितना भ्रष्टाचार है, उसको हटाने में नाकामयाब रहे हैं। ग्रामीण अंचल में बिजली की जो लाइनें बना रखी हैं। मेरे गांव में एक चौखटिया ब्लाक है वहां एक पट्टी है। सुबह-सुबह एक पंडित जी हल चलाने गये, तार टूटा हुआ था, बैल उसमें चिपक गये, हलवाहा अपंग हो गया, आल इण्डिया मैडिकल इन्स्टीट्यूट में उसने इलाज करवाया। उसने मुआवजे की मांग की लेकिन कुछ नहीं दिया गया।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

छोटे-छोटे गरीब और परिगणित जाति के लोगों की बात करते हैं तो हमारे प्रदेश के लोग खुश हो जाते हैं....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कहीं माननीय सदस्य की बुद्धि का अपहरण तो नहीं हो गया है।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता--

एक घण्टे का समय निर्धारित था, माननीय विष्ट जी, आपका समय समाप्त हो गया है, जो नियम आपने बना लिया है, उसी प्रकार चलेंगे।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि बुद्धि का अपहरण हो गया है, तो कम से कम उन्हें बता तो दें।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, एक सुझाव दे दूं।

श्री अधिष्ठाता--

सुझाव का समय नहीं है, सुझाव आप क्या दे रहे हैं, सुझाव की कोई चीज हो तब सुझाव दें।

*श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मेरे संशोधन के प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के जिन लोगों ने भाग लिया और सुझाव दिये, उस पर ध्यान देते हुए एक चीज कहूंगा कि उधर के कई माननीय सदस्यों ने यह इशारा किया कि हम हरिजन और गरीब वर्ग के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि--सीख तो वाको दीजिये, जाको सीख सुहाय, हम लोग तो प्रस्तावों के जरिये सुझाव लाये, लेकिन सरकार की आखें कमजोर हैं, उनकी आंखों पर कुर्सी का चश्मा चढ़ा है। हमारा जो कार्य है हम पूरा करते हैं, अपने रचनात्मक सुझावों के द्वारा सरकार को सचेत करते हैं। अभी दूधनाथ जी कह रहे थे, लेकिन अगर वह हरिजनों के प्रति चिन्तित हैं, तो अभी पिछले दिनों हमारे माननीय सदस्य रियासत हुसेन जी एक प्रस्ताव लाये थे कि दिवली और साढ़ूपुर के हत्याकाण्ड के प्रति हम चिन्ता व्यक्त करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिये आप कोई कारगर कदम उठाने पर विचार कर लें, यह प्रस्ताव आया था।

यह प्रस्ताव कितना रचनात्मक था, हरिजनों से कितनी हमदर्दी थी, उसके प्रति उन लोगों के अन्दर कोई चिन्ता नहीं व्याप्त हुआ और उन्होंने इसका विरोध किया। आपकी अच्छी बातों को हम मानते हैं और उसका स्वागत करते हैं। अभी कल ही प्रस्ताव आया था स्वास्थ्य विभाग का, उसका हम लोगों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया। परन्तु उनकी जो कमजोरियां हैं उनकी तरफ भी इशारा करना हमारा कर्तव्य है इसलिये हम यह करते हैं। सरकार को सुझाव देते हैं कि पात्र व्यक्ति ही उससे लाभान्वित हो। कहीं कुपात्र उसका लाभ न उठा ले जाय, इसीलिए हम यहां पर बैठ कर अपने विचार व्यक्त करते हैं। जिससे बाजारों में ब्लैक को बढ़ावा न मिलने पाये, उससे आप बच सकें। इन सब बातों को रखते हुए मैं अपने सुझावों का समर्थन करता हूं क्योंकि यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी भी इस पर कुछ अपना आश्वासन दें।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे एक बात ही स्पष्ट करनी है कि हम लोगों ने बिजली के कनेक्शन की सुविधा गरीब लोगों को देने की बात की है। उनको जो हम बिजली उपलब्ध कराते हैं उस पर हम ड्यूटी इलेक्ट्रिकसिटी की भी ले लें तो इससे अधिक भार पड़ जाता है। हमारी चेष्टा यही है कि उनके ऊपर जो भार आये उससे उन्हें मुक्त कर दें और उन्हें सीधे दामों पर ही बिजली उपलब्ध करायें।

जैसा कि श्री मित्रसेन यादव जी ने कहा कि जब मैंने आपसे बोलने के लिये अनुमति ली तो उस समय इसका जिक्र इसलिये नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप लोग इससे सहमत होंगे और हमारा यह विधेयक जो यहां पर पेश हुआ है, इसका सर्वसम्मति से स्वागत करेंगे और यह सर्वसम्मति से पारित हो जायेगा क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि आप लोग भी हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों, निर्बल वर्ग के लोगों की भलाई के लिये इसका स्वागत करेंगे। इस विधेयक में मैंने जनता सर्विस कनेक्शन की बात की है। उसमें एक बल्ब का कनेक्शन देते हैं और उसमें 5 रुपया प्रति माह उससे हम विद्युत उपयोग के लिये हासिल करते हैं। जहां पर बिजली के दो या तीन बल्ब देते हैं तो वहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपभोक्ता से 7 1/2 रुपये का बिल लिया जाता है। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऐक्ट जो है उसको और जोड़ दें तो अधिक धनराशि हो जाती है और मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार यह समझती है कि वह उसके लिये भार अधिक हो जायेगा और जिसे दे पाना उसके लिये सम्भव नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसा कि विधेयक में स्पष्ट है हरिजनों, भूमिहीन श्रमिकों, कृषकों (जिनकी जोत एक एकड़ या इससे कम है) सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और ग्रामीणों क्षेत्रों के अन्य निर्बल वर्ग के घरों में रोशनी के लिये बिजली अपेक्षाकृत सस्ते दर पर दी जाती है। यह सुविधा उक्त वर्गों को देने की बात है।

जहां सुझावों की बात है, जो सुझाव आये हैं उनका सीधा सम्बन्ध इस विधेयक से नहीं है। सुझावों का हम स्वागत करते हैं और इस सम्बन्ध में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना अधिक से अधिक अच्छी सप्लाई और अच्छा वितरण विद्युत का प्रदेश में हो सकेगा, उसके लिये प्रयास प्रदेश की सरकार कर रही है। इसके अतिरिक्त और भी सुधार उसमें होने की हमको पूरी उम्मीद है। इन शब्दों के साथ, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो अपना संशोधन का प्रस्ताव, प्रवर समिति में भेजने का रखा है, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि, वापस ले लें और विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय मंत्री जी, बुन्देलखंड क्षेत्र में एक एकड़ जो आपने निर्बल वर्ग और मजदूरों के लिए रखा है, तो वहां की जमीन पथरीली है, इतनी कम पैदावार होती है कि एक एकड़ का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है इसलिए एक एकड़ जो दिया है उसके स्थान पर 5 एकड़ के लिए वह सुविधा देंगे। जो परिभाषा सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत है, वही वहां लागू कर दी जाये, इसका स्पष्टीकरण दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपका नाम पुकारा था और आप बैठे हुए थे। यदि आप उस समय अपनी बात रखते तो रख सकते थे, इसलिए अब आप को अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री मित्र सेन जी, आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री मित्रसेन--

माननीय शास्त्री जी की तरफ से यह बिल लाया गया है, मुख्य मंत्री जी की तरफ से यह लाया गया होता तो नहीं वापस होता लेकिन शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, इसलिए वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि श्री मित्रसेन को अपने इस संशोधन प्रस्ताव को कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे, वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन प्रस्ताव वापस हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन 1952 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952 की धारा 3 में, उपधारा (5) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायेगा और दिनांक 1 जून, 1976 से बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात्--

"(ङ) जनता सर्विस कनेक्शन योजना के अधीन किये गये सम्भरण पर रोशनी के लिए उपभुक्त एनर्जी ।

स्पष्टीकरण:--खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिये "जनता सर्विस कनेक्शन योजना" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जिलों में हरिजनों, भूमिहीन श्रमिकों, कृषकों (जिनके पास एक एकड़ से अधिक भूमि न हो) सशस्त्र बल के सदस्यों (चाहे सेवारत हों या सेवा निवृत्त हों), युद्ध विधवाओं और अन्य निर्बल वर्गों को एनर्जी के सम्भरण के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा अनुमोदित योजना से है ।"

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिसमें से एक सूचना माननीय अध्यक्ष ने श्री हुकम सिंह जी की स्वीकार की है। दिनांक 5-2-82 को ग्राम काशीपुर, थाना पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर के 5 व्यक्तियों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में। माननीय मंत्री जी आप इस पर वक्तव्य कब देंगे ?

विद्युत् राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

17 फरवरी को।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, हमने 4 सदस्यों ने पर्वतीय अंचल की समस्या के लिए दिया था।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय विष्ट जी, आप बैठ जाइये। खैरुल बशर जी आप भी बैठ जाइये। नियम के अनुसार एक सूचना को स्वीकार किया गया है। उसकी आपको इत्तिला दे दी गई है और उसमें वक्तव्य के लिए मंत्री जी ने 17 तारीख दे दी है। अब इस पर विवाद नहीं हो सकता है।

मानिकपुर सतना रेलवे लाइन पर जा रही मालगाड़ी के डिब्बे से इटावा सुहेला के बीच 12 पेटी कारतूसों की चोरी हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री रियासत हुसैन—

यह जो वक्तव्य है इसमें किसी भी चीज का सरकार कुछ पता नहीं चला पाई है, तो मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी इसमें और समय ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

जब वक्तव्य हो जाय तब आप स्पष्टीकरण पूछें।

श्री रियासत हुसैन—

म कहना चाहता था कि मंत्री जी 2-4 दिन का समय और लेकर इस वक्तव्य को सही रूप से प्रस्तुत करें।

श्री अधिष्ठाता—

वक्तव्य को न तो पढ़ा हुआ माना जाने ई। क प्रस्ताव हुआ और न उन्होंने वक्तव्य को पढ़ा। जब वह वक्तव्य कोपढ़ लें तब इस पर विचार किया जा सकता है।

गृह राज्य मन्त्री (राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचना के आधार पर ज्ञात हुआ है कि दिनांक 31-1-1982 को श्री इन्द्रजीत सिंह सिसौदिया, निरीक्षक आर0 पी0 एफ0, मानिकपुर ने थाना जी0 आर0 पी0, मानिकपुर पर सूचना अंकित करायी कि ट्रेन संख्या वाई/30 अप गुड्स ट्रेन रेलवे स्टेशन इटावा-टुडेला पर दिनांक 30-1-82 को दिन में रोक दी गई थी। एक हेड रक्षक को चौकी सतना से उपरोक्त मालगाड़ी की सुरक्षा हेतु रेलवे स्टेशन इटवा टुडेला पर भेजा गया जो कि उपरोक्त स्टेशन पर करीब 10.30 बजे रात को पहुंचा। वहां पहुंचने पर उक्त ट्रेन को चैक करने पर पाया गया कि वैगन नम्बर एस0 सी0-8293 जो पानागढ़-अमदनगर के लिये था, तथा जिसमें मिलिट्री के अम्युनिशन थे, का दरवाजा खुला पाया गया। हेड रक्षक ने टेलीफोन के माध्यम से आर0 पी0 एफ0 सतना को उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में सूचित किया जिसके आधार पर सहायक उप निरीक्षक, आर0 पी0 एफ0 श्री राजकुमार यादव ने मय कर्मचारीगण के मौके पर पहुंचकर माल व अभियुक्त गण की तलाश में हर सम्भव प्रयास किये। तलाश के दौरान इटावा टुडेला स्टेशन के पश्चिम नाले में दो कारटून पानी के अन्दर बरामद किये गये जिसमें एम्यूनिशन नहीं थे। कारटून पर एस0 ए0 7.62 एम0 एम0 बल लिखा था। उपरोक्त वैगन से कितना एम्युनिशन चोरी गया, इस सम्बन्ध में वैगन की विस्तृत चेकिंग पर ही पता चल सकेगा।

सूचना प्राप्त होते ही थाना जी0 आर0 पी0, मनिकपुर पर अभियोग अपराध संख्या 7 धारा 379 भा0 दं0 वि0 अंकित करके विवेचना प्रारम्भ की गई। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि माल व अभियुक्त का पता लगने का हर सम्भव प्रयास जी0 आर0 पी0/आर0 पी0 एफ0 व जनपद पुलिस के माध्यम से किया जा रहा है पर अभी तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। विवेचना का परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है अतः चोरी गये अम्यूनिशन की संख्या तथा उसका क्या मूल्य था, अभी ज्ञात नहीं है। यह सत्य है कि जिस क्षेत्र में यह घटना घटित हुई है वह डकैती से प्रभावित क्षेत्र है लेकिन इस सम्बन्ध में इस प्रकार का अभी तक कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि यह चोरी किसने की है।

इस मामले में विवेचना प्रचलित है और सही तथ्यों का पता लगाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

श्री गौरी शंकर मैया--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जो वक्तव्य माननीय राज्य मन्त्री जी ने पढ़ा है उसे अपने भी सुना होगा और हम उस के सदस्यों ने भी सुना है। मान्यवर, दिन के 10 बजे चोरी हुई, इसके बाद वहां पी0 ए0 सी0 लगाने की बात हुई। कारतूस की पेटी जो चोरी चली गयी उसकी खाली पेटी एक गड्ढे में बरामद हुई लेकिन गृह मन्त्री जी को अभी तक यह जानकारी नहीं हो सकी कि उस पेटी को कौन ले गया, उसमें कितने हथियार थे, किस किस्म के हथियार थे, कितनी गोली थी, किसने चोरी की, चोर किधर चला गया, इसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। यह तो सादे कागज का एक बंडल है। इतनी सूचना तो मैंने ही दी थी कि कारतूस की पेटी चोरी चली गयी है।

श्री अधिष्ठाता--

आपको जो पूछना हो पूछिये।

श्री गौरी शंकर भैया—

इसको आप स्थगित करवा दें, इसमें है ही क्या जो मैं पूंछू, मैंने सूचना दी। कारतूस की पेटी चोरी हुई, उसे डाकू लेकर गये आप कृपया इसे स्थगित कर दें और दो चार दिन बाद जब माननीय मन्त्री जी पूरी सूचना मंगा लें तब पूरी सूचना सदन को दें।

(व्यवधान)

श्री खैरल बशर—

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के डाकुओं से शासन की सांठ–गांठ है और वक्तन फवक्तन उन लोगों को शासन की तरफ से कारतूस आदि सप्लाई होती रहती है, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि कहीं उस साजिश का ही तो यह नतीजा नहीं है कि यह कारतूस डाकुओं के क्षेत्र में किसी तरह से चला जाय ?

(व्यवधान)

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

डाकुओं का शीघ्र ही इन्तजाम हो रहा है। शीघ्र ही उनका सफाया कर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

हाथ कंगन को आरसी क्या सारी चीजें आपके और हमारे सामने है।

(व्यवधान)

आपने तीन साल में क्या किया ? हमने तो एक हफ्ते में डाकुओं के कई गैंग का सफाया कर दिया। रघुनाथ का सफाया कर दिया।

(व्यवधान)

महीने भर के अन्दर हमने कई डाकुओं का सफाया किया है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना—

यह सब पागलपन है.

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

तीन साल के अन्दर आप कितने रघुनाथ और कितने राजू भटनागर तक पहुंचे।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैं खड़ा हूं, आप बैठ जायं । भीखा लाल जी, बैठें, माननीय राज कुमार जी बैठें । मैं बोल रहा हूं आप बैठ जायं । मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाय । यह परम्परा आपने निभाई है और उसी परम्परा की तरफ आपको ले जा रहा हूं । किसी सदस्य को चाहे वह सदस्य हो चाहे मन्त्री हो जब तक नहीं बुलाया जायगा इस पीठ से उस वक्त तक बगैर अनुमति के नहीं बोलेगा । (तालियां) दूसरी बात जिस सदस्य को सवाल करने के लिए बुलाया जा रहा है, स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जा रहा है, वह सदस्य जब खड़े हों तो अगर वह उस तरफ के सदस्य हों तो सत्ता पक्ष के मेम्बर बैठ जायं और इधर के हों तो उस तरफ के सदस्य बैठ जायं ।

इन शब्दों के साथ में यह कहना चाहता हूं कि आइन्दा जब इस पीठ से जिससे कहा जाय कि जबाब दें तो जबाब ऐसे अन्दाज से दिया जाय, जिसमें जोश की कोई बात नहीं होनी चाहिए ।

श्री भीखा लाल—

अधिष्ठाता महोदय, जिस प्रक्रिया की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया वह ठीक है, मुनासिब है । गृह मन्त्री जी शासक दल की शेरनी हैं । एक पिजड़े की भी व्यवस्था करा दें कि कहीं शेरनी अव्यवस्था न करें ।

एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । इसमें कहा गया है कि रेलगाड़ी इटावा-टुंडला स्टेशन पर 30-1-82 को दिन में रोक ली और सतना चेक पोस्ट से एक हेड कान्स्टेबुल उसकी रक्षा के लिए भेजा था जो साढ़े दस बजे रात वहां पहुंचा । दिन में कै बजे गाड़ी रोकी गई थी, स्टेशन से चेक पोस्ट कितनी दूर था, वहां से कितना समय लगता था । क्या इस में कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई ? क्या लापरवाही करने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे कि लापरवाही से ऐसी घटना घट गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय सदस्य की इस चिन्ता से शासन सहमत है और हमने निश्चय किया है कि इस बिन्दु की भी अवश्य जांच करवायें कि क्या यहां दोपहर के बाद गाड़ी पहुंची और पांच घन्टे के अन्तराल से जो सिपाही पहुंचा वह मुनासिब था या नहीं । अगर किसी तरह की उसमें लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायगी ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इस बयान में क्या सवाल किया जाय ? 30 तारीख की यह घटना है । आज 11 वीं हो गई । ग्यारह दिन गुजर गये । क्या माननीय मन्त्री जी इसका क्या कारण है बता सकेंगे कि ग्यारह दिन से आप जांच पड़ताल में यह नहीं मालूम कर सके कि कितना एम्यूनिशन था जिसकी एफ० आई० आर० कायम हुई है, कितनी मैगजीन, कितने कारतूस थे, कहां से चले थे, कहां जा रहे थे और बीच में लूट लिये गये । और वह भी डकैती के एरिये में लूटा गया । इसका क्या कारण है ? इसका पता आप नहीं लगा सके जो कि दो-एक दिन में पता चल सकता था ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह मिलिटरी का कन्साइनमेंट था और यह तो उनसे पूछने के बाद ही जाना जा सकता है कि उसमें क्या–क्या सामान था । यह जानकारी हुई है कि 12 बक्से थे । उनमें क्या–क्या तादाद थी, इसकी विस्तृत विवेचना उनसे जानकारी करने के बाद ही की जा सकती है । मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य तो बाल की खाल निकाल सकते हैं यह तो एक पन्ना कागज है । इसमें कोई ऐसा बिन्दु नहीं है जिसमें शासन ने अपनी तरफ से कोई ढिलाई की हो । शासन इस घटना से पूर्णरूप से सजग है और इसी चिन्ता के साथ वह अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है ताकि वे कानून के कटघरे में खड़े किये जा सकें ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मैं इस सजग शासन के सजग मंत्री जी से आपके माध्यम से दो–तीन बातें पूछना चाहता हूं । कितना सजग यह शासन है कि 11 दिन के बाद भी वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि कम से कम घटना के बारे में ही बता सकें ? क्या शासन इस निर्णय पर पहुंचा है कि यह जो घटना हुई है वह सतना में हुई है इटावा में हुई या किसी और जगह पर हुई है ? तीसरे उन्होंने एम्युनिशन के डिब्बे तो बता दिए लेकिन यह नहीं बताया कि उस बक्से में कितने राउन्ड मैगजीन थी, बम था, हैंड ग्रिनैड थे क्या–क्या था ? कैसा एम्युनिशन था ? जब कि 4–4 दिन तक आपके साथी वहां पर कैम्प लगाया करते हैं, यह नहीं बता सकते थे कि उसमें क्या एम्युनिशन था ? क्या आपने मिलिटरी अथारिटी से सम्पर्क करने का प्रयास किया ? यदि हां, तो उन्होंने क्या कहा ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, 12 बक्सों में एम्युनिशन करके उन्होंने भेजा है ऐसा उन्होंने बताया । उसमें क्या भेजा है, यह चूंकि सेक्यूरिटी का प्रश्न होता है, इसको गोपनीय रखते हैं, किसके कार्टिजेज थे, इसलिये नहीं बताया गया । मैं नहीं जानता कि उसमें हमारे सम्मानित सदस्यों के उपयोग का सामान था या दूसरों के लिये था । लेकिन इसकी जानकारी जब हो जायेगी तो मैं निश्चित रूप से माननीय सदन को अवगत करा दूंगा ।

श्री रियासत हुसेन—

मान्यवर, माननीय राज्य मंत्री जी स्वयं कबूल कर रहे हैं । इसको आप स्थगित कर दें ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो–जो सूचना माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने जाननी चाही है उसमें उन्होंने कहा है कि जानकारी का जा रही है और आज शासन इस स्थिति में नहीं है कि वह इस वक्तव्य के परिप्रेक्ष्य में कोई और प्रकाश डाल सके । इसलिए आप मंत्री जी को निर्देश दें कि वे दुबारा इसको पूर्ण विवरण के साथ सदन में रखें । मान्यवर, पहले भी इस तरह के मसले सदन में आये हैं और शासन ने दुबारा वक्तव्य दिया है । आपको इसके बारे में न तो उसके एम्यूनिशन के बारे में जानकारी है, न घटनास्थल के बारे में

[श्री हुकम सिंह—]

में जानकारी है, चोरी कैसे हुई न इसकी जानकारी है, कौन दोषी है कौन नहीं है न इसकी जानकारी है, गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया हुई है न इसकी जानकारी है और सिर्फ एक बेग सा स्टेटमेंट आपने यहां सदन में दे दिया है इसलिये मान्यवर, हम चाहते हैं कि आप आज इसको स्थगित करवा दें और पूरी तैयारी के साथ मंत्री जी इसको फिर सदन में रखें ताकि पूरी चीज प्रकाश में आ सके ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछना चाहते हैं ? जो आपने कहा उसके बारे में स्वयं मंत्री जी ने कहा कि अग्रिम कार्यवाही जो होगी उससे इस सदन को अवगत करा दिया जायेगा । मैं समझता हूं कि जो आप चाहते हैं उसकी सूचना वे सदन को एक सप्ताह में भी दे सकते हैं और 10 दिन में भी दे सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जो भी परिणाम होगा मैं सदन को बता दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

एक सप्ताह में सूचना आ जाय तो ठीक है अन्यथा 10 दिन में दे दें ।

(व्यवधान)

श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, जो कलप्रिट होगा, मंत्री जी बतायेंगे. . . . (व्यवधान) यह घटना कब की है ? . . . . (व्यवधान)

श्री राजकुमार राय—

2-2-82 को यह घटना है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राय जी, आप सत्ता पक्ष के सदस्य हैं । मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब एक बात पर रूलिंग हो गयी । नियम 51 पर जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हम अग्रेतर कार्यवाही से अवगत करायेंगे तो उसके बाद फिर क्या बात रह जाती है ?

श्री राज कुमार राय—

आपने मेरी बात सुनी नहीं, सुन लें जरा ।

श्री अधिष्ठाता—

किस बात को नहीं सुना?

श्री राजकुमार राय—

यह ऐसा वक्तव्य है जिसमें न तो अकरेंस का टाइफ है न एक्जेक्ट प्लेस है. . . .

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राजकुमार राय जी इसी बिना पर मंत्री जी ने कहा है ।

श्री राजकुमार राय—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

आप मेरी अनुमति के बगैर बोल रहे हैं । वह लिखा नहीं जायेगा । अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

11–2–1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1071 पर ।)

मनोहर सुब्रहमण्यम्, अर्धशासकीय पत्रांक–2766/उन्तीस–खाद्य–6

आयुक्त एवं सचिव । खाद्य तथा रसद अनुभाग–6

उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ, दिनांक 13 अप्रैल, 1981 ।

प्रिय महोदय,

शासन को यह सूचना मिली है कि आपके जिले में सहकारी समितियों द्वारा चलायी जा रही सस्ते गल्ले की दुकानों को निरस्त करने की कार्यवाही कई जगह की जा रही है । शासन के निर्देशों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यद्यपि सहकारी समितियों के संचालन का निरीक्षण समय–समय पर किया जाना आवश्यक है, फिर भी अनियमितताओं के पाये जाने पर सम्बन्धित दुकानों के लाइसेन्स निरस्त नहीं होने चाहिये बल्कि अनियमितताओं की सूचना सहायक निबंधक को तत्काल इस आशय के साथ देनी चाहिये कि वे उस पर उचित कार्यवाही कर सकें । मुख्य सचिव के रेडियोग्राम संख्या 2515/उन्तीस–एफ–6–दिनांक 27 मार्च, 1981 में यह निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं कि जहां सहकारी समितियों द्वारा अनियमिततायें की जाती हैं वहां दृढ़ता से कार्यवाही की जा सकती है । इन आदेशों के पीछे शासन का उद्देश्य यही है कि समितियों द्वारा चलायी जा रही दुकानों पर प्रभावी नियंत्रण बना रहे और जनता को यह आभास होने का अवसर न प्राप्त हो कि जन वितरण प्रणाली के क्षेत्र में सहकारी समितियों के आने से व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है । इन आदेशों के पीछे शासन का उद्देश्य यह कभी नहीं था कि सहकारी समितियों की दुकानों को पूर्णतया निलम्बित या निरस्त कर दिया जाय । यदि ऐसा किया जाता है तो पुनः निजी व्यापारियों को इस क्षेत्र में आने का अवसर मिलेगा जो कि शासन की नीति के प्रतिकूल होगा ।

2––अतः मुझे आपसे यह निवेदन करने की अपेक्षा की गयी है कि यदि सहकारी समितियों का लाइसेन्स निरस्त किया गया हो तो उन्हें पुनः कार्य करने का अवसर प्रदान करें और कर्मचारी जिसके द्वारा अनियमिततायें की गई हैं उसके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सहायक निबन्धक को समुचित आदेश देने का कष्ट करें । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान में रखा जाय कि सामान्यतया अनियमितताओं का उत्तरदायित्व समिति के सेल्समैन पर होता है और समिति के सचिव के विरुद्ध कार्यवाही उन्हीं परिस्थितियों में उचित होगी जबकि यह स्पष्ट हो जावे कि सचिव द्वारा वास्तव में अनियमिततायें करने में सक्रिय योगदान दिया गया है । छोटी अनियमिततायें जिसके लिये सेल्समैन जिम्मेदार होता है उस पर सचिव के विरुद्ध कार्यवाही उचित नहीं है । वितरण व्यवस्था के अतिरिक्त समिति के सचिव के पास अनेकों और कार्य होते हैं और यदि उन्हें गिरफ्तार कराया जाता है तो यह सभी कार्य बन्द हो जायेंगे ।

भवदीय,

मनोहर सुब्रहमण्यम् ।

श्री प्रदीप कुमार,

जिलाधिकारी,

बहराइच ।

संख्या—2766 (1)/उन्तीस-खाद्य-6

प्रिय महोदय,

मैं उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं।

भवदीय,

ह0/

मनोहर सुब्रहमण्यम्।

समस्त जिलाधिकारी (नाम से),

उत्तर प्रदेश। (बहराइच एवं समस्त पहाड़ी जिलों को छोड़ के)

संख्या—2766 (2)/उन्तीस-खाद्य-6

प्रिय महोदय,

मैं उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं।

भवदीय,

ह0/

मनोहर सुब्रहमण्यम्।

समस्त मंडलायुक्त (नाम से),

उत्तर प्रदेश। (कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल को छोड़ कर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये, अतारांकित प्रश्न संख्या–7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1090 पर)

नाम सीमेन्ट लाइसेंसी व पूरा पता, ला0 नं0	त्रैमास 1/80	11/80	111/80	4/80	1/81	11/81	111/81	4/81
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	टन	टन	टन	टन	टन	टन	टन	टन
1––मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, चौबेपुर एस–8	36	36	36	36	36	36	24	48
2––मेसर्स पारस नाथ सिंह, चौबेपुर एस–6	36	36	36	36	36	36	24	48
3––मेसर्स लालता प्रसाद सिंह, चोलापुर एस–10	36	36	36	35	36	36	24	48
4––मेसर्स राजनारायण बालकृष्ण, गौरा–वाला एस–3	75	75	50	50	50	106	25	72
5––मेसर्स जनता सीमेन्ट एजेन्सी, गौरावाला एस–4	75	75	50	50	50	100	25	72
6––मेसर्स राधेश्याम गुप्ता, बड़ा गांव एस–12	36	..	..	24	24	24	24	24
7––मेसर्स गिरधर गोपाल दूबे, कठिरांव एस–19	36	36	48	48	48	48	24	36

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8—मेसर्स त्रिभुवन प्रसाद अग्रवाल, बड़ा गांव एस—1	50	24	..	..	[illegible]	24	24	72
9—मेसर्स गुप्ता सीमेंट भंडार, देवबुआ एस—33	50	48	48	36	60	36	24	48
10—मेसर्स फूलपुर सहकारी संघ, फूलपुर एस—31	24	12	..	..	..	60	..	48
11—मेसर्स दीनानाथ संतोष कुमार, पिडरा एस—27	24	..	..	..	..	..	..	..
12—मेसर्स विजय एण्ड कम्पनी, बड़ा गांव एस—29	36	12	12	24	24	24	24	60
13—मेसर्स इकबाल अहमद, पिण्डरा एस—15	..	24	48	84	108	108	80	96
14—मेसर्स मोतीलाल केशरवानी, साहसाहपुर एस—54	48	48	60	72	60	60	36	48
15—मेसर्स लल्लन प्रसाद गंगापुर एस—24	36	60	60	36	36	36	24	36
16—मेसर्स कुमार सीमेंट ट्रेडर्स, मिर्जामुराद एस—22	48	120	120	96	96	96	60	84
17—मेसर्स बालता प्रसाद, मिर्जामुराद एस—13	48	72	..	36	36	36	24	48

उत्तर प्रदेश विधान सभा

18—मेसर्स भूदेव त्रिपाठी, राजा तालाब एस–23	48	96	96	84	84	84	48	84
19—मेसर्स रामजी गुप्ता, शिवपुर टी–28	36	36	..	.	..	..	..	..
20—मेसर्स जगदीश प्रसाद गुप्ता, पाण्डेपुर टी–68	36	48	..	..	..	..	..	..
21—मेसर्स नन्द लाल गुप्ता, शिवपुर टी–22	50	48	..	..	..	..	..	..
22—मेसर्स सैनिक सीमेंट भंडार, आयर एस–34	..	..	60	48	60	48	36	48
23—मेसर्स द्वारिका प्रसाद गुप्ता, मुदीहा बाजार एस–35	..	..	..	..	..	..	..	..
24—मेसर्स कृपा शंकर गोरखनाथ, धनसेरी एस–36	..	..	36	24	24	24	..	36
25—मेसर्स बेचन सिंह, भीषमपुर एस–11	24	24	36	48	48	48	24	36
26—मेसर्स पन्ना लाल दीप चन्द जैन, जनस एस–32	48	72	72	60	60	60	48	72
27—मेसर्स रंगीलाल इम्तियाज खां, भउपुर एस–25	48	72	72	60	60	60	48	36
28—मेसर्स श्याम नारायण सिंह, भखुवी–बोली एस–20	36	24	..	24	60	24	24	36

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29—मेसर्स अनवर शेख मो0 रफीक जनसा एस–30	48	72	72	60	60	60	48	36
30—मेसर्स देवानन्द मिथलेश कुमार, राजा तालाब एस–14	..	..	12	12	12	12	24	36
31—मेसर्स राजानाथ गीरी, जनता एस–7	24	24	36	36	60	36	24	48
32—मेसर्स शीतला प्रसाद चौबे, लहाता एस–2	36	24	12	4	..	.	..	48
33—मेसर्स पन्नालाल मदन गोपाल, चांदपुर एस–28	50	40	..	.	..	..	..	.
34—मेसर्स विजयानन्द मिश्र, रथयात्रा टी–32	24	..	..	36	.	24	24	36
35—मेसर्स रघुनाथ प्रसाद, लहरतारा टी–63	48	72	84	48	48	48	24	48
36—मेसर्स रविन्द्र प्रसाद सिंह, मुगल–सराय सी एच–20	24	24	36	24	24	24	24	36
37—मेसर्स गोपाल दास, दुलहीपुर सी एच–6	..	..	..	24	24	..	..	36
38—मेसर्स जगनारायण पाठक, पंडाव सी एच–12	..	24	..	24	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

39—मेसर्स जयसवाल सीमेंट एजेन्सी, मुगल सी एच–4	36	60	72	60	60	60	48	48
40—मेसर्स मंजू सिंह, साहूपुरी सी एच–7	36	52	60	60	84	60	36	48
41—मेसर्स कृष्णा एजेन्सी, मुगलसराय सी एच–16	36	36	36	24	24	24	24	36
42—मेसर्स के0 एम0 एजेन्सी, पडाव सी एच–1	36	48	12	24	..	..	..	28
43—मेसर्स कुंजबिहारी लाल, सकलडीहा सी एच–24	36	36	36	24	24	36	24	48
44—मेसर्स गुप्ता स्टोर्स, सकलडीहा सी एच–9	36	24	36	36	36	24	24	48
45—मेसर्स जयसवाल स्टोर्स, सकलडीहा सी एच–28	36	24	24	24	24	24	24	48
46—मेसर्स ओम प्रकाश सिंह, चहनिया सी एच–18	24	24	24	24	24	24	24	36
47—मेसर्स लालता प्रसाद तिवारी, बलुआपार सी एच–24	24	24	24	24	24	36	24	48
48—मेसर्स शिवशंकर प्रसाद, पपौरा एस–21	24	24	24	36	36	36	24	48
49—मेसर्स कन्हैया लाल गुप्ता, खड़ेरा सी एच–21	36	24	24	24	24	36	24	48

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50—मेसर्स परमेश्वर प्रसाद, जालौन सैयदराजा सी एच–8	..	12	..	..	..	..	..	36
51—मेसर्स विजय कुमार जायसवाल, सैयदराजा सी एच–23	36	36	36	24	24	24	24	36
52—मेसर्स दूबे ब्रदर्स, मझिलपुर सी–एच–2	50	36	36	24	24	24	24	36
53—मेसर्स बसन्ती देवी, बबुरी सी–एच–17	24	12	12	24	24	24	24	36
54—मेसर्स वलीउल्लाह अन्सारी, बबुरी सी एच–11	24	12	12	24	24	24	24	36
55—मेसर्स पंचमराम, चन्दौली सी–एच–22	36	36	36	36	36	36	24	36
56—मेसर्स प्रेम नरायण श्याम नरायण, चन्दौली सी एच–3	50	60	48	36	72	36	36	72
57—मेसर्स कृष्णगोपाल प्रसाद, कमालपुर सी एच–19	36	48	36	36	36	36	24	48
58—मेसर्स रामनरायण गिरी, नरौली सी एच–30	36	36	36	36	36	36	..	36
59—मेसर्स गिरजाशंकर दूबे, कमलपुर सी एच–13	36	12	12	24	60	24	24	36

उत्तर प्रदेश विधान सभा

60—मेसर्स दिवाकर प्रसाद एण्ड संस, गोपीगंज जी—27	..	24	..	36	36	24	36	36
61—मेसर्स गिरीश चन्द्र एण्ड संस, गोपीगंज जी—9	48	..	..	72	72	36	36	36
62—मेसर्स गुप्ता सीमेंट स्टोर, गोपीगंज जी—28	50	24	60	50	50	50	25	48
63—मेसर्स कृष्ण मोहन दास बृज मोहन दास, कछवा रोड एस—26	50	60	36	36	36	60	25	48
64—मेसर्स कृष्ण मोहन दास बृज मोहन दास, औराई जी—18	50	60	48	..	..	60	25	60
65—मेसर्स नरायण दास गुप्ता, परषोत्तमपुर जी—6	36	48	72	60	60	60	36	60
66—मेसर्स श्रीदेव त्रिपाठी, औराई जी—20	48	48	72	60	60	..	..	..
67—मेसर्स मन्नीलाल द्विवेदी, जंगीगंज, जी—21	..	24	36	36	36	24	24	24
68—मेसर्स शिवराम गुप्ता, कोइरौना जी—22	24	12	..	36	36	24	24	36
69—मेसर्स माता शंकर शुक्ला, कटरा बाजार जी—5	24	24	36	36	36	24	24	48
70—मेसर्स कमला शंकर शुक्ला, टरा बाजार जं.—4	24	24	24	36	36	24	24	48

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71—मेसर्स मनोज कुमार मिश्रा, जंगीगंज जी–25	..	60	36	36	36	24	24	48
72—मेसर्स गुप्ता एण्ड कम्पनी, भदोही जी–3	125	125	125	..	..	..	..	60
73—मेसर्स भारत स्टोर्स, भदोही जी–13	50	50	50	50	50	50	25	48
74—मेसर्स गुप्ता सीमेन्ट एजेन्सी, भदोही जी–15	60	48	48	36	72	60	36	48
75—मेसर्स डोलर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स जी–16	24	36	36	72	48	60	36	36
76—मेसर्स जनता कृषि डरसुरवाया, जी–11	50	48	48	36	36	60	..	.
77—मेसर्स तुलसीराम दुःखीराम सुरयावा जी–1	50	75	75	50	..	..	..	84
78—मेसर्स रामलखन एण्ड संस, दुर्गागंज जी–8	60	48	..	50	75	..	..	..
79—मेसर्स रामलखन एण्ड संस, दुर्गागंज जी–7	50	36	..	25	50	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

80—मेसर्स रामशरण रस्तोगी, सिकन्दरपुर सी के–5	36	36	36	36	36	36	24	36
81—मेसर्स राम सूरत प्रसाद, चकिया सी के–1	..	24	24	36	36	36	24	48
82—मेसर्स लालजी साहू, बबुरी सी एच–10	..	24	..	24	48	24	24	36
83—मेसर्स काशी प्रसाद विशेश्वर प्रसाद, चकिया सी के–4	36	36	36	48	72	48	24	48
84—मेसर्स गोविन्द प्रसाद गुप्ता, नौगढ़ी सी के–6	..	36	36	36	36	36	36	48
85—मेसर्स प्यारेलाल रमेश कुमार, इलिया सी के–2	36	24	24	36	36	36	24	36
86—मेसर्स मुरारी लाल गुप्ता, सैदपुर सी के–3	24	24	36	36	60	36	32	48

नोट—दर्शाये गये लाइसेंसियों में कुछ ऐसे लाइसेंस हैं, जिनको पूर्व में विकास खण्ड से सम्बद्ध किया गया था परन्तु जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति के संस्तुति के आधार पर वहां सीमेन्ट लाइसेंसी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार वर्ष 1980–81 में किये गये आवंटन की मात्रा इस पर अंकित किया गया है। इस प्रकार विकास खण्ड में कुल नियुक्त लाइसेंसी के योग से आवंटन लाइसेंसी के योग में अन्तर है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1097 पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1659 की धारा 3 (1) में संगठित "नगर" गोरखपुर में सम्मिलित होने वाले गांवों की सूची ।

क्रमांक	ग्रामों का नाम
1	रामपुर उर्फ रामगढ़
2	महादेव झारखण्डी दु0 नं0 1
3	महादेव झारखण्डी दु0 नं0 2
4	महादेव झारखण्डी दु0 नं0 4
5	जंगल मातादीन
6	जंगल तुलसीराम
7	जंगल हकीम नं0 1
8	जटेपुर उत्तरी
9	हुमायुपर उत्तरी
10	शाह हुसैन चक (चकशा हुसैन)
11	मिर्जापुर पंचपेड़वा
12	नकहा जंगल नं0 1
13	नकहा जंगल नं0 2
14	हरिसेवकपुर नं0 1
15	बखारतपुर
16	नथमलपुर
17	मिर्जापुर उर्फ बिलन्दपुर
18	लच्छीपुर
19	बरगदवा
20	नथमलपुर पट्टन
21	रामपुर नयागांव
22	चरगांव
23	फतेहपुर
24	हमीदपुर
25	जंगल महुआ नं0 2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	ग्रामों का नाम
26	मानवेला
27	पोखरविन्डा उर्फ मरीमन नगर
28	जंगल बेनीमाधव नं0 1
29	जंगल बेनीमाधव नं0 2
30	रुक्तमपुर
31	मरवलिया
32	चिलमापुर
33	महुई सुघरपुर
34	सेमरा
35	खलेमपुर उर्फ मुगलपुरा
36	जंगल सालिक राम
37	झुगिया
38	नौतन
39	जंगल शिवपुर
40	मोहीउद्दीन चक
41	चैनपुर
42	महेवा
43	चकरा नं0 1
44	मिर्जापुर
45	रामगढ़ताल
46	गोपलापुर
47	मौसड़

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1103 पर)

संचालक मण्डल पारित एवं प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 5-1-72 की प्रतिलिपि

प्रतिलिपि

मीटिंग संचालक मण्डल साधन सहकारी समिति लाही
दिनांक 28 नवम्बर, सन् 1971 ई0

उपस्थिति--श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, 2--श्री माता प्रसाद पाण्डेय, 3--श्री राम कुमार त्रिपाठी, 4--श्री लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी ।

1--ऋण की वसूली पर विचार--सर्वसम्मति से तय हुआ कि जिन लोगों का धन बकाया है । उसे शीघ्र वसूल करके बैंक में जमा किया जाय ।

2--खाद न मिलने पर विचार--सर्वसम्पति से तय हुआ कि उच्च अधिकारियों से निवेदन करके समिति के सदस्यों को खाद दिलाने की व्यवस्था की जाय ।

3--साधन सहकारी समिति लाही त्रिवेदीगंज के 1--श्री राम किशोर त्रिपाठी को तीन हजार पांच सौ रुपये, 2--श्री दुर्गा प्रसाद को आठ सौ रुपया, 3--श्रीमती माधुरी देवी को तीन सौ रुपया, 4--श्री कन्हई को दो सौ रुपये और 5--श्री बहोरी को दो सौ रुपये का खाद देने के लिए समिति के आंकिक श्री रामनरेश ने दस जनपद में खाद वितरण की पद्धति के अनुसार रूप पत्र 5 और प्रोनोट पर हस्ताक्षर कराया किन्तु प्रोनोट भरने तक खाद नहीं दी गई थी । सदस्यों को खाद उठाने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई और न किसी को इनकी ओर से संघ हैदरगढ़ से खाद निकालने के लिए अधिकृत किया गया था संघ हैदरगढ़ के सुपरवाइजर श्री रामनाथ श्रीवास्तव तथा समिति के आंकिक श्री रामनरेश तथा श्री कृष्ण किशोर त्रिपाठी, ग्राम देवरी, थाना असन्दरा जो श्री राम किशोर त्रिपाठी के स्कूल में लिपिक थे मिलकर रूप-पत्र 5 और प्रोनोट का नाजायज लाभ उठाकर पांच हजार रुपये की खाद संघ हैदरगढ़ से निकाल कर सम्प्रेक्षक द्वारा 68-69 के सम्प्रेक्षण साधन सहकारी समिति लाही के विशेष प्रतिवेदन तथा समिति एवं खाद के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों को खाद उठाने की कोई सूचना दिये बिना सहकारी संघ हैदरगढ़ जिसकी समिति सदस्य नहीं है खाद निकाल कर बेंच लेने एवं धन हड़पकर लेने की स्थिति पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री राम किशोर त्रिपाठी के नाम पैंतीस सौ रुपये, श्री दुर्गा प्रसाद के नाम आठ सौ रुपये, श्री कन्हई के नाम दो सौ रुपये, श्रीमती माधुरी के नाम तीन सौ रुपये, श्री बहोरी के नाम दो सौ रुपये की निकाली हुई खाद से मुक्त किया जाय और केवल रूप-पत्र 5 और प्रोनोट पर हस्ताक्षरों का बेजा लाभ उठा करके संघ हैदरगढ़ के से खाद निकाल कर बेचने, धन हड़प करने की दशा में सहकारी संघ हैदरगढ़ के सुपरवाइजर श्री रामनाथ श्रीवास्तव समिति के आंकिक श्री रामनरेश तथा श्री कृष्ण किशोर त्रिपाठी देवरी ग्राम, थाना असन्दरा से पांच हजार रुपये वसूल किये जाय तथा आवेदन कर्ताओं एवं

बेंच लेने और धन अपहरण कर ले जाने की स्थिति में सम्प्रेक्षक द्वारा दिये गये 68 ·69 (अरसठ उनहत्तर) पर विचार ।

समिति को धोखा देने के अभियोग में कानूनी कार्यवाही की जाय ।

(ह0) चन्द्र शखर त्रिपाठी,

सा0 स0 समिति लाही,

28-11-71

(ह0) राम कुमार त्रिपाठी,

28-11-71 ई0

लक्ष्मी कान्त त्रिपाठी,

28-11-71 ई0

माता प्रसाद पाण्डेय

28-11-71

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

विशेष–प्रतिवेदन

संस्था का नाम	लाही साधन (अ० इ०) सहकारी समिति।
रजिस्ट्रेशन संस्था एवं तिथि	——
सम्बन्धित बैंक का नाम	जिला सहकारी बैंक लि०, शाखा हैदरगढ़।
सम्प्रेक्षण वर्ष	1968–69 ।
पर्यवेक्षक का नाम	श्री झगरू राम ।
सम्प्रेक्षक का नाम	बृज लाल
अपहरित धनराशि	5000·00 रु०।
अपहरित धन का स्वरूप	अनियमित रुपए खाद का वितरण करके अपहरण करना ।
अपहरित धन से सम्बन्धित व्यक्ति	1—श्री राम नरेश, आंकिक । 2—श्री राम नाथ, पर्यवेक्षक ।
वि० क्षे० का नाम	हैदरगढ़ ।
सम्प्रेक्षण समाप्ति की तिथि	29–3–70 ।
विशेष प्रतिवेदन देने की तिथि	1—कार्यालय । 2—क्षे० सम्प्रे० अधिकारी, फैजाबाद । 3—सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र०, बाराबंकी ।

लाही साधन सहकारी समिति के वर्ष 1968–69 के सम्प्रेक्षण में मु० 5000·00 रुपए का अपहरित धन पाया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है और विशेष प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

नाम सदस्य	तिथि कर्जा देने की	वितरित ऋण
1—श्री राम किशोर त्रिपाठी	15–8–69	3,500·00
2—श्री दुर्गा प्रसाद	,,	800·00
3—श्री कन्धई	,,	200·00
4—श्रीमती माधुरी देवी	,,	300·00
5—श्री बहोरी लाल	,,	200·00
	योग ..	5000·00

1—कैश बुक के अनुसार दिनांक 15–8–69 को रूप पत्र भरकर उक्त सदस्यों को उनके नाम के सामने अंकित धनराशि की खाद सहकारी संघ, हैदरगढ़

से प्राप्त करके देना दिखाया गया है। स्थानीय जांच के समय श्री राम किशोर त्रिपाठी ने अपने तथा अपनी पत्नी श्रीमती माधुरी देवी के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षण को लिखित रूप से बताया कि वे समिति के सदस्य नहीं हैं तथा उक्त दर्शाए गए ऋण को उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। खाद लेने के सम्बन्ध में कागजातों पर उनके हस्ताक्षर आंकिक श्री राम नरेश द्वारा कराए गए थे, परन्तु खाद देने की सूचना नहीं दी गई तथा उन लोगों के नाम से खाद निकाल कर फर्जी कर्जा दिखाया गया है। श्री दुर्गा प्रसाद, कन्धई तथा बहोरी लाल ने मौखिक रूप से सम्प्रेक्षण को बताया कि इन लोगों ने कोई खाद प्राप्त नहीं किया है तथा समिति के सदस्य नहीं हैं। उक्त ऋण वितरण के सम्बन्ध में सदस्यों का रूप-पत्र तथा प्रोनोट सम्प्रेक्षण में पूर्ण पाया गया किन्तु प्रोनोट सरपंच द्वारा प्रमाणित नहीं है।

2--उक्त सदस्यों की सदस्यता तथा ऋण वितरण की वैधता की जांच के सम्बन्ध में यह देखा गया कि सदस्य रजिस्टर के क्रमांक 122 से 125 तक पर श्री राम किशोर त्रिपाठी के अतिरिक्त उपरोक्त चारों व्यक्तियों का नाम दर्ज है किन्तु उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। इसी समिति में विलीन बहुता समिति के पुराने सदस्य रजिस्टर पर श्री दुर्गा प्रसाद कन्धई तथा बहोरी लाल का नाम लिखकर श्री कन्धई व बहोरी लाल का अस्पष्ट निशानी अंगठा लगाया गया है तथा श्री राम किशोर त्रिपाठी का नाम लिखकर हस्ताक्षर कराया गया है, जिसे श्री राम किशोर त्रिपाठी अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार की उक्त व्यक्तियों की वैधानिक सदस्यता सन्देह से परे नहीं कही जा सकती। कार्यवाही पुस्तिका पर दिनांक 13-7-79 को कार्यवाही की तिथि पर पुनरांकन करके उक्त सदस्यों से 2·50 रु0 प्रति व्यक्ति से प्राप्त दिखाकर सदस्य बनाना दिखाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सदस्य बनाने का प्रस्ताव बाद में बढ़ाया गया है तथा दिनांक 11-8-69 को बैठक में तिथि पर पुनरांकन करके उनको खाद देने का प्रस्ताव किया गया है किन्तु संघ से खाद प्राप्त करके सदस्यों में वितरण किया जाना कार्यवाही पुस्तिका में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार सदस्यता तथा ऋण वितरण की पुष्टि नहीं होती है।

3--इस खाद के सम्बन्ध में सहकारी संघ, हैदरगढ़ के अभिलेख को देखने से यह तथ्य ज्ञात हुआ कि लाही समिति संघ हैदरगढ़ के सदस्य नहीं हैं तथा संघ के पास साधन सहकारी समिति, लाही को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण सीमा की सूचना उपलब्ध नहीं है, जबकि निबन्धक, सहकारी समितियां, लखनऊ के परिपत्र संख्या सी-193/बैंकिंग, दिनांक 6/24-6-68 के अनुसार उक्त सूचना बैंक से प्राप्त होने के पश्चात् ही हो। संघों द्वारा समितियों को खाद (ऋण) देने का प्राविधान है। इस प्रकार संघ हैदरगढ़ द्वारा लाही समिति को दिया गया ऋण पूर्णतया अवैधानिक है और इस कार्य का दायित्व श्री रामनाथ श्रीवास्तव संघ इंचार्ज पर है।

4--आंकिक श्री राम नरेश ने आडिट को लिखित रूप से बताया कि वे सदस्यों को साथ लेकर हैदरगढ़ संघ पर खाद दिलाने हेतु गए और कागजातों की पूर्ति करने के बाद सदस्य अपनी खाद निकलवाने लगे तथा श्री राम नरेश, आंकिक त्रिवेदीगंज सुपरवाइजर से मिलने चले गए। इस सम्बन्ध में श्री रामनाथ श्रीवास्तव, इंचार्ज, सहकारी संघ, हैदरगढ़ का यह कथन है कि मु0 5,000 रु0 की खाद उन्होंने श्री कृष्ण किशोर त्रिपाठी, कारिन्दा श्री राम किशोर त्रिपाठी को दिया, जबकि समिति द्वारा श्री कृष्ण किशोर त्रिपाठी को खाद देने का प्रस्ताव नहीं था और इस सम्बन्ध में श्री राम नाथ के सदस्यों द्वारा श्री कृष्ण किशोर त्रिपाठी को खाद देने हेतु कोई प्रमाण ही दिखाया। जांच के समय श्रीकृष्ण किशोर

त्रिपाठी नहीं मिले किन्तु रूप-पत्र पर खाद देने की पुष्टि संघ इन्चार्ज ने कृष्ण किशोर त्रिपाठी से प्रमाणित कराया है । जो इस बात की पुष्टि करता है कि बगैर समिति द्वारा अधिकृत किए कृष्ण कृष्ण किशोर त्रिपाठी का संघ पर जाकर प्रमाणित करना खाद के अपहरण में हाथ है ।

उक्त बयानों तथा तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि संघ द्वारा समिति को ऋण देना पूर्णतया अवैधानिक है साथ ही सदस्य रजिस्टर को पूर्णतया कार्यवाही का पुनरांकन द्वारा सदस्यता आदि का उल्लेख करना तथा बिना पूरा हिस्सा प्राप्त किए सदस्यों को ऋण दिलाने का आदि का कार्य भी अवैधानिक तथा अनियमित है । इस प्रकार उपरोक्त अपहरण का दायित्व श्री राम नाथ श्रीवास्तव संघ इंचार्ज, हैदरगढ़ तथा श्री राम नरेश आंकिक लाही समिति तथा कृष्ण किशोर त्रिपाठी पर है, जिसके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही वांछनीय है ।

(ह0) बृज लाल,
सम्प्रेक्षक, बाराबंकी,
3-8-70 ।

प्रतिहस्ताक्षरित
(ह0) अपठनीय,
सील
जिला सम्प्रेक्षा अधिकारी
सहकारी समितियां एवं पंचायतें,
उ0 प्र0 बाराबंकी ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 52 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1106 पर ।)

विकास क्षेत्र भगतपुर, टांड, जनपद मुरादाबाद की देवीपुरा साधन सहकारी समिति लि0 के 5,000·00 रु0 या उससे अधिक के बकायादारों की सूची

क्र0 सं0	नाम बकायादार व वल्दियत	ग्राम	धनराशि	तिथि बकाया
1	2	3	4	5
1	श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री उदय सिंह	जालपुर	6,760·00	1-7-77
2	श्री गजराज सिंह पुत्र श्री मेवा सिंह	निवाड	6,071·89	1-7-78
3	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह	निवाड	7,280·00	1-7-81
4	श्री ब्रजपाल सिंह पुत्र श्री हेम सिंह	पसियापुर	5,435·00	1-7-73
5	श्रीमती मूर्ती देवी पत्नी श्री ध्यान सिंह	पसियापुर	9,282 00	1-7-81
6	श्री राहत जान खां पुत्र मो0 जान खां	मल्लूपुरा	6382·40	1-7-81
7	श्री मो0 अली खां पुत्र श्री अब्बास खां	मल्लूपुरा	7,384·70	1-7-81

साधन सहकारी समिति लि0, सरकड़ा खास मूण्डा पान्डे के 5000 रु0 से अधिक के बकायादारों की सूची :

क्र0 सं0	नाम सदस्य व वल्दियत	ग्राम	धनराशि	तिथि बकाया
1	2	3	4	5
1	भूप सिंह पुत्र श्री गुरुसहाय	नगला	7,200·00	9-3-74
2	श्री भूरे सिंह पुत्र श्री गुरुसहाय	नगला	10,366·20	20-1-81
3	श्री छोटे लाल पुत्र श्री गुरुसहाय	नगला	6,219·98	30-1-78
4	श्री राम चन्द्र सिंह पुत्र श्री मोतीराम	नगला	7,388·00	30-6-74
5	श्री राम प्रसाद पुत्र अंगन लाल	नगला	7, 83·00	7-12-77
6	श्री रघुनाथ पुत्र श्री मोती	नगला	5,163·00	30-6-76
7	श्री लक्ष्मण पुत्र श्री रूप चन्द्र	नगला	5,368 00	7-11-73

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1112 पर।)

उत्तर प्रदेश के थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 1970-71--100) का जनवरी, 1980 से जून, 1981 तक का महीनेवार विवरण:

माह	सूचकांक
1--जनवरी, 1980	220·4
2--फरवरी, 1980	226·0
3--मार्च, 1980	226·1
4--अप्रैल, 1980	230·5
5--मई, 1980	234·9
6--जून, 1980	241·1
7--जुलाई, 1980	252·5
8--अगस्त, 1980	254·4
9--सितम्बर, 1980	281·1
10--अक्तूबर, 1980	282·2
11--नवम्बर, 1980	260·3
12--दिसम्बर, 1980	255·9
13--जनवरी, 1981	260·7
14--फरवरी, 1981	262·2
15--मार्च, 1981	260·7
16--अप्रैल, 1981	267·7
17--मई, 1981	269·7
18--जून, 1981	268·9

उपरोक्त अवधि में कुल मूल्य वृद्धि की मासिक औसत दर 1·2 प्रतिशत रही।

पी0 एस0 यू0 पं0--12 वि0 सभा--13-5-1983--835 (पी0 डी0)।

विधान सभा उत्तर प्रदेश